July 2023

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly
CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Human Trafficking in India.

Groundwater status in India.

Data Protection Bill 2022.

Internationalisation of rupee: Why and what are the benefits?

Indian Space Policy 2023.

The 'free movement regime' along the India-Myanmar border.

TOPPER'S RECOMMENDED

BEST CHOICE

हिंदी

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Under The Guidance Of
Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

- 78 Prelims Tests
- 95 Mains Tests
- Weekly Assignments Monitored by Mentor
- Performance Tracker
- Module Wise Classes of Choice
- Current Affairs Classes
- Live solving of Prelims PYQ'S by Prelims Experts
- Enhanced Peer Group Activities

Bangalore Delhi
Bhopal Lucknow Online

ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

PRELIMS 4

राजव्यवस्था और शासन

- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC)
- जल जीवन मिशन
- SWAMIH निधि
- जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (PGI-D)
- टेली मानस

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- मानव रहित विमान और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी
- जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023 (जिमेक्स 2023)
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)
- मुस्लिम वर्ल्ड लीग
- शेरपा G20 की तीसरी बैठक
- मापुटो प्रोटोकॉल
- सूडान संघर्ष
- काला सागर अनाज पहल

अर्थव्यवस्था

- सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA)
- विश्व निवेश रिपोर्ट 2023
- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
- सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES)
- पीएम-मित्र
- स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) प्रणाली
- निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट
- अग्रिम प्राधिकरण योजना
- नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF)
- पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)
- संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन (RECEIC)
- विश्व आर्थिक आउटलुक

भूगोल

- चेंचू जनजाति
- वॉटर पॉजिटिव इंडिया
- उबिनास ज्वालामुखी
- यमुना नदी
- शेल्फ क्लाउड
- गोमती नदी
- गल्फ स्ट्रीम
- बटागाइका क्रेटर

पर्यावरण

- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)
- स्टर्जन प्रजाति
- उच्च समुद्र संधि
- इंडियन ग्रे हॉर्नबिल
- मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान
- रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य
- खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (CGRFA)
- गम्बूसिया मछली
- भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (ICED) 3.0
- महादेई वन्यजीव अभयारण्य
- सिल्वर कॉक्सकॉम्ब
- लुडविगिया पेरुवियाना
- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- सिकल सेल एनीमिया
- डार्क मैटर
- रोगाणुरोधी प्रतिरोध
- पार्कर सोलर प्रोब
- ओरियन नेबुला में कार्बन अणु
- सोलर फ्लेयर
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)
- ब्रूसिलोसिस
- बेपिकोलम्बो अंतरिक्ष यान
- पिकोलिनिक एसिड
- DPT3 वैक्सीन
- MERS-CoV

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- हूल दिवस
- दलाई लामा
- बैस्टिल दिवस परेड

- वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- रुद्रगिरि पहाड़ी
- ताम्र युग

विविध

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
- राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)
- बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास- साल्वेक्स
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
- अंतर्राष्ट्रीय जीवविज्ञान ओलंपियाड
- भूमि सम्मान पुरस्कार- 2023
- ह्वासोंग-18
- यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन
- राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)

GS Paper-1

- ट्रांसजेंडर व्यक्ति मौजूदा कोटा का लाभ उठा सकते हैं
  (Transgender Persons Can Avail Existing Quota)
  भारत में मानव तस्करी
- समुद्री गर्मी की लहरें
- भारत में भूजल की स्थिति

GS Paper-2

- डेटा संरक्षण विधेयक 2022
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)
- भारत-यूएई संबंध
- भारत-फ्रांस संबंधभारत-अफ्रीका संबंधों में एक नया अध्याय

GS Paper-3

- वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
- भारत-म्यांमार सीमा पर 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था'
- भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
- रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण: इसके फायदे क्या हैं?
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

PRACTICE QUESTIONS

KEY ANSWERS

IASBABA

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC)	**संदर्भ:** हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे ने लेह में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) और वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर के साथ बैठक की और उद्योग क्षेत्र की समीक्षा की। **इसके बारे में:-** • यह एक स्वायत्त जिला परिषद है जो लद्दाख के लेह जिले का प्रशासन करती है। • **स्थापना:** परिषद का निर्माण लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद अधिनियम 1995 के तहत किया गया था। • **संरचना:** LAHDC-लेह में कुल 30 सीटें हैं और सरकार द्वारा चार पार्षद मनोनीत किए जाते हैं। • **कार्यरत:-** ○ स्वायत्त पर्वतीय परिषद आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, भूमि उपयोग, कराधान और स्थानीय शासन पर निर्णय लेने के लिए ग्राम पंचायतों के साथ काम करती है। ○ जिसकी समीक्षा मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षदों की उपस्थिति में ब्लॉक मुख्यालय में की जाती है। • लेह, जो लद्दाख का एक बौद्ध बहुल जिला है, ने जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अद्वितीय सांस्कृतिक और आदिवासी पहचान को कमजोर करने से बचाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची को लागू करने की मांग की है। **लद्दाख के बारे में** • लद्दाख जम्मू और कश्मीर में सबसे कम आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। • यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सबसे ऊँचा पठार है। • **जनसंख्या:** सबसे बड़ा जातीय समूह बौद्ध है जिसकी आबादी 77.30% है, इसके बाद मुस्लिम 13.78% और हिंदू 8.16% हैं। **अवश्य पढ़ें:** लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC), लेह **स्रोत:** AIR
जल जीवन मिशन	**संदर्भ:** हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र का जल जीवन मिशन 2024 के लक्ष्य से दूर होता प्रतीत हो रहा है। **जल जीवन मिशन के बारे में:-** • यह 2019 में शुरू किया गया। • **मंत्रालय:** जलशक्ति मंत्रालय। • इसका लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। • **फंडिंग:** केंद्र और राज्यों के बीच फंड-साझाकरण पैटर्न हिमालयी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 90:10, अन्य राज्यों के लिए 50:50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है। **उद्देश्य:-** • प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान करना। • स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवनों आदि में कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान करना। • नल कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी करना।

	• नकद, वस्तु और/या श्रम और स्वैच्छिक श्रम में योगदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय के बीच स्वैच्छिक स्वामित्व को बढ़ावा देना और सुनिश्चित करना। • जल आपूर्ति प्रणाली, यानी जल स्रोत, जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे आदि की स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायता करना। • इस क्षेत्र में मानव संसाधनों को सशक्त बनाना और विकसित करना जैसे कि निर्माण, पाइपलाइन, विद्युत, जल गुणवत्ता प्रबंधन आदि की मांग। • सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं और महत्व पर जागरूकता लाना और हितधारकों की भागीदारी को इस तरह से शामिल करना कि जल हर किसी का व्यवसाय बन जाए। **स्रोत:** हिंदू
SWAMIH निधि	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने SWAMIH (स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग) निधि के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना के नए मकान मालिकों को बधाई दी है। **परिचय:** • **शुरू :** वर्ष 2019 में। • यह एक सामाजिक प्रभाव निधि है जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है। **(प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू)** • **द्वारा प्रायोजित:** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। • **प्रबंधित:** स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBICAP वेंचर्स लिमिटेड द्वारा। • **उद्देश्य:**-किफायती और मध्यम आय वाली आवास श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करना। **(शहरी आवास)** • **योजना का कार्यान्वयन:** फंड को सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी- II एआईएफ (वैकल्पिक निवेश कोष) ऋण फंड के रूप में स्थापित किया गया था। ○ **AIF:** इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत परिभाषित किया गया है। ○ विशेष विंडो के तहत निर्मित/वित्तपोषित AIF सरकार और नकदी-समृद्ध वित्तीय संस्थानों, सोवरेन वेल्थ फंड, सार्वजनिक और निजी बैंकों, घरेलू पेंशन और भविष्य निधि, वैश्विक पेंशन निधि और अन्य संस्थागत निवेशकों सहित अन्य निजी निवेशकों से फंड में निवेश की मांग करता है। **फंडिंग के लिए पात्रता मानदंड:-** • रियल एस्टेट परियोजनाओं को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA) 2016 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। • परियोजना को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या दिवालिया कार्यवाही के तहत होना चाहिए। • परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा "रुकी हुई" या "विलंबित" परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। • यह फंड केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है जो किफायती और मध्यम आय वाले आवास श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। **अवश्य पढ़ें:** सोशल स्टॉक एक्सचेंज **स्रोत:** पीआईबी
जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक	**संदर्भ:** जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई-डी) 2020-21 और 2021-22 की संयुक्त रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई।

(PGI-D)	**इसके बारे में:-** • **पहली बार जारी:** वर्ष 2017-18 में। (प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक) • **द्वारा:** स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (DoSE&L), शिक्षा मंत्रालय। • **उद्देश्य:** जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में मदद करना और इस प्रकार उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने के लिए सुधार करना। • व्यापक विश्लेषण के लिए एक सूचकांक बनाकर जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन की रिपोर्ट देना। • केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राज्य पीजीआई की सफलता के आधार पर, 83-संकेतक-आधारित पीजीआई-डी को स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को ग्रेड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • **महत्व:** उम्मीद है कि PGI-D राज्य शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने और विकेंद्रीकृत तरीके से उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करेगा। ○ संकेतक-वार पीजीआई स्कोर उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां एक जिले को सुधार करने की आवश्यकता है। **क्रियाविधि** • PGI-D संरचना में 600 अंकों के कुल भारांक वाले 83 संकेतक शामिल हैं। • जिन्हें 6 श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जैसे परिणाम, प्रभावी कक्षा, बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ और छात्र के अधिकार, स्कूल सुरक्षा तथा बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग एवं शासन प्रक्रिया। • इन श्रेणियों को आगे 12 डोमेन में विभाजित किया गया है। • PGI-D जिलों को दस ग्रेडों अर्थात दक्ष और आकांशी-3 में वर्गीकृत करता है। ○ **दक्ष:** यह उस श्रेणी में या कुल मिलाकर 90प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए उच्चतम प्राप्त ग्रेड है। ○ **आकांशी-3:** PGI-D में सबसे निचले ग्रेड को आकांशी-3 कहा जाता है, जो कुल अंकों के 10 प्रतिशत तक के स्कोर के लिए है। **जिलों के लिए पीजीआई रिपोर्ट - 2020-21 और 2021-22** • कोविड महामारी ने 2019-20 की तुलना में 2020-21 से 2021-22 के दौरान जिलों के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। • किसी भी जिले ने शीर्ष दो ग्रेड प्राप्त नहीं किये। • पिछले 4 वर्षों में 79 जिलों ने PGI-D स्कोर में लगातार सुधार किया है। • वर्ष 2021-22 में कोविड महामारी अपने चरम पर होने के बावजूद, 290 जिलों ने 2019-20 (महामारी-पूर्व) की तुलना 2021-22 से करने पर अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है। • कुल मिलाकर, 194 जिलों ने 2018-19 की तुलना में 2021-22 में ग्रेड स्तर में सुधार किया है। **अवश्य पढ़ें:** शिक्षा और आकांक्षी भारत **स्रोत:** AIR
टेली मानस	**संदर्भ:** सरकार की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 'टेली मानस' एक टोल-फ्री सेवा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। **पृष्ठभूमि:-** • अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से टेली-मानस हेल्पलाइन पर 200,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई। • 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 42 से अधिक कार्यात्मक टेली मानस सेल, सेवा वर्तमान में 20 भाषाओं में प्रति दिन 1,300+ कॉल को पूरा कर रही है।

परिचय:

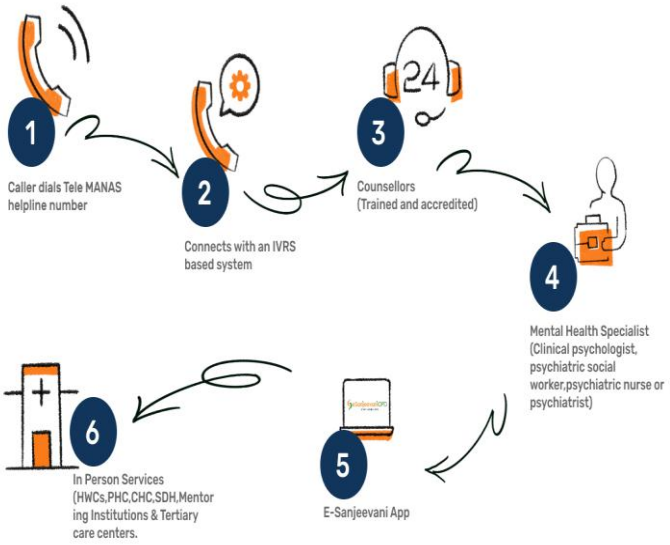

- **लॉन्च:** वर्ष 2022 में।
- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मानसिक स्वास्थ्य संकट को स्वीकार करते हुए और एक डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य नेटवर्क स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है जो महामारी से बढ़ी चुनौतियों का सामना करेगा। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी) की घोषणा की।

टेली मानस के उद्देश्य:-

- लोगों को कॉल करने वालों की गुमनामी बनाए रखते हुए उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जिससे आम तौर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़े कलंक (stigma) को कम किया जा सके।
- देश के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में 24x7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करके, देशभर में किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को तेजी से बढ़ाना।
- एक पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य-सेवा नेटवर्क को लागू करने के लिए, जो परामर्श के अलावा, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ वीडियो परामर्श, ई-प्रिस्क्रिप्शन (e-prescriptions), अनुवर्ती सेवाओं और व्यक्तिगत सेवाओं से जुड़ाव सहित एकीकृत चिकित्सा और मनोसामाजिक हस्तक्षेप प्रदान करता है।
- आबादी के कमजोर समूहों और मुश्किल पहुंच वाली आबादी तक सेवाओं का विस्तार करना।

टेली मानस की मुख्य विशेषताएं:-

- टेली- मानस को दो स्तरीय प्रणाली में संचालित किया जाएगा।
- **टियर 1:** इसके तहत टियर 1 में राज्य टेली-मानस प्रकोष्ठ शामिल हैं, जिनमें प्रशिक्षित परामर्शदाता और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हैं।
- **टियर 2:** इसमें शारीरिक परामर्श के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी)/मेडिकल कॉलेज संसाधनों और/या ऑडियो-विज़ुअल परामर्श के लिए ई-संजीवनी के विशेषज्ञ शामिल हैं।
- **टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर:** चौबीसों घंटे उपलब्ध टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (14416) पूरे देश में स्थापित किया गया है, जिससे कॉल करने वाले सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकते हैं। यह सेवा 1-800-91-4416 पर भी उपलब्ध है।

पात्रता:-

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाला कोई भी व्यक्ति मदद के लिए टेली मानस सेवाओं तक पहुंच सकता है।
- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्य मदद के लिए पहुंच सकते हैं।
- जमीनी स्तर के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता/सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाता यानी, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), और समुदाय के सामुदायिक स्वयंसेवक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले किसी व्यक्ति या समुदाय के व्यक्तियों की ओर से टेली मानस तक पहुंच सकते हैं।

अवश्य पढ़ें: मजबूत मानसिक स्वास्थ्य रणनीति की आवश्यकता

स्रोत: पीआईबी

IASBABA

अंतरराष्ट्रीय संबंध

मानव रहित विमान और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी

संदर्भ: भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हाल ही में यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

पृष्ठभूमि:-

- यह समझौता ज्ञापन मानव रहित विमान प्रणालियों और नवोन्मेषी वायु गतिशीलता में सहयोग के लिए है।
- यह समझौता ज्ञापन दो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और नवीन वायु गतिशीलता पर सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

इसके बारे में:-

- यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) दो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच मानव रहित विमान और इनोवेटिव एयर मोबिलिटी पर सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।
    - **मानवरहित हवाई वाहन (UAV):** इसे आमतौर पर ड्रोन के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा विमान है जिसमें कोई मानव पायलट, चालक दल या यात्री नहीं है।
    - **इनोवेटिव एयर मोबिलिटी (आईएएम):** इनोवेटिव एयर मोबिलिटी (आईएएम) की अवधारणा नए विमान डिजाइनों के साथ व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक संचालन को समायोजित करती है जो स्वचालित रूप से विमानों या हेलीकॉप्टरों की ज्ञात श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इनमें लंबवत रूप से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता हो सकती है, विशिष्ट (वितरित) प्रणोदन विशेषताएं हो सकती हैं, मानव रहित कॉन्फ़िगरेशन में संचालित किया जा सकता है, आदि।
- इस सहयोग में प्रमाणन मानक और पर्यावरण मानकों के विकास के क्षेत्रों में डीजीसीए और ईएएसए तथा मानव रहित विमान प्रणालियों और नवीन वायु गतिशीलता संचालन के प्रमाणन और उपयोग के लिए संबंधित आवश्यकताएं के बीच सहयोग शामिल होगा जिसमें मानव रहित विमान प्रणाली यातायात प्रबंधन (UTM) मानक और सेवाएँ सहित कर्मियों, प्रशिक्षण, हवाई यातायात प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का लाइसेंस शामिल है।
- समझौता ज्ञापन इस क्षेत्र में तकनीकी विकास और अनुसंधान और संबंधित हितधारकों तक पहुंच के लिए उनकी संबंधित रणनीतियों पर दोनों प्राधिकरणों के बीच नियमित जानकारी साझा करना भी सुनिश्चित करता है।
- इसके अलावा, एमओयू के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में डीजीसीए और ईएएसए द्वारा सम्मेलन, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग मिलेगा।

यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (EASA)

- EASA यूरोपीय संघ (EU) की एक एजेंसी है। (India-EU)
- यह यूरोपीय स्तर पर सामान्य सुरक्षा और पर्यावरण नियम विकसित करता है।
- **उद्देश्य:** नागरिक उड्डयन में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम सामान्य मानकों को बढ़ावा देना।
- **स्थापना:** 4 जुलाई 2018
- **मुख्यालय:** कोलोन, जर्मनी।
- इसका नेतृत्व एक कार्यकारी निदेशक करता है।
- एजेंसी के कार्य की देखरेख एक प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाती है, जो यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय आयोग का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह यूरोपीय सार्वजनिक कानून द्वारा शासित एक निकाय है।

	• यह सामुदायिक संस्थानों (परिषद, संसद, आयोग, आदि) से अलग है और इसका अपना कानूनी व्यक्तित्व है। • **बहिष्करण:** ईएएसए के दायरे में नागरिक उड्डयन सुरक्षा जैसे हवाईअड्डा सुरक्षा उपाय, काउंटर-टेररिज्म (counter-terrorism) से संबंधित प्रश्न शामिल नहीं हैं। **अवश्य पढ़ें:** डोर्नियर एयरक्राफ्ट **स्रोत:** AIR
जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023 (जिमेक्स 2023)	**संदर्भ:** हाल ही में द्विपक्षीय जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023 (JIMEX 23) का सातवां संस्करण हुआ। **पृष्ठभूमि:-** • इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा की गई थी और इसे 05 -10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में/बाहर आयोजित किया गया है। • यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद से JIMEX की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। **जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2023 (JIMEX 23) के बारे में:-** • पृष्ठभूमि: JIMEX, भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स (JMSDF) द्वारा आयोजित समुद्री अभ्यासों की एक श्रृंखला है। ○ इसे पहली बार 2012 में शुरू किया गया था। • यह दो चरणों में आयोजित हुआ:- ○ हार्बर चरण: विशाखापत्तनम में पेशेवर, खेल और सामाजिक बातचीत शामिल हैं। ○ हार्बर चरण के बाद: दोनों नौसेनाएं संयुक्त रूप से समुद्र में अपने युद्ध कौशल को निखारेंगी और जटिल बहु-अनुशासन संचालन के माध्यम से सरफेस, सब-सरफेस तथा एयर डोमेन में आपसी संचालनीयता को बढ़ाएंगी। **भारत और जापान के बीच अन्य अभ्यास:-** • **मालाबार:** संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत और जापान मालाबार नामक नौसैनिक युद्ध-खेल अभ्यास में भाग लेते हैं। (26वाँ अभ्यास मालाबार) • शिन्यू मैत्री (SHINYUU Maitri): वायु सेना • धर्म गार्डियन (Dharma Guardian): सैन्य अभ्यास (IBSAMAR अभ्यास) **अवश्य पढ़ें:** अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 2023 (आईएमएक्स/सीई-23) और आईएनएस त्रिकंद **स्रोत:** पीआईबी
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO)	**संदर्भ:** हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) का शिखर सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। **पृष्ठभूमि:-** • समुद्री देशों ने अपनी ग्रीनहाउस हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन रणनीति को 2050 तक "या उसके आसपास" शुद्ध शून्य तक पहुंचने के लिए अपग्रेड किया, यह बिना किसी निश्चित वर्ष को निर्दिष्ट किए हुए था। **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में:-** • IMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। • **स्थापना:** वर्ष 1948 • **मुख्यालय:** लंदन, यूनाइटेड किंगडम • **उद्देश्य:** शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना जो निष्पक्ष और प्रभावी हो, सार्वभौमिक रूप से अपनाया और लागू किया गया हो। • **सदस्यता:** इसके वर्तमान में 175 सदस्य देश और 3 सहयोगी सदस्य हैं। ○ वर्ष 1959 में भारत IMO में शामिल हुआ। (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और भारत)

	• **कार्य:-**
	  ○ इसकी भूमिका एक समान अवसर तैयार करने की है ताकि जहाज संचालक अपने वित्तीय मुद्दों को केवल किनारा करके और बचाव, सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रदर्शन से समझौता करके समाधान न कर सकें।
	• आईएमओ का कार्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन करना।
	• आईएमओ अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है।
	• इसकी शिपिंग की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। (समुद्री सुरक्षा)
	• **आईएमओ के प्रमुख सम्मेलन:**
	  ○ समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (SOLAS)
	  ○ नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (STCW)
	  ○ जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MARPOL)
	अवश्य पढ़ें: भारत में ग्रीन पोर्ट और ग्रीन शिपिंग
	स्रोत: डाउन टू अर्थ

मुस्लिम वर्ल्ड लीग	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव के साथ बैठक की। **पृष्ठभूमि:-** • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत सहिष्णु मूल्यों, चेतना के संयम और अंतर-धार्मिक संवाद को बढ़ावा देने में मुस्लिम विश्व लीग की भूमिका और उद्देश्यों की सराहना करता है। • भारत दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। **परिचय :-** • मुस्लिम वर्ल्ड लीग (MWL) एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन (NGO) है। • स्थापना: वर्ष 1962 में • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: इसकी स्थापना जनरल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बैठक के दौरान अपनाए गए एक प्रस्ताव के अनुसार की गई थी, जो 14 से 18 मई 1962 को पवित्र मक्का में आयोजित की गई थी। • मुख्यालय: मक्का, सऊदी अरब **उद्देश्य:-** • पवित्र कुरान और सुन्नाह (Quran and the Sunnah) में प्रस्तुत इस्लाम और उसके सहिष्णु मूल्यों का परिचय देना। • मुस्लिम उम्माह की चेतना में केन्द्रवाद और संयम की अवधारणाओं को समेकित करना। ○ **उम्माह:** विश्वासियों का एक समुदाय जो एक सामान्य उद्देश्य, ईश्वर की पूजा करने और इस्लाम के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक समान लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। • मुस्लिम उम्माह के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने और उन्हें हल करने का प्रयास करना, और संघर्ष और कलह पैदा करने वाले कारकों को दूर करना। • सभ्यतागत मेल-मिलाप पर जोर देना और संवाद की संस्कृति का प्रसार करना। • मुस्लिम अल्पसंख्यकों और उनके मुद्दों को महत्व देना और उन्हें उन देशों के संविधान और नियमों के भीतर हल करना जहां वे स्थित हैं।

	• विश्वभर में मुसलमानों के मानकों को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक समाधान प्रदान करने के लिए विद्वानों, बुद्धिजीवियों और संगठनों के प्रमुखों के बीच बैठकें आयोजित करके हज सीज़न का लाभ उठाना। (जीसीसी व्यापार समझौता) ○ हज: यह मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र शहर मक्का, सऊदी अरब की वार्षिक इस्लामी तीर्थयात्रा है। • उम्माह की इस्लामी पहचान को सुरक्षित रखना, दुनिया में इसकी स्थिति को मजबूत करना और इसे और अधिक एकजुट बनाना। **अवश्य पढ़ें:** इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) **स्रोत:** AIR
शेरपा G20 की तीसरी बैठक	**संदर्भ:** भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी शेरपा बैठक हाल ही में हम्पी, कर्नाटक में शुरू हुई। **परिचय :** • शेरपा G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर बैठक में सदस्य देश के नेता का निजी प्रतिनिधि होता है। • शेरपा शिखर सम्मेलन के माध्यम से योजना, बातचीत और कार्यान्वयन कार्यों में संलग्न है। • वे एजेंडे का समन्वय करते हैं, उच्चतम राजनीतिक स्तरों पर आम सहमति चाहते हैं, और अपने नेताओं की स्थिति पर बातचीत करने में मदद के लिए शिखर-पूर्व परामर्शों की एक श्रृंखला में भाग लेते हैं। • शेरपा कैरियर राजनयिक या वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें उनके देश के नेताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है। • प्रत्येक सदस्य देश के लिए प्रति शिखर सम्मेलन में केवल एक शेरपा होता है; उसे कई सहायक शेरपाओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। **भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 शेरपा बैठक:** • नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भारत से G20 शेरपा हैं। • भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक 04 दिसंबर 2022 को उदयपुर राजस्थान में आयोजित की गई थी। • भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक, भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में, 30 मार्च से 2 अप्रैल, 2023 तक केरल के कुमारकोम के सुरम्य गांव में हुई। **अवश्य पढ़ें:** विजयनगर साम्राज्य **स्रोत:** AIR
मापुटो प्रोटोकॉल	**संदर्भ:** हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, मापुटो प्रोटोकॉल की बदौलत अफ्रीकी देशों में लैंगिक समानता पर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन यह असमान है। **रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:-** • एक नई रिपोर्ट के अनुसार, मापुटो प्रोटोकॉल के कारण अफ्रीकी देशों में लैंगिक समानता पर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन यह असमान है। • प्रोटोकॉल में 2028 तक अफ्रीका में सार्वभौमिक अनुसमर्थन का लक्ष्य है। ○ हालाँकि, लक्ष्य वर्ष से केवल पाँच वर्ष पहले, अभी भी 12 देश ऐसे हैं जिन्हें इस महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज़ का अनुमोदन करना बाकी है। • बोत्सवाना, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, मिस्र, इरिट्रिया, मेडागास्कर, मोरक्को, नाइजर, सोमालिया और सूडान को अपनी प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने और अपने देश में महिलाओं और लड़कियों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए मापुटो प्रोटोकॉल की पुष्टि करने की तुरंत आवश्यकता है। • मापुटो प्रोटोकॉल के सभी प्रावधानों के तहत लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को आगे बढ़ाना, राजनीतिक प्रक्रियाओं में समान पहुंच और भागीदारी

	की सुविधा देना, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना शामिल है। • पिछले दो दशक (2003-2022) में, लगभग सभी देशों में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) कम रही है। • 24 देशों में श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है। (महिला रोजगार) • महिलाओं के आर्थिक अधिकार और अवसर तथा सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा तक पहुंच संघर्ष, कोविड-19, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे बाहरी कारकों से काफी प्रभावित होती है। • कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने बाल विवाह को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को धीमा कर दिया है। • महामारी ने मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को भी तनावपूर्ण और दबावग्रस्त कर दिया था। • राजनीतिक और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है। **मापुटो प्रोटोकॉल के बारे में:-** • यह अफ्रीका में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेज़ है। • अपनाया गया: जुलाई 2003 से • यह मोज़ाम्बिक में अपनाया गया • द्वारा अपनाया गया: अफ्रीकी संघ (एयू) • अनुसमर्थन (Ratification): 55 सदस्य देशों में से 44 ने प्रोटोकॉल की पुष्टि की है या उसमें शामिल हुए हैं। • **उद्देश्य:** प्रोटोकॉल के तहत अफ्रीकी राष्ट्रों को अफ्रीका में महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को खत्म करने और पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। • **महत्व:-** ○ यह एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अफ्रीकी सरकार को जवाबदेह बनाता है। ○ यह एक व्यापक कानूनी ढांचा है जो महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अफ्रीकी सरकार को जवाबदेह बनाता है। ○ यह महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, पुरुषों के साथ सामाजिक और राजनीतिक समानता, उनके प्रजनन स्वास्थ्य निर्णयों में बेहतर स्वायत्तता और महिला जननांग विकृति को समाप्त करने का अधिकार भी देता है। ○ प्रोटोकॉल को महिलाओं के अधिकारों के लिए दुनिया के सबसे प्रगतिशील कानूनी ढांचे में से एक माना जाता है। ○ यह अफ्रीकी संघ (एयू) में सर्वाधिक अनुसमर्थित उपकरणों में से एक है। **(भारत-अफ्रीका: चुनौतियाँ और आगे की राह)** **अवश्य पढ़ें:** वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2021 **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
सूडान संघर्ष	**संदर्भ:** सूडान के ब्लू नाइल या दारफुर क्षेत्रों में हाल के संघर्षों के कारण देशव्यापी विस्थापन हुआ है। **इसके बारे में:-**

- अप्रैल 2023 में हुआ संघर्ष सूडान के दो प्रमुख गुटों के बीच सत्ता संघर्ष है, जिसके कारण हिंसा भड़क उठी।
- यह संघर्ष रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के अर्धसैनिकों और सूडानी सैन्य बलों के बीच है।
- **संघर्ष का कारण:-**
  - **वर्ष 2019:** व्यापक विरोध के बाद अप्रैल 2019 में सैन्य जनरलों द्वारा लंबे समय से राष्ट्रपति पद पर काबिज उमर अल-बशीर को उखाड़ फेंकना सूडान में संघर्ष का कारण है।
  - **वर्ष 2021:** हालाँकि सेना ने अक्तूबर 2021 में अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्त्व वाली संक्रमणकालीन सरकार को उखाड़ फेंका, बुरहान देश के वास्तविक नेता बन गए और दगालो उनके सेकंड-इन-कमांड बन गए।
  - वर्तमान लड़ाई RSF द्वारा पूर्व सरदार जनरल मोहम्मद हमदान दगालो, जिन्हें हेमेदती के नाम से भी जाना जाता है, का समर्थन करने के कारण है, जबकि सूडानी सैन्य बल जनरल अब्देल फतह अल-बुरहान का समर्थन कर रहे हैं, जो देश के वास्तविक शासक हैं।
- **संघर्ष का वर्तमान प्रभाव:-**
  - इसके परिणामस्वरूप लाखों आंतरिक और सीमा पार विस्थापित हुए।
  - यह लड़ाई शुरू में उत्तरी और खार्तूम राज्यों के शहरों में हुई, जो बाद में दारफुर और कोर्डोफन राज्यों में फैल गई। **(सूडान का दारफुर क्षेत्र)**
  - खार्तूम राज्य उच्चतम स्तर के आंतरिक विस्थापन का अनुभव कर रहा है।

भारत और सूडान संघर्ष:-

- सूडान में लगभग 2,800 भारतीय नागरिक हैं, और देश में लगभग 1,200 बसे हुए भारतीय समुदाय है।
- भारत ने 2023 में ऑपरेशन कावेरी शुरू किया। (मिशन सागर - II के तहत भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत पोर्ट सूडान में प्रवेश करना)
- **ऑपरेशन कावेरी:** सेना और प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के बीच सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के भारत के निकासी प्रयास का एक कोड नाम है।
- इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के आईएनएस सुमेधा, एक गुप्त अपतटीय गश्ती जहाज, और जेद्दा में स्टैंडबाय पर दो भारतीय वायु सेना C-130J विशेष संचालन विमानों की तैनाती शामिल है।

अवश्य पढ़ें: सूडान और इज़राइल संबंधों को सामान्य बनाने पर सहमत हुए

स्रोत: डाउन टू अर्थ

काला सागर अनाज पहल	**संदर्भ:** हाल ही में, भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया है।

पृष्ठभूमि:-

- भारत की प्रतिक्रिया रूस की घोषणा के बाद आई कि वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले समझौते के कार्यान्वयन को समाप्त कर रहा है जिसने यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज और संबंधित खाद्य पदार्थों और उर्वरकों के निर्यात की अनुमति दी थी।

इसके बारे में:-

- यह वर्ष 2022 में हस्ताक्षरित हुआ।
- इस्तांबुल में हस्ताक्षर किये गये।
- यह सौदा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और तुर्की की मध्यस्थता में हुआ।
- **उद्देश्य:** अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके दुनिया के 'ब्रेडबास्केट' में रूसी कार्यों के कारण आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से उत्पन्न खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को सीमित करना।
- **समय अवधि:** प्रारंभ में यह 120 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित की गई थी।
- यह यूक्रेन से खाद्यान्न के निर्यात के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करता है।

सौदे की आवश्यकता:-

- यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक है।
- हालाँकि, जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, दोनों देशों से अनाज, भोजन और उर्वरकों के निर्यात पर काफी असर पड़ा है।
- आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ीं।
- इससे कुछ देशों में पहले से मौजूद खाद्य संकट का बोझ और बढ़ गया।
- इस संकट से निपटने और चल रहे युद्ध के बीच आपूर्ति की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने 22 जुलाई 2022 को काला सागर अनाज पहल की मध्यस्थता की।
- केंद्रीय विचार अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके बाजारों को शांत करना था, जिससे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को सीमित किया जा सके।

काला सागर के बारे में:-

- **स्थान:** यह अटलांटिक महासागर में पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच है।
- **प्रमुख नदियाँ:** डेन्यूब, नीपर और डॉन।
- **सीमावर्ती देश:** बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रूस, तुर्की और यूक्रेन।

काला सागर के आसपास महत्वपूर्ण जल निकाय:-

- काला सागर अंततः तुर्की जलडमरूमध्य और एजियन सागर के माध्यम से भूमध्य सागर में मिलता है।

- बोस्पोरस जलडमरूमध्य: काला सागर को मरमारा सागर से जोड़ता है।
- डार्डानेल्स जलडमरूमध्य: मार्मारा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है।
- केर्च जलडमरूमध्य: काला सागर को आज़ोव सागर से जोड़ता है।

अवश्य पढ़ें: 'मोस्कवा' और काला सागर का नुकसान

स्रोत: AIR

अर्थव्यवस्था

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA)

संदर्भ: हालिया रिपोर्टों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात मार्च 2023 में 10 साल के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर गिर गया है।

पृष्ठभूमि:-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात गिरकर 10 साल के निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

इसके बारे में:-

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए): NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफाल्ट रुप में हैं अथवा मूलधन या ब्याज़ के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।
- सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) एक पूर्ण राशि है।
- शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनएनपीए) अनुपात घटकर 1 प्रतिशत रह गया।
    - **NNPA:** यह वह प्रावधान राशि है जो गैर-निष्पादित संपत्तियों से घटाने के बाद वसूल की जाती है
    - सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ - प्रावधानीकरण = शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ।
- यह किसी विशेष तिमाही या वित्तीय वर्ष, जैसा भी मामला हो, में बैंक के लिए सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य बताता है।
- GNPA अनुपात बैंक की कुल सकल गैर-निष्पादित संपत्तियों और कुल ऋणों का अनुपात है।
- **इंटरप्रेटशन (Interpretation):** बहुत अधिक जीएनपीए का मतलब है कि संस्थान की संपत्ति की गुणवत्ता खराब स्थिति में है।
- **महत्व:** जीएनपीए अनुपात अनुमान व्यापक आर्थिक माहौल से उत्पन्न होने वाले अप्रत्याशित झटकों के प्रति बैंकों की लचीलेपन का आकलन करने के लिए है।

एनपीए के प्रकार:-

- **स्टैंडर्ड संपत्तियां:** ऐसी संपत्तियां जो सामान्य जोखिम रखती हैं और शब्द के वास्तविक अर्थ में एनपीए नहीं हैं।
    - स्टैंडर्ड परिसंपत्तियों के लिए किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सब स्टैंडर्ड:** ऐसी परिसंपत्ति है जिसका पुनर्भुगतान बारह महीने तक नहीं किया जाता है।
- **संदिग्ध परिसंपत्तियाँ:** वह परिसंपत्ति जो 12 महीने से अधिक की अवधि के लिये गैर-निष्पादक रही है।
- **नुकसान वाली परिसंपत्तियाँ:** ये परिसंपत्तियाँ बैंक, लेखा परीक्षक या निरीक्षक द्वारा पहचाने गए घाटे वाले ऋण हैं जिन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिये।

एनपीए में वृद्धि के प्रभाव:-

- ऋणदाताओं को लाभ मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ता है।

	• बैंकिंग क्षेत्र में तनाव के कारण अन्य परियोजनाओं को निधि देने के लिए कम धन उपलब्ध होता है, इसलिए, बड़ी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। • इसमें लाभ मार्जिन बनाए रखने के लिए बैंकों द्वारा उच्च ब्याज दरें होती है। • चूंकि निवेश फसने से परिणाम बेरोजगारी हो सकता है। • इसमें निवेशकों को उचित रिटर्न नहीं मिलता। • बैंकों और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों ने बैलेंस शीट पर जोर दिया है, जिससे निवेश आधारित विकास प्रक्रिया रुक गई है। • एनपीए से संबंधित मामले न्यायपालिका के पास पहले से लंबित मामलों पर और अधिक दबाव डालते हैं। **अवश्य पढ़ें:** आरबीआई ने बैंकों के लिए संशोधित पीसीए ढांचा जारी किया **स्रोत:** AIR
विश्व निवेश रिपोर्ट 2023	**संदर्भ:** हाल ही में विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई। **विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के बारे में:-** • **द्वारा प्रकाशित:** व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)। • **उद्देश्य:** यह विश्व भर में, क्षेत्रीय और देश स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के रुझान और विकास में इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपायों पर केंद्रित है। **मुख्य निष्कर्ष:-** • भारत और आसियान में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि दर्ज की गई। (FDI नीति परिवर्तन और सरकारी पहल) • विकासशील देशों में FDI प्रवाह अधिक था। • चीन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा FDI मेजबान देश, में 5% की वृद्धि देखी गई। • **खाड़ी क्षेत्र:** एफडीआई में गिरावट आई, लेकिन परियोजना घोषणाओं की संख्या दो-तिहाई बढ़ गई। • कई छोटे विकासशील देशों में प्रवाह स्थिर रहा, और सबसे कम विकसित देशों (LDC) में एफडीआई में गिरावट आई। ○ **LDC:** संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध विकासशील देश जो सामाजिक-आर्थिक विकास के सबसे कम संकेतक प्रदर्शित करते हैं। • नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय निवेश में अधिकांश वृद्धि विकसित देशों में केंद्रित रही है। • सतत विकास लक्ष्यों के सभी क्षेत्रों में निवेश अंतर 2015 के 2.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर प्रति वर्ष 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। • सबसे बड़ा अंतर ऊर्जा, जल और परिवहन बुनियादी ढांचे में है। **व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD)** • **स्थापना:** वर्ष 1964 में • UNCTAD व्यापार और विकास से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अग्रणी संस्था है। • यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतरसरकारी निकाय है। • यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है। • **मुख्यालय:** स्विट्जरलैंड में जिनेवा • **सदस्यता:** इसकी सदस्यता 195 देशों की है।

	○ यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे बड़े में से एक है। **कार्य:-** • यह विकासशील देशों को वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था के लाभ को अधिक निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सहायता करता है। • यह आर्थिक, व्यापार विश्लेषण प्रदान करता है और सर्वसम्मति निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। • यह विकासशील देशों को समावेशी और सतत विकास के लिए व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। **इसके द्वारा प्रकाशित कुछ रिपोर्टें हैं-** • व्यापार और विकास रिपोर्ट • विश्व निवेश रिपोर्ट • सबसे कम विकसित देशों की रिपोर्ट • सूचना और अर्थव्यवस्था रिपोर्ट • प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट • वस्तुएँ और विकास रिपोर्ट **अवश्य पढ़ें:** भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)	**संदर्भ:** हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आलू की किस्म के लिए उसके बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रमाणपत्र को निरस्त करने के आदेश के खिलाफ पेप्सिको की याचिका खारिज कर दी। **पृष्ठभूमि:-** • दिल्ली उच्च न्यायालय ने 5 जुलाई, 2023 को पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स (पीआईएच) द्वारा 2021 के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसने कंपनी को आलू की किस्म (FL-2027) के लिए दिए गए PVP (प्लांट वेरिएटल प्रोटेक्शन) प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। (पेप्सिको बनाम पोटैटो फार्मर) • लेस पोटैटो चिप्स (Lays potato chips) में इस्तेमाल होने वाले आलू की FL-2027 किस्म अप्रैल 2019 में सुर्खियों में आई, जब यह उत्तरी गुजरात के आलू बेल्ट में लड़ाई का केंद्र बिंदु बन गई। • यह आरोप लगाते हुए कि जो किसान इसके "सहयोगी कृषि कार्यक्रम" का हिस्सा नहीं थे, वे भी गुजरात में इस किस्म को उगा और बेच रहे थे, पेप्सिको ने किसानों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए थे। **FL 2027 के बारे में:-** • यह आलू की एक किस्म है। • इसका व्यावसायिक नाम FC-5 है। • इसमें अन्य किस्मों की तुलना में नमी की मात्रा 5 प्रतिशत कम होती है। • इसमें सामान्य 85 प्रतिशत की तुलना में 80 प्रतिशत नमी सामग्री के साथ, इस किस्म को प्रसंस्करण के लिए और इसलिए, आलू के चिप्स जैसे स्नैक्स बनाने के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। • FC5 आलू किस्म की खेती सबसे पहले डॉ. रॉबर्ट डब्ल्यू हूप्स ने की थी। उनके पास पूरी दुनिया में सबसे अधिक आलू पेटेंट और आलू किस्म की सुरक्षा है। • FL2027 को 2005 में अमेरिका में पंजीकृत किया गया और 2009 में इसे भारत में व्यावसायिक उपयोग के लिए लाया गया। • पेप्सिको ने तब पंजाब के कुछ किसानों को बायबैक सिस्टम पर किस्म उगाने के लिए लाइसेंस दिए थे।

- बायबैक प्रणाली कंपनी को इन किसानों से पूर्व-निर्धारित दरों पर सभी उपज खरीदने की अनुमति देती है।

- वर्ष 2011 में पेप्सिको ने भारत में आलू की किस्म के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।
- इसे वर्ष 2016 में पंजीकरण प्रदान किया गया था।
- पेप्सी की उत्तरी अमेरिका की सहायक कंपनी फ्रिटो-ले के पास अक्टूबर 2023 तक आलू के पौधे की किस्म FL-2027 का पेटेंट है।
- भारत के लिए, पेप्सी कंपनी ने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण (PPV & FR) अधिनियम, 2001 के तहत जनवरी 2031 तक FC-5 का पेटेंट कराया है।
- ट्रिप्स समझौते को प्रभावी बनाने के लिए भारत में PPVFR अधिनियम, 2001 लागू किया गया है:-
- PPVFR अधिनियम ने ट्रिप्स की मुख्य भावना (main spirit) को बरकरार रखा।
- इस अधिनियम में किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी मजबूत प्रावधान थे।
- यह अधिनियम किसानों को बीज सहित पेटेंट-संरक्षित फसल बोने, उगाने और बेचने की अनुमति देता है, और केवल उन्हें "ब्रांडेड बीज" के रूप में बेचने से रोकता है।
- इसने किसान के लिए तीन भूमिकाओं को मान्यता दी: कृषक, प्रजनक और संरक्षक।
  - कृषक के रूप में, किसान प्लांट-बैक अधिकार के हकदार थे।
  - प्रजनकों के रूप में, किसानों को पादप प्रजनकों के समकक्ष माना गया।
  - संरक्षक के रूप में, किसान राष्ट्रीय जीन फंड (National Gene Fund) से पुरस्कार के हकदार थे।

पेटेंट विवाद मुद्दा:-

- वर्ष 2019 में, पेप्सिको ने आलू की एक ही किस्म की खेती करने के लिए गुजरात के नौ किसानों पर उसके बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया।
- इसने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत कथित पेटेंट उल्लंघन के लिए प्रत्येक किसान से 1 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की।
- हालाँकि, सरकार के साथ चर्चा के बाद पेप्सिको ने जल्द ही मुकदमा वापस ले लिया।

किसानों के तर्क:

- समझौते के अनुसार किसानों ने कहा कि पेप्सिको 45 मिमी से अधिक व्यास वाले आलू एकत्र कर रहा है और किसान अगले वर्ष बुआई के लिए छोटे आलू का स्टॉक कर रहे हैं।
- उन्होंने ज्ञात समूहों और किसान समुदायों से पंजीकृत बीज प्राप्त किए और पिछले चार वर्षों से इन्हें बो रहे थे, और उनका किसी के साथ कोई संविदात्मक समझौता नहीं था।
- PPV & FR अधिनियम की धारा 39(1)(iv) के अनुसार, एक किसान इस अधिनियम के तहत संरक्षित किस्म के बीज सहित अपनी कृषि उपज को बचाने, उपयोग करने, साझा करने या बेचने का हकदार है, बशर्ते कि वह इस अधिनियम के तहत संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज बेचने का हकदार नहीं है। अत: कोई उल्लंघन नहीं हुआ।

ब्रीडर के तर्क (Arguments by breeder):-

- अमेरिका में अगर किसी ने बीज का पेटेंट करा लिया है तो कोई दूसरा किसान उसे नहीं उगा सकता।
- हालाँकि, यह चीज भारत में लागू नहीं होती है।

मामले पर कोर्ट की राय:-

- अदालत ने पाया कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स (पीआईएच) ने विविधता को 'मौजूदा किस्म' के बजाय 'नई किस्म' के रूप में चिह्नित किया था, जो एक फसल किस्म है यह किसी देश में मौजूद है।

	• अयोग्य पंजीकरणकर्ता और अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफलता के आधार पर फैसले को बरकरार रखा गया था। • इनके आधार पर, वर्ष 2021 में आलू की किस्म (FL-2027) के लिए कंपनी को दिए गए PVP (पौधे किस्म संरक्षण) प्रमाणपत्र को निरस्त करने का आदेश दिया गया था। • अत: पेप्सिको द्वारा किसानों पर मुकदमा करना जनहित में नहीं देखा गया। **अवश्य पढ़ें:** पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES)	**संदर्भ:** हालिया रिपोर्टों के अनुसार, SEBI के SCORES प्लेटफॉर्म ने जून में 3,079 शिकायतों का निपटारा किया। **पृष्ठभूमि:-** • सेबी के अनुसार, जून की शुरुआत में, कम से कम 3,141 शिकायतें लंबित थीं और 3,967 नई शिकायतें प्राप्त हुई। **इस प्लेटफॉर्म के बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2011 में • लॉन्च किया गया: SEBI • सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) एक शिकायत निवारण प्रणाली है। • उद्देश्य: यह निवेशकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने और ऐसी शिकायतों के निवारण की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। • ये शिकायतें निवेश सलाहकार, अनुसंधान विश्लेषक, कॉर्पोरेट प्रशासन/सूचीकरण शर्तों, न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता, उद्यम पूंजी निधि और अधिग्रहण/पुनर्गठन से संबंधित हैं। • स्कोर्स कंपनियों के खिलाफ शिकायतों से निपटता नहीं है। • **कानून शामिल:** सेबी अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वहां बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत आने वाले मुद्दों से उत्पन्न होने वाली शिकायतें शामिल है। • **समय सीमा:** शिकायत कार्रवाई की तारीख से एक वर्ष के भीतर स्कोर्स पर दर्ज की जाएगी। • किसी शिकायत के समाधान का औसत समय: 31 दिन **अवश्य पढ़ें:** स्वेट इक्विटी नियम: सेबी **स्रोत:** बिजनेस स्टैंडर्ड
पीएम-मित्र	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम-मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्पादकता बढ़ाएंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अनेक अवसर भी सृजित करेंगे। **पीएम-मित्र के बारे में:-**

- **लॉन्च:** वर्ष 2021 में
    - वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की घोषणा की गई थी और बाद में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी। (पीएम मित्र)
- **मंत्रालय:** कपड़ा मंत्रालय
- **उद्देश्य:** यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को पूरा करने और भारत को वैश्विक कपड़ा मैप पर मजबूती से स्थापित करने की आकांक्षा रखता है।

मुख्य विशेषताएं:-

- 'पीएम मित्र' प्रधानमंत्री के 5एफ (5F) विजन से प्रेरित है। '5एफ' फॉर्मूला में- 'फार्म टू फाइबर; फाइबर टू फैक्ट्री; फैक्ट्री टू फैशन; फैशन टू फॉरेन' (Farm to fibre; fibre to factory; factory to fashion; fashion to foreign) शामिल हैं।
- पीएम मित्र पार्क एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा विकसित किया जाएगा जिसका स्वामित्व सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में राज्य सरकार और भारत सरकार के पास होगा। (पीएम मित्र पार्क)
- **पार्क में होगा:-**
    - मुख्य अवसंरचना: इनक्यूबेशन सेंटर और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री साइट, सड़क, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और सीईटीपी और अन्य संबंधित सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर, परीक्षण केंद्र आदि।
    - सहायक अवसंरचना: श्रमिकों के छात्रावास और आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, भंडारण, चिकित्सा, प्रशिक्षण और कौशल विकास सुविधाएं।
- पीएम मित्र पार्क में कपड़ा विनिर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिए प्रत्येक पीएम मित्र पार्क को 300 करोड़ रूपये की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रोत्साहन सहायता (सीआईएस) भी प्रदान की जाएगी।

लाभ :-

- पीएम मित्र पार्क का लक्ष्य विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।
- वे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेंगे और कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देंगे।
- पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करते हैं।

	• एक ही स्थान पर एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला से उद्योग की लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाएगी। • प्रति पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करने का इरादा है। • 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क का उद्देश्य भारत को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 9 को प्राप्त करने में मदद करना है: जिसमें "लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्थायी औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना" शामिल है। **अवश्य पढ़ें:** भारत में कपड़ा उद्योग **स्रोत:** AIR
स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) प्रणाली	**संदर्भ:** भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) प्रणाली पर एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। **पृष्ठभूमि:-** • भारतीय रिज़र्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। • **उद्देश्य:** दोनों देशों के बीच सीमा पार लेनदेन में क्रांतिकारी बदलाव लाना। **इसके बारे में:-** • स्थानीय मुद्रा निपटान (एलसीएस) प्रणाली निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम बनाती है। • भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एलसीएस प्रणाली द्विपक्षीय व्यापार में भारतीय रुपये और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के उपयोग की अनुमति देती है। • यह भारत की पहली एलसीएस व्यवस्था है। • इस नवोन्मेषी प्रणाली से लेनदेन लागत और प्रसंस्करण समय पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। • अनुमान है कि इसका वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, स्थानीय मुद्राओं के उपयोग और अधिक वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। • इससे स्थानीय मुद्राओं पर निर्भरता बढ़ेगी। • एलसीएस प्रणाली सीमा पार लेनदेन के लिए एक निर्बाध और कुशल तंत्र प्रदान करती है। **(भारत-यूएई और एफटीए)** • यह अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं पर निर्भरता कम करता है और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। • यह विभिन्न स्थानीय मुद्रा परिसंपत्तियों, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों और इक्विटी बाजारों में निवेश के लिए स्थानीय मुद्राओं में अधिशेष शेष के उपयोग को सक्षम करेगा, जिससे विकास और सहयोग के नए मार्ग तैयार होंगे। • यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) द्वारा पहले से स्थापित तरजीही शर्तों को बढ़ाएगा, जिससे व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर आएंगे। ○ **CPEA:** यह दो देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें सेवाओं और निवेश में व्यापार पर चर्चा शामिल है, और दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और सुधारने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। (भारत और यूएई के बीच सीईपीए) • यह व्यवस्था निवेश और प्रेषण को भी बढ़ावा देता है। **अवश्य पढ़ें:** भारत-यूएई संबंध **स्रोत:** AIR
निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट	**संदर्भ:** हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की। **इसके बारे में:-**

- द्वारा जारी: उपाध्यक्ष, नीति आयोग
- यह निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) का तीसरा संस्करण है।
- EPI एक व्यापक उपकरण है जो भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को मापता है। (निर्यात तैयारी सूचकांक 2021)

रिपोर्ट के उद्देश्य:-

- किसी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की निर्यात तैयारियों की एक व्यापक ढांचा प्रस्तुत करना।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की उपलब्धियों को उजागर करना और उनके बीच सहकर्मी शिक्षण को प्रोत्साहित करना।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बनाए रखना।

मूल्यांकन प्रक्रिया:-

- ईपीआई चार स्तंभ - नीति, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन - में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के प्रदर्शन का आकलन करता है।
- प्रत्येक स्तंभ उप-स्तंभों से बना है, जो प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करके राज्य के प्रदर्शन को कैप्चर करता है।

नीति स्तम्भ

- यह राज्य और जिला स्तर पर निर्यात-संबंधित नीति पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ पारिस्थितिकी तंत्र के आसपास के संस्थागत ढांचे को अपनाने के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।

रिपोर्ट का महत्व:-

- यह देश के क्षेत्र-विशिष्ट निर्यात प्रदर्शन का अवलोकन देता है।
- यह देश में हमारे जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला-स्तरीय विश्लेषण करता है।
- यह सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की शक्ति और कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात-संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करता है।

निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:-

- रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2012 में मौजूदा वैश्विक व्यापार संदर्भ के बीच भारत के निर्यात प्रदर्शन पर चर्चा की गई है। (निर्यात तैयारी सूचकांक 2020)
- इसमें तटीय राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता:** तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्य हैं।
- तटीय राज्यों का उच्च औसत उनकी बेहतर तैयारियों और राष्ट्रीय निर्यात में उच्च योगदान को दर्शाता है।
- देश के 73 प्रतिशत जिलों में निर्यात कार्य योजना है, और 99 प्रतिशत से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आते हैं।
    - एक जिला एक उत्पाद योजना: इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले (एक जिला - एक उत्पाद) से कम से कम एक उत्पाद का चयन करना, ब्रांड बनाना और बढ़ावा देना है। (एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी)
    - इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- देश के 100 जिले देश के लगभग 87 प्रतिशत निर्यात के लिए जिम्मेदार हैं।
- पर्याप्त परिवहन कनेक्टिविटी का अभाव: रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि हवाई कनेक्टिविटी की अनुपस्थिति विशेष रूप से भूमि से घिरे राज्यों में माल की आवाजाही में बाधा डालती है।

	• **रिपोर्ट की सिफ़ारिशें:-**
	  ○ जो राज्य निर्यात कमीशन के मामले में पिछड़ रहे हैं, केंद्र सरकार को उनके निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम बनाने के लिए समर्थन देना चाहिए।
	  ○ भारतीय राज्यों को बाज़ार-विशिष्ट उत्पाद के विकास और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए शोध और विकास में निवेश करने की आवश्यकता है।
	अवश्य पढ़ें: भारत का कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात
	स्रोत: AIR

अग्रिम प्राधिकरण योजना	**संदर्भ:** हाल ही में, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की।
	पृष्ठभूमि:-
	• DGFT ने पिछले वर्षों में तय किए गए तदर्थ मानदंडों का एक उपयोगकर्ता-अनुकूल और खोज योग्य डेटाबेस बनाया है।
	• इन मानदंडों का उपयोग किसी भी निर्यातक द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 में उल्लिखित मानक समिति की समीक्षा की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है।
	• डेटाबेस को DGFT वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।
	इसके बारे में:-
	• यह एक प्रकार की शुल्क छूट योजना है।
	• **लॉन्च:** इसे भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत प्रस्तुत किया गया था।
	• **उद्देश्य:** भारत के उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना।
	• इस योजना के तहत, निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल/इनपुट पर आयात शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।
	• इनपुट की पात्रता इनपुट-आउटपुट मानदंडों के आधार पर सेक्टर-विशिष्ट मानदंड समितियों द्वारा निर्धारित की जाती है।
	• किसी दिए गए उत्पाद के लिए अनुमत इनपुट की मात्रा उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है, जो विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न अपशिष्ट पर विचार करती है।
	• DGFT मानक इनपुट-आउटपुट मानदंडों (SION) की क्षेत्र-वार सूची प्रदान करता है जिसके तहत निर्यातक आवेदन करना चुन सकते हैं।
	  ○ वैकल्पिक रूप से, निर्यातक उन मामलों में अपने स्वयं के तदर्थ मानदंडों के लिए आवेदन कर सकते हैं जहां SION निर्यातक के लिए उपयुक्त नहीं है।
	• **आवेदन करने के लिए आवश्यक शर्तें:**
	  ○ अग्रिम प्राधिकरण योजना के लिए आवेदन करने के लिए, एक आयात-निर्यात कोड (आईईसी) की आवश्यकता होती है।
	  ○ अन्य पूर्वापेक्षाएँ विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तिका के अध्याय 4 में उल्लिखित हैं।
	अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत छूट:-
	• अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत, मूल सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, सामाजिक कल्याण उपकर, एंटी-डंपिंग शुल्क, काउंटरवेलिंग शुल्क और सुरक्षा शुल्क से छूट दी गई है।
	• IGST और मुआवजा उपकर से भी छूट दी गई है।
	अग्रिम प्राधिकरण योजना के लिए पात्रता:-
	• DGFT एडवांस लाइसेंस का लाभ निर्माता निर्यातक या व्यापारी निर्यातक द्वारा सहायक निर्माता के लिंक के

	साथ उठाया जा सकता है। • यह उन परियोजनाओं के उप-ठेकेदारों के लिए भी उपलब्ध है जहां संयुक्त राष्ट्र या अन्य सहायता कार्यक्रमों को आपूर्ति के मामले में उप-ठेकेदार का नाम अनुबंध में दिखाई देता है। • इस प्रकार के अनुबंधों के लिए भुगतान स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाना चाहिए। • यह शर्तों के अधीन, भौतिक निर्यात के लिए जारी किया जाता है, जिसमें SEZ को निर्यात, मध्यवर्ती आपूर्ति और जहाजों/विमान पर स्टोर की आपूर्ति शामिल है। **विदेश व्यापार महानिदेशालय के बारे में** • स्थापना: वर्ष 1991 में • मुख्यालय: नई दिल्ली • मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय • अध्यक्षता: विदेश व्यापार महानिदेशक • उद्देश्य: भारत के निर्यात को बढ़ावा देना **DGCI के कार्य:-** • आयात और निर्यात का लाइसेंस देना • निर्यात और आयात को विनियमित, प्रतिबंधित या निषेध करना। (मुक्त व्यापार समझौत) • भारत में सभी निर्यातकों और आयातकों का संपूर्ण डेटाबेस उपलब्ध कराना। • इसके पास आयातकों और निर्यातकों को प्रतिबंधित, निषेध और विनियमित करने का अधिकार है। • यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्यों से संबंधित नीतिगत उपायों पर सरकार के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। • यह विदेश व्यापार नीति तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। **(नई विदेश व्यापार नीति)** • यह निर्यातकों को स्क्रिप/प्राधिकरण भी जारी करता है और उनके संबंधित दायित्वों की निगरानी करता है। **अवश्य पढ़ें:** सशर्त बाज़ार प्राधिकरण **स्रोत:** पीआईबी
नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF)	**संदर्भ:** हाल ही में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनसीसीएफ) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) को 70 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचने का निर्देश दिया। **पृष्ठभूमि:-** • NCCF और NAFED द्वारा खरीदे गए टमाटरों को शुरुआत में 90 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुदरा बेचा गया था और फिर 16 जुलाई से घटाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया था। • 70 रुपये प्रति किलो की कटौती से उपभोक्ताओं को और फायदा होगा। **नेशनल को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NCCF) के बारे में** • **स्थापित:** 1965 में • **मंत्रालय:** उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। • **मुख्यालय:** नई दिल्ली • NCCF देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय है। (भारत का सहकारी क्षेत्र) • यह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है।

	• **हिस्सेदारी:** भारत सरकार की हिस्सेदारी 65.42% है। **NCCF के उद्देश्य:-** • इनके संचालन और प्रबंधन दक्षता में सुधार और वृद्धि के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना। • कर्मचारियों के कैडर के गठन को बनाना और बढ़ावा देना। • सेमिनार, सम्मेलन और बैठकें आयोजित करना और प्रचार, प्रसार और इसी तरह की अन्य गतिविधियाँ करना। • सरकारी एजेंसियों और सहकारी संगठनों सहित निर्माताओं, इनके अधिकृत वितरकों और आपूर्तिकर्ताओं/डीलरों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करना। • कृषि वस्तुओं का आयात और निर्यात करना। • अपने सदस्य संस्थानों के लाभ के लिए आवश्यक विपणन संबंधी जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना। • उपभोक्ता वस्तुओं के जाँच के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना। • केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री, भंडारण और वितरण के उद्देश्य के लिए केंद्र/राज्य सरकार या उपक्रम/निगम या सहकारी संस्थानों या किसी व्यावसायिक उद्यम के एजेंट के रूप में कार्य करना। **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)** • स्थापना: वर्ष 1958 में • मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय • मुख्यालय: नई दिल्ली • यह भारत में कृषि उपज के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। • यह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत है। • उद्देश्य: किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। • • खेतिहर किसान NAFED के मुख्य सदस्य हैं। ○ उन्हें NAFED के कामकाज में सामान्य निकाय के सदस्यों के रूप में बोलने का अधिकार है। **अवश्य पढ़ें:** प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) **स्रोत:** AIR
पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)	**संदर्भ:** मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (डीएएचडी) ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। **AHIDF की क्रेडिट गारंटी योजना के बारे में:-** • क्रेडिट गारंटी योजना गैर-सेवित और अल्प-सेवित पशुधन क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। • इसका उद्देश्य ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत करना और पशुधन क्षेत्र में लगे उद्यमियों के लिए वित्त तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। (डेयरी सहकारी समितियां) • **कार्यान्वयन एजेंसी:** पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)। • **उद्देश्य:** संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता के बिना पशुधन क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का समर्थन करना। • **फंडिंग:** 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, जो ऋण देने वाले संस्थानों द्वारा पात्र MSME को दी जाने

	वाली 25 प्रतिशत तक क्रेडिट सुविधाओं को कवर करता है। • नाबार्ड की सहायक कंपनी एनएबी संरक्षण ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में गठित ट्रस्ट, AHIDF योजना के तहत एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी सुनिश्चित करता है। (विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज) **योजना की मुख्य विशेषताएं:-** • ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट। • किसी भी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण। **पात्रता:-** • यह योजना समाज के वंचित वर्गों को लक्षित करती है, जिसमें पहली पीढ़ी के उद्यमी और वंचित व्यक्ति शामिल हैं, जिनके पास प्रायः अपने उद्यमों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा की कमी होती है। **लाभ:-** • वित्तीय सहायता तक पहुंच प्रदान करके, यह पशुधन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है। • इनमें डेयरी और मांस प्रसंस्करण, पशु चारा संयंत्र, नस्ल सुधार तकनीक, अपशिष्ट प्रबंधन और पशु चिकित्सा वैक्सीन और दवा निर्माण सुविधाएं जैसे क्षेत्र शामिल हैं। **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के बारे में:-** • **लॉन्च:** वर्ष 2021 में • **मंत्रालय:** मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** पशुपालन एवं डेयरी विभाग। • यह कृषि और पशुपालन क्षेत्र में AHIDF की क्रेडिट गारंटी योजना के तहत देश का पहला फंड ट्रस्ट है। **AHIDF का उद्देश्य:-** • दूध और मांस प्रसंस्करण क्षमता (meat processing capacity) और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करना जिससे असंगठित ग्रामीण दूध और मांस उत्पादकों को संगठित दूध और मांस बाजार तक अधिक पहुंच प्रदान की जा सके। • उत्पादक के लिए बढ़ी हुई कीमत रिकवरी उपलब्ध कराना। • घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दूध और मांस उत्पाद उपलब्ध कराना। • देश की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन युक्त गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता के उद्देश्य को पूरा करना और विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से कुपोषण को रोकना। • उद्यमिता विकसित और रोजगार पैदा करना। • दूध और मांस क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यात योगदान को बढ़ाना। • गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गीपालन को सस्ती कीमतों पर संतुलित राशन उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण केंद्रित पशु आहार उपलब्ध कराना। **अवश्य पढ़ें:** पशुधन प्रजनन में सुधार **स्रोत:** बिजनेस स्टैंडर्ड
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)	**संदर्भ:** राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) में सतत पशुधन परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। **इसके बारे में:-** • **स्थापना:** वर्ष 1965 में

	• **मंत्रालय:** मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। • **मुख्यालय:** आनंद, गुजरात, भारत। • **उद्देश्य:** शोषण को सशक्तीकरण से बदलना, आधुनिकता के साथ परंपरा, विकास के साथ ठहराव, भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के लिए डेयरी को एक साधन में बदलना। • NDDB संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना डॉ. वर्गीस कुरियन ने की थी। **NDDB की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • इसे शुरुआत में सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में गठित किया गया था। • इसे बाद में पूर्व भारतीय डेयरी निगम के साथ विलय कर दिया गया, जिसे एनडीडीबी अधिनियम 1987 द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बनाया और पंजीकृत किया गया था, जो 12 अक्टूबर 1987 को प्रभावी हुआ। **NDDB का महत्व:-** • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना: NDDB की पहल ने लाखों दूध उत्पादकों के लिए डेयरी को एक व्यवहार्य और लाभदायक व्यवसाय बनाकर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल दिया। (महिला एवं सहकारी डेयरी फार्मिंग) • **दीर्घकालिक आजीविका:** NDDB डेयरी किसानों तक पहुंचता है और उन्हें वैकल्पिक आय-सृजन के अवसर प्रदान करता है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक आजीविका बनाने की अनुमति मिलती है। • NDDB किसानों की सहायता करने के साथ-साथ दूध और दूध उत्पादों के बाजार पर कब्जा करने के लिए डेयरी किसानों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव को आधुनिक प्रबंधन रणनीतियों के साथ जोड़ने में प्रभावी रहा है। • **ऑपरेशन फ्लड:** इसकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि ऑपरेशन फ्लड है, जो 26 वर्षों तक चली और भारत को दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। (राष्ट्रीय डेयरी योजना) ○ श्वेत क्रांति इसी का दूसरा नाम है। ○ **ऑपरेशन फ्लड:** यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। ○ इसने एक राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड की स्थापना की, जिसने देशभर के किसानों को 700 से अधिक कस्बों और शहरों में ग्राहकों से जोड़ा, मौसमी और क्षेत्रीय मूल्य निर्धारण अंतर को कम किया और यह गारंटी दी कि बिचौलियों को हटाकर उत्पादकों को लाभ का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। **अवश्य पढ़ें:** डेयरी सहकारी समितियाँ **स्रोत**: टाइम्स ऑफ इंडिया
संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन (RECEIC)	**संदर्भ:** हाल ही में संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन (RECEIC) लॉन्च किया गया था। **पृष्ठभूमि:-** • RECEIC को चेन्नई, तमिलनाडु में चौथे पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक के दौरान साइड इवेंट में लॉन्च किया गया था। • इसकी संकल्पना भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत की गई थी। **इसके बारे में:-** • लॉन्च किया गया: वर्ष 2023 में। • यह चेन्नई (तमिलनाडु) में लॉन्च किया गया। • द्वारा: माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव।

	• इसे यूरोपीय संघ के पर्यावरण आयुक्त और कनाडा, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात के माननीय मंत्रियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था।
	• यह एक उद्योग-संचालित पहल है जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर संसाधन दक्षता और परिपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
	  ○ **चक्रीय अर्थव्यवस्था:** यह उत्पादन और उपभोग का एक मॉडल है, जिसमें मौजूदा सामग्रियों और उत्पादों को यथासंभव लंबे समय तक साझा करना, पट्टे पर देना (leasing), पुन: उपयोग करना (reusing), मरम्मत करना, नवीनीकरण करना और पुनर्चक्रण करना शामिल है।
	• इस गठबंधन की कल्पना एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में की गई है जो भारत की G20 अध्यक्षता से परे काम करना जारी रखेगी, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।
	• **संस्थापक सदस्य:** 11 विभिन्न देशों में मुख्यालय वाली 39 कंपनियां इसके संस्थापक सदस्यों के रूप में गठबंधन में शामिल हुई हैं।
	• एक सहयोगी मंच के रूप में, RECEIC का लक्ष्य भाग लेने वाले उद्योगों के बीच ज्ञान-साझाकरण, सर्वोत्तम अभ्यास साझाकरण और स्थाई प्रथाओं को सुविधाजनक बनाना है।
	सिद्धांत:-
	• गठबंधन के तीन मार्गदर्शक सिद्धांत हैं -
	  ○ प्रभाव के लिए साझेदारी
	  ○ प्रौद्योगिकी सहयोग
	  ○ पैमाने के लिए वित्त
	अवश्य पढ़ें: भारत की G20 अध्यक्षता
	स्रोत: AIR

विश्व आर्थिक आउटलुक	**संदर्भ:** वर्ष 2023 में IMF ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.1% बढ़ने का अनुमान लगाया है। **रिपोर्ट की मुख्य बातें:-**

Latest World Economic Outlook Growth Projections

(real GDP, annual percent change)	2021	PROJECTIONS 2022	2023
World Output	6.0	3.2	2.7
Advanced Economies	5.2	2.4	1.1
United States	5.7	1.6	1.0
Euro Area	5.2	3.1	0.5
Germany	2.6	1.5	-0.3
France	6.8	2.5	0.7
Italy	6.7	3.2	-0.2
Spain	5.1	4.3	1.2
Japan	1.7	1.7	1.6
United Kingdom	7.4	3.6	0.3
Canada	4.5	3.3	1.5
Other Advanced Economies	5.3	2.8	2.3
Emerging Market and Developing Economies	6.6	3.7	3.7
Emerging and Developing Asia	7.2	4.4	4.9
China	8.1	3.2	4.4
India	8.7	6.8	6.1
ASEAN-5	3.4	5.3	4.9
Emerging and Developing Europe	6.8	0.0	0.6
Russia	4.7	-3.4	-2.3
Latin America and the Caribbean	6.9	3.5	1.7
Brazil	4.6	2.8	1.0
Mexico	4.8	2.1	1.2
Middle East and Central Asia	4.5	5.0	3.6
Saudi Arabia	3.2	7.6	3.7
Sub-Saharan Africa	4.7	3.6	3.7
Nigeria	3.6	3.2	3.0
South Africa	4.9	2.1	1.1
Memorandum			
Emerging Market and Middle-Income Economies	6.8	3.6	3.6
Low-Income Developing Countries	4.1	4.8	4.9

Source: IMF, *World Economic Outlook*, October 2022

Note: For India, data and forecasts are presented on a fiscal year basis, with FY 2021/2022 starting in April 2021. For the October 2022 WEO, India's growth projections are 6.9 percent in 2022 and 5.4 percent in 2023 based on calendar year.

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF.org

- **भारत का विकास अनुमान:** IMF ने 2023 में भारत के लिए 6.1% की विकास दर का अनुमान लगाया है, जो अप्रैल 2023 के अनुमान की तुलना में 0.2 प्रतिशत अंक ऊपर का संशोधन है।
    - यह मजबूत घरेलू निवेश के परिणामस्वरूप 2022 की चौथी तिमाही में उम्मीद से अधिक मजबूत वृद्धि की "गति" को प्रतिबिंबित करता है।
- **वैश्विक अर्थव्यवस्था:** वैश्विक वृद्धि 2022 में अनुमानित 3.5% से गिरकर 2023 और 2024 दोनों में 3% होने का अनुमान है।
- **मुद्रा स्फ़ीति:-**
    - **वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति:** वर्ष 2022 में 8.7% से गिरकर वर्ष 2023 में 6.8% और 2024 में 5.2% होने की उम्मीद है।
    - **अंतर्निहित (मुख्य) मुद्रास्फीति:** इसमें धीरे-धीरे गिरावट का अनुमान है, और वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति के पूर्वानुमानों को ऊपर की ओर संशोधित किया गया है।
- **वित्तीय क्षेत्र:** इसमें उथल-पुथल फिर से शुरू हो सकती है क्योंकि बाजार केंद्रीय बैंकों द्वारा नीति को और सख्त करने के लिए समायोजित हो रहा है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन:-**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी धीमी हो गई है और वैश्विक और घरेलू प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच अनिश्चितता का सामना कर रही है।
    - चीन की रिकवरी धीमी हो सकती है, यह आंशिक रूप से अनसुलझे रियल एस्टेट समस्याओं के परिणामस्वरूप, सीमा के बाहर नकारात्मक प्रभाव के कारण।
- **सीमांत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संबंधी कमज़ोरियाँ:-**
    - सीमांत अर्थव्यवस्थाओं में ऋण कमजोरियों को दूर करने के लिए एक वैश्विक ऋण समाधान पहल की

	आवश्यकता है। ○ संप्रभु ऋण संकट अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक समूह में बढ़ सकता है। • **केंद्रीय बैंकों के नीतिगत उपाय:** ऊंची और लगातार कोर मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों को मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत देना जारी रखना चाहिए। ○ जब तक स्पष्ट संकेत न मिलें कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति कम हो रही है, तटस्थ से ऊपर वास्तविक दरों के साथ एक प्रतिबंधात्मक रुख की आवश्यकता होती है। **विश्व आर्थिक आउटलुक का महत्व:-** **रिपोर्ट प्रदान करती है-** • अपने सदस्य देशों में आर्थिक विकास और नीतियों का विश्लेषण और पूर्वानुमान। • वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। • उन जोखिमों और अनिश्चितताओं को उजागर करना जो विकास को खतरे में डालते हैं। • यह रिपोर्ट उनकी वैश्विक निगरानी गतिविधियों के निष्कर्षों और विश्लेषण को दुनिया भर में प्रसारित करने का मुख्य साधन है। **अवश्य पढ़ें:** IMF बेलआउट

भूगोल

चेंचू जनजाति	**संदर्भ:** हाल ही में, चेंचू आदिवासी, आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान में शामिल हुए। **पृष्ठभूमि:-** • इको-टूरिज्म, प्रकृति पथ, जंगल सफारी और वन्यजीव पर्यटन प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे को लेकर आए। • आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों के ग्रीन वारियर्स (green warriors) बनने के अभियान में मूल चेंचू आदिवासियों को शामिल किया गया है। **चेंचू आदिवासियों के बारे में:-** • चेंचू ओडिशा की एक छोटी प्रवासी वन जनजाति है। • ये काम की तलाश में आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य की सीमाओं पर पलायन करते हैं। • ये एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। ○ **पीवीटीजी:** अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के उस वर्ग का उप-वर्गीकरण है जिसे नियमित अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक असुरक्षित माना जाता है। • **भाषा:** ये चेंचू भाषा में बात करते हैं, जो द्रविड़ भाषा परिवार की है। • **द्रविड़ भाषा परिवार:** एक भाषा परिवार जो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत, पूर्वोत्तर श्रीलंका और दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान में लोगों द्वारा बोली जाती है। ○ इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम शामिल हैं। • **वितरण:** वे वनवासी हैं जिनकी बस्तियाँ या पेंटास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के चार से पाँच जिलों में फैले नल्लामाला वन क्षेत्र में फैली हुई हैं। ○ वे वॉटले डिवाइडर (wattle dividers) वाले छोटे घरों में रहते हैं जो कॉलोनियों की तरह दिखते हैं। ○ ये शानदार पर्वतारोही भी होते हैं। • **विशेषताएं:** इनकी कम ऊंचाई, सिर लंबा, साफ़ माथा और सपाट नाक होती है।

	○ इनका रंग गेहुंए से गहरे भूरे रंग में बदल जाता है, और इनके बाल आबनूस जैसे लहराते होते हैं। ● **व्यवसाय:** इनकी पारंपरिक जीवन शैली शिकार और संग्रहण पर आधारित रही है। ○ ये तम्बाकू के पत्तों, इमली और महुआ के फूलों से पत्तों के कप और पत्तों की प्लेटें बनाते हैं और उन्हें स्थानीय बाजार में बेचते हैं। ○ ये शराब बनाने में भी महुआ के फूल का उपयोग करते हैं। ○ ये बाँस काटने और शहद पकड़ने में भी कुशल होते हैं। **नल्लामाला वन क्षेत्र:** ● पश्चिमी घाट के अलावा, ये दक्षिण भारत में अबाधित जंगल का सबसे बड़ा विस्तार हैं। ● **स्थान:** यह नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित है, जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है। ○ यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। ○ नल्लामाला वन अभ्यारण्य पूर्वी घाट की नल्लामाला पर्वतमाला में स्थित है। ○ वन अभ्यारण्य का एक हिस्सा नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से संबंधित है जो भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ● **जलवायु:** यहाँ वर्ष भर गर्म से गर्म जलवायु रहती है। ○ ग्रीष्म ऋतु विशेष रूप से गर्म होती है और सर्दियाँ अधिकतर ठंडी और शुष्क होती हैं। ○ इसकी अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। ● **वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ● **जीव-जंतु:** बाघ, तेंदुए, काला हिरण, जंगली सूअर, मोर, पैंगोलिन, भारतीय अजगर किंग कोबरा और कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है। **अवश्य पढ़ें:** अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण **स्रोत:** द हिंदू
वॉटर पॉजिटिव इंडिया	**संदर्भ:** हाल ही में, जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) और इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन (आईपीए) ने वॉटर पॉजिटिव इंडिया प्राप्त करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। **पृष्ठभूमि:-** ● समझौता ज्ञापन जागरूकता पैदा करने और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, कम प्रवाह वाले फिक्स्चर और सेनेटरी वेयर, ग्रे एवं ब्लैक वॉटर ट्रीटमेंट और निर्मित संरचानाओं के जल ऑडिट के प्रति जागरूकता बढ़ावा देने पर केंद्रित है। **जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) के बारे में:-** ● **स्थापना:** वर्ष 2022 में ● **मुख्यालय:** नई दिल्ली ● **मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय ● राष्ट्रीय जल मिशन की योजना के तहत जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना की गई है। **जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) के कार्य:-** ● देश में सिंचाई, घरेलू जल आपूर्ति और नगरपालिका और/या औद्योगिक उपयोग में पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और निष्पादित करना। ● जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नियामक निर्देश बनाना। ● जल संरक्षण कोड के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना, कोड का मानकीकरण और विकास करना तथा संबंधित

	अधिकारियों से उनकी अधिसूचना की सुविधा प्रदान करना। • शहरी/ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल का उपयोग करने वाले जल-कुशल फिक्स्चर, उपकरण, सेनेटरी सामान और अन्य उपकरणों के लिए मानक विकसित करना। • दक्षता लेबलिंग की एक प्रणाली विकसित करना। • जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए प्रचारात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करना। • जल उपयोग दक्षता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक संसाधन केंद्र और डेटा बैंक बनाना। • जल संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान सहित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। **इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन (आईपीए)** • **स्थापना:** वर्ष 1993 में • यह देश में प्लंबिंग पेशेवरों का सर्वोच्च निकाय है। **आईपीए के उद्देश्य:-** • सदस्यों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहित करके पेशे की गरिमा को बढ़ाना: ○ सही व्यावसायिक पद्धतियाँ अपनाना। (कैच द रेन जागरूकता सृजन अभियान) ○ नैतिक आचार संहिता का पालन करना। ○ कारीगरी के उच्चतम मानकों का लक्ष्य रखना। • समाज के भीतर स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देना। • **देश में प्लंबिंग सेवाओं की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए:** ○ व्यापार के सदस्यों और आम जनता को शिक्षित करने के लिए सेमिनार, प्रदर्शनियाँ और संगोष्ठियाँ आयोजित करना। ○ प्लंबिंग पेशे से संबंधित मामलों पर जानकारी के प्रसार और विचारों के आदान-प्रदान के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना। ○ प्लंबिंग समुदाय, सरकारी/अर्ध-सरकारी एजेंसियों, वैधानिक निकायों, गैर सरकारी संगठनों और निजी एजेंसियों के बीच बेहतर इंटरफेस की सुविधा के लिए संचार के सामंजस्यपूर्ण साधन स्थापित करना। ○ प्लंबिंग पेशेवर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम स्थापित करना। **आईपीए का मिशन:-** ○ भारत में प्लंबिंग मानकों को फिर से परिभाषित करना। ○ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत में प्लंबिंग पेशे में समग्र सुधार के लिए प्रयास करना। ○ प्लंबिंग पेशे में वैश्विक निकाय के साथ सक्रिय भागीदारी। **अवश्य पढ़ें:** राष्ट्रीय जल नीति **स्रोत:** पीआईबी
उबिनास ज्वालामुखी	**संदर्भ:** हाल ही में, पेरू ने उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की। **इसके बारे में:-** • उबिनास एक सक्रिय स्ट्रैटोवोलकानो है। ○ स्ट्रैटोवोलकानो: यह एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है जो कठोर लावा की कई परतों (स्ट्रैटा) द्वारा निर्मित होता है। • यह दक्षिणी पेरू के मोकेगुआ क्षेत्र में, अरेक्विपा शहर से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। • यह एंडीज़ के मध्य ज्वालामुखी क्षेत्र का हिस्सा है और समुद्र तल से 5,672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

	• ज्वालामुखी के शिखर में 1.4 किलोमीटर चौड़ा और 150 मीटर गहरा काल्डेरा है, जिसके भीतर एक छोटा गड्ढा है। • यह विशिष्ट विशेषता ज्वालामुखी के भूवैज्ञानिक महत्व को बढ़ाती है। • काल्डेरा: यह एक बड़ा कड़ाही जैसा खोखला होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा कक्ष के खाली होने के तुरंत बाद बनता है। • उबिनास I और उबिनास II: ज्वालामुखी ऊपर की ओर बढ़ते हुए शंकु आकार का प्रदर्शन करता है, जिसके दक्षिणी ओर एक उल्लेखनीय पायदान है। • निचले हिस्से को उबिनास I के नाम से जाना जाता है जबकि ऊपरी हिस्से को उबिनास II के नाम से जाना जाता है। • यह ज्वालामुखी के भूवैज्ञानिक इतिहास में विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। • वह क्षेत्र जहां उबिनास स्थित है वह रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। ○ **रिंग ऑफ फायर:** प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र जो अपनी उच्च ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है। **ज्वालामुखीय गतिविधि का इतिहास:-** • उबिनास को पेरू में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। (माउंट सेमेरू में ज्वालामुखी विस्फोट) • इसमें छोटे से मध्यम विस्फोटों और लगातार क्षय का इतिहास रहा है। • **उल्लेखनीय विस्फोट:** ज्वालामुखी ने पूरे इतिहास में उल्लेखनीय विस्फोटों का अनुभव किया है, जिसमें 2006-2007 की घटना भी शामिल है जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट, राख गिरने, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और क्षेत्र में निकासी हुई। • **हाल की गतिविधि:** वर्ष 2013 से 2017 तक, उबिनास ने क्रेटर के भीतर लावा प्रवाह दिखाई दिया, साथ ही राख भी गिरी, जिससे आस-पास के शहरों में और निकासी हुई। **अवश्य पढ़ें:** माउंट मौना लोआ **स्रोत:** AIR
यमुना नदी	**संदर्भ:** यमुना नदी के आसपास के निचले इलाकों से लोगों को निकालने का कार्य किया गया। **परिचय:** • **उत्पत्ति:** इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ○ यमुनोत्री ग्लेशियर: यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दक्षिण-पश्चिमी ढलान या बंदरपूंछ चोटी पर स्थित है। • यमुना प्रयागराज (इलाहाबाद) के पास गंगा नदी में मिलती है। • जल निकासी बेसिन: यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों के साथ बहती है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। • यह उत्तरी मैदानी भाग में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। • **कुल लंबाई:** उद्गम से लेकर इलाहाबाद तक 1,376 किमी है। • यह भारत-गंगा के मैदान में अपने और गंगा के बीच अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़, यमुना-गंगा दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है। • **महत्वपूर्ण शहर:** भागपत, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और इलाहाबाद शहर इसके तट पर स्थित हैं। (सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना)

- **यमुना की सहायक नदियाँ:-**
  - उत्तराखंड के देहरादून के पास यमुना अपनी सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी से मिलती है।
  - **दाएं तट की सहायक नदियाँ:** चंबल, हिंडन, सारदा और गिरि नदियाँ।
  - चंबल नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। (राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य)
  - **बाएं तट की सहायक नदियाँ:** बेतवा और सिंध।

अवश्य पढ़ें: यमुना प्रदूषण

स्रोत: द हिंदू

शेल्फ क्लाउड

संदर्भ: हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार में विस्मयकारी शेल्फ क्लाउड ने सबका ध्यान खींचा है।

पृष्ठभूमि:-

- राजसी बर्फ से ढके पहाड़ जैसे दिखने वाले बादलों वाले वीडियो ने इस असाधारण मौसम की घटना के बारे में जिज्ञासा जगा दी है।

शेल्फ़ क्लाउड के बारे में:-

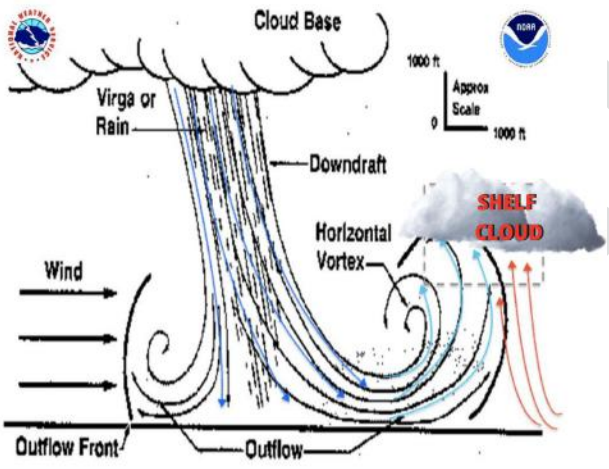

- शेल्फ बादल एक प्रकार के आर्कस बादल हैं जो निचले, क्षैतिज गठन की विशेषता रखते हैं।
  - **आर्कस बादल:** आर्कस बादल एक निचला, क्षैतिज बादल निर्माण है, जो आमतौर पर क्यूम्यलोनिम्बस के सहायक बादल के रूप में दिखाई देता है।
- ये मुख्य बादल आधार के नीचे एक पच्चर के आकार की संरचना के रूप में दिखाई देते हैं और आमतौर पर तूफान के अग्रणी किनारे पर बनते हैं। (बादल फटना)
- ये आसमान से लटकी हुई एक शेल्फ की तरह दिखते हैं।
- 'शेल्फ क्लाउड' एक चौड़ा, निचला बादल है जो एक बड़े तूफान से पहले दिखाई देता है।
- तूफान के भीतर संक्षेपण और बारिश या ओलों की उपस्थिति के कारण वे आमतौर पर काले और अशुभ दिखने वाले होते हैं।
- गरज के साथ उत्पन्न होने वाले शेल्फ बादल हमेशा बादल के आगे शुष्क और ठंडी हवा के झोंके से पहले आते हैं, शेल्फ बादल के ऊपर से गुजरने के बाद बारिश होती है।

शेल्फ बादलों का निर्माण:-

- इनका निर्माण तब होता है जब ठंडी और घनी हवा को हवा द्वारा गर्म वायु द्रव्यमान में धकेल दिया जाता है।
- ऐसा तूफान के डाउनड्राफ्ट के दौरान होता है, जब ठंडी हवा नीचे की ओर बढ़ती है और एक शक्तिशाली झोंके के रूप में फैलती है।

सुरक्षा चिंताएं:-

	• शेल्फ बादल आमतौर पर गरज के साथ संयोजन में पाए जाते हैं, जो तेज हवाएं, भारी वर्षा और बिजली ला सकते हैं। **(आकाशीय बिजली)** • इनकी उपस्थिति अक्सर गंभीर मौसम की स्थिति की संभावना का सुझाव देती है, जिससे सावधानी और तैयारी की आवश्यकता होती है। **अवश्य पढ़ें:** क्लाउड वॉर **स्रोत:** द हिंदू
गोमती नदी	**संदर्भ:** गोमती को 'गैर-बारहमासी नदी' घोषित करने वाले 2020 के आदेश की हाल ही में आलोचना हुई है। **पृष्ठभूमि:-** • उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी तीन साल पुराने सरकारी आदेश (government order-GO) में गोमती को "गैर-बारहमासी नदी" घोषित करने की जल विशेषज्ञों और नदी अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है। • सरकारी आदेश (government order-GO) हाल ही में सामने आया है लेकिन 3 सितंबर, 2020 को जारी किया गया था। **गोमती नदी के बारे में:-** 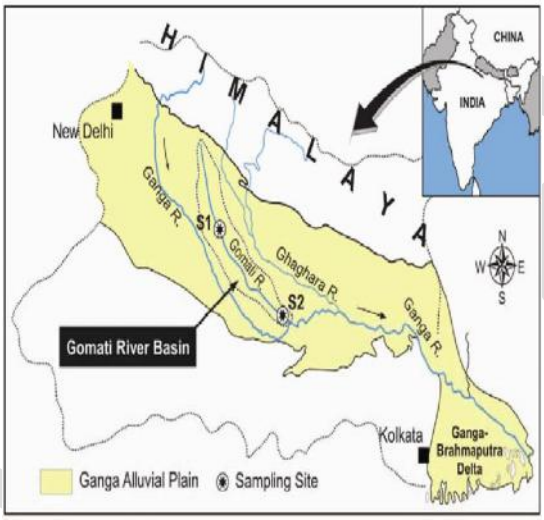 • गोमती गंगा नदी की एक सहायक नदी है। (हिमालयी नदी प्रणाली) • **उद्गम:** इसका उद्गम माधोटांडा में मेनकोट के पास गोमत ताला लेक जिसे फुलहर झील भी कहा जाता है, से होती है। यह उत्तर प्रदेश (यूपी) के पीलीभीत शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। • जल निकासी और अंत: नदी कैथी, गाज़ीपुर जिले में गंगा से मिलने से पहले सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर से होकर बहती है। (लिंकिंग रिवर) **गोमती नदी का पारिस्थितिक महत्व:-** • नदी उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है जिसका वह पोषण करती है। • इसका जल एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है, जो मछली, कछुए और जलपक्षी सहित विभिन्न जलीय प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करता है। • यह नदी बेसिन विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का भी घर है, जिनमें जलमग्न पौधे, तैरती हुई वनस्पति और नदी तट के पेड़ शामिल हैं। • गोमती नदी पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और क्षेत्र के समग्र स्वास्थ्य में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

	सांस्कृतिक महत्व:- • प्राचीन कहानियों और किंवदंतियों से जुड़े होने के कारण इसकी गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ें हैं। • हिंदू पौराणिक कथाओं में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यह एक पवित्र नदी मानी जाती है जो इसके पानी में डुबकी लगाने वालों की आत्मा को शुद्ध कर देती है। • नदी के किनारे कई घाटों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों से युक्त हैं, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। **अवश्य पढ़ें:** गंगा नदी की सफाई **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
गल्फ स्ट्रीम	**संदर्भ:** हाल के अध्ययन में कहा गया है कि अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग करंट (AMOC) जिसका गल्फ स्ट्रीम एक भाग है सदी के मध्य में या 2025 की शुरुआत में ध्वस्त हो सकता है। **पृष्ठभूमि:-** • कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में अध्ययन के लेखक ने कहा कि अन्य वैज्ञानिकों ने अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) के संभावित पतन के बारे में चेतावनी दी थी। ○ **AMOC:** यह अटलांटिक में सक्रिय समुद्री धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है, जो उत्तर और दक्षिण के बीच पानी का संचार करती है। ○ यह पृथ्वी के चारों ओर गर्मी के पुनर्वितरण और वैश्विक जलवायु पैटर्न को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। **गल्फ स्ट्रीम के बारे में:-** • गल्फ स्ट्रीम एक प्रबल महासागरीय धारा है। • यह मेक्सिको की खाड़ी से गर्म पानी को अटलांटिक महासागर में ले जाता है। • **स्थान:** यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के पूर्वी तट तक फैला हुआ है। • **उत्पत्ति:** इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। • **गठन (Formation):** यह मुख्य रूप से कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के गर्म पानी के अभिसरण से बनता है। (अपवेलिंग और डाउनवेलिंग) ○ इसके बाद यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के साथ उत्तर की ओर ट्रेवल्स करता है। • गल्फ स्ट्रीम कई सौ किलोमीटर चौड़ी है। • यह लगभग 2.5 मीटर प्रति सेकंड की औसत गति से प्रवाहित होती है। • गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में धाराओं की एक सामान्य दक्षिणावर्त-घूमने वाली प्रणाली का हिस्सा है।

	• यह उत्तरी अफ्रीका से वेस्ट इंडीज तक जाने वाली उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा द्वारा सिंचित होती है। **गल्फ स्ट्रीम का महत्व:-** • **तापमान विनियमन:** यह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे तटीय क्षेत्र सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। • **समुद्री नेविगेशन:** यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच यात्रा करने वाले जहाजों के लिए तेज़ और कुशल मार्ग प्रदान करता है। • **महासागर परिसंचरण:** गल्फ स्ट्रीम बड़े समुद्री परिसंचरण तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (एएमओसी) के रूप में जाना जाता है। **अवश्य पढ़ें:** गहरे महासागर मिशन (DOM) **स्रोत:** BBC NEWS
बटागाइका क्रेटर	**संदर्भ:** हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि बटागाइका क्रेटर पृथ्वी के लिए एक चेतावनी संकेत हो सकता है। **पृष्ठभूमि:-** • अध्ययन के अनुसार, ढलान के नीचे की मिट्टी में खतरनाक मात्रा में कार्बनिक कार्बन होता है जो पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के साथ वायुमंडल में छोड़ा जाएगा, जिससे ग्रह की गर्मी में और वृद्धि होगी। **बटागाइका क्रेटर के बारे में:-** • बटागाइका क्रेटर, दुनिया का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है। • यह एक किलोमीटर लम्बा है। • **स्थान:** सखा गणराज्य, रूस। • **गहराई:** यह 100 मीटर तक की गहराई तक पहुंचता है। • 1960 के दशक में, वनों की कटाई के बाद भूमिगत पर्माफ्रॉस्ट पिघल गया, जिससे भूमि धँस गई। इन वर्षों में, क्रेटर का केवल विस्तार हुआ है और इसे स्थानीय रूप से 'केव-इन' या 'मेगा-स्लंप' कहा जाता है। • **फार्मेशन:** वैज्ञानिकों का मानना है कि गड्ढा पिघलती हुई पर्माफ्रॉस्ट भूमि का परिणाम है, जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले क्वाटरनरी हिमयुग के दौरान जमी हुई थी। • रूस के सखा गणराज्य में स्थानीय लोग इसे "अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार" कहते हैं। ○ यह शब्द क्रेटर की विशालता और इस तथ्य को दर्शाता है कि यह पृथ्वी के अतीत की झलक पेश करता प्रतीत होता है। • **बटागिका क्रेटर का महत्व:** वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्रेटर पिघलती हुई पर्माफ्रॉस्ट भूमि का परिणाम है, जो 2.58 मिलियन वर्ष पहले क्वाटरनरी हिमयुग के दौरान जमी हुई थी। • हाल के दिनों में देखा गया है कि बटागाइका क्रेटर का विस्तार हो रहा है। **बटागाइका क्रेटर के विस्तार का कारण:-** • बटागाइका क्रेटर के विस्तार को पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हुई घटना है। ○ पर्माफ्रॉस्ट: मिट्टी की एक मोटी उपसतह परत जो पूरे वर्ष हिमांक पॉइंट से नीचे रहती है, यह मुख्य रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। **पर्माफ्रॉस्ट पिघलने के कारण:-** • जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि। ○ मानवीय गतिविधियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने से, वायुमंडल में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस

गैसें उत्सर्जित हुई हैं।
    - ये गैसें गर्मी को रोकती हैं और परिणामस्वरूप जलवायु गर्म होती है, जो सीधे बड़े पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों वाले साइबेरिया जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती है।
- **वनों की कटाई:** इसने पर्माफ्रॉस्ट को सूर्य के प्रकाश के संपर्क में ला दिया, जिससे इसके पिघलने की गति तेज हो गई।
- **अन्य मानवीय गतिविधियाँ:** बुनियादी ढाँचे का विकास, और औद्योगिक गतिविधियाँ, इन जमे हुए परिदृश्यों के नाजुक संतुलन को और बिगाड़ सकती हैं।

विस्तार का पर्यावरण पर प्रभाव:-

- जैसे ही पर्माफ्रॉस्ट पिघलता है, वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बनिक कार्बन उत्सर्जित होता है।
- यह ग्लोबल वार्मिंग को और अधिक तीव्र करने में योगदान देता है।
- यह जलवायु परिवर्तन शमन प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है।
- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से उत्तरी और उत्तरपूर्वी रूस पर गंभीर परिणाम हुए हैं, जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है।
    - इनमें शामिल हैं: सड़कों का टेढ़ा होना, घरों का अलग होना और पाइपलाइनों का बाधित होना।

अवश्य पढ़ें: पर्माफ्रॉस्ट और महामारी

स्रोत: डाउन टू अर्थ

पर्यावरण

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

संदर्भ: हाल ही में, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने बाघ अभयारण्यों के बाहरी इलाकों में सक्रिय शिकारियों के संगठित गिरोहों के खिलाफ 'रेड अलर्ट'जारी किया है।

पृष्ठभूमि:-

- रेड अलर्ट पूरे भारत में छह बाघ अभयारण्यों के लिए जारी किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के दो और एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तीन जिले शामिल हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) ने 'रेड अलर्ट' जारी किया है जिसमें अधिकारियों को सभी बाघ अभयारण्यों का दौरा करने का निर्देश दिया गया है।

परिचय :-

- यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (डब्ल्यूएलपीए), 1972 के तहत स्थापित एक वैधानिक बहु-विषयक निकाय है।
- **उद्देश्य:** देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटना। (डब्ल्यूसीसीबी ने एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार-2020 जीता)
- **स्थापना:** वर्ष 2007 में
    - इसकी स्थापना वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम (WLPA), 1972 में संशोधन करके की गई थी, जो देश में वन्यजीवों और जीवों की रक्षा के लिए एक विशेष अधिनियम है।
- मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- क्षेत्रीय कार्यालय: दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जबलपुर।
- उप-क्षेत्रीय कार्यालय: अमृतसर, गुवाहाटी और कोचीन में; और पाँच सीमाएँ।

कार्य:-

- संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करना।
- तत्काल कार्रवाई के लिए इसे राज्य और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों तक प्रसारित करना ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके।
- एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना;
- अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यों का समन्वय करना।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण के लिए समन्वय और सार्वभौमिक कार्रवाई की सुविधा के लिए संबंधित विदेशी अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता करना।
- वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के लिए वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण और राज्य सरकारों की सहायता करना।
- वन्यजीव अपराधों से संबंधित अभियोजनों में सफलता सुनिश्चित करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना।
- प्रासंगिक नीतियां और कानून बनाना।
- यह वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर

	कन्वेंशन (CITES) और ऐसी वस्तु को नियंत्रित करने वाली एक्जिम नीति के प्रावधानों के अनुसार वनस्पतियों और जीवों की खेप के निरीक्षण में सीमा शुल्क अधिकारियों को सहायता और सलाह भी देता है। **अवश्य पढ़ें:** भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) **स्रोत**: हिंदुस्तान टाइम्स

स्टर्जन प्रजाति	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि डेन्यूब नदी में स्टर्जन प्रजातियों के लिए अवैध शिकार सबसे बड़ा खतरा है।
	रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:-
	• वर्ष 2016-2022 तक डेन्यूब नदी में मछलियों से जुड़ी अवैध गतिविधियों के 337 मामले सामने आए।
	• बुल्गारिया में ऐसे सबसे अधिक मामले (130) दर्ज किए गए जिनमें मछली पकड़ने पर प्रतिबंध और नियमों का उल्लंघन, अवैध मछली पकड़ने के सामान की जब्ती और स्टर्जन तथा स्टर्जन-आधारित उत्पादों का अवैध व्यापार शामिल है।
	• इसके बाद रोमानिया (125) और यूक्रेन (82) का स्थान रहा।
	• **मुख्य हॉटस्पॉट:** बुल्गारिया में व्रात्सा, रोमानिया में टुल्सिया और यूक्रेन में ओडेसा है।
	• **तस्करी की घटनाएं:** इन देशों के मछली बाज़ारों से एकत्र किए गए स्टर्जन के नमूनों में से 20 प्रतिशत जंगली मछलियाँ थीं और ये खेतों से नहीं आई थीं।
	  ○ यह इन स्थानों पर होने वाली बड़े पैमाने पर स्टर्जन तस्करी का एक और संकेतक था।
	• **भ्रष्टाचार:** रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अवैध शिकार करने वाले गिरोह और अवैध मछुआरे अक्सर सरकार के मछली पकड़ने वाले विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से काम करते हैं जो रिश्वत लेते हैं।
	• शमन समाधान (Mitigation Solutions): उन्नत प्रौद्योगिकी से जुड़े नवीन दृष्टिकोणों ने इस खतरे को रोकने में मदद की है।
	  ○ व्यापार श्रृंखला के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए अंतर-एजेंसी सहयोग और समन्वय भी सहायक हो सकता है।
	स्टर्जन प्रजाति के बारे में:-
	• स्टर्जन प्राचीन प्रवासी मछली हैं।
	• स्टर्जन डायनासोर के समय से लगभग 200 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में हैं।
	• इन्हें 'जीवित जीवाश्म' कहा जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इनके स्वरूप में बहुत कम बदलाव आया है।
	  ○ **जीवित जीवाश्म:** एक जीव जो प्रारंभिक भूगर्भिक काल से अपरिवर्तित है और जिसके करीबी संबंधी आमतौर पर विलुप्त हो चुके हैं।
	• इन्हें दुनिया की सबसे लुप्तप्राय प्रजाति माना जाता है।
	• **प्राकृतिक वास:-**
	  ○ उत्तरी गोलार्ध में स्टर्जन और पैडलफिश की 27 प्रजातियाँ वितरित हैं।
	  ○ जबकि कुछ प्रजातियाँ केवल मीठे पानी में निवास करती हैं, अधिकांश प्रजातियाँ एनाड्रोमस हैं।
	  ○ एनाड्रोमस: ये ताजे पानी में पैदा होती हैं लेकिन अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्री या खारे वातावरण में बिताती हैं।
	• डेन्यूब स्टर्जन ज्यादातर काला सागर में रहते हैं, अंडे देने के लिए डेन्यूब और अन्य प्रमुख नदियों की ओर पलायन करते हैं:
	• डेन्यूब नदी में पाई जाने वाली चार स्टर्जन प्रजातियों में से तीन:—
	  ○ बेलुगा: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (IUCN)

	○ प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईयूसीएन): संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट। ○ तारकीय (Stellate): गंभीर रूप से लुप्तप्राय (IUCN) ○ रूसी स्टर्जन: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (IUCN) ○ स्टेरलेट: लुप्तप्राय (IUCN) (IUCN प्रजातियों की लाल सूची को अद्यतन करता है।) • परिवार की दो और प्रजातियाँ, यूरोपीय स्टर्जन और शिप स्टर्जन, जो डेन्यूब के पानी में तैरती थीं, को स्थानीय स्तर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया है। • **महत्व:** स्टर्जन कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, देर से परिपक्व होते हैं और लंबे अंतराल के बाद अंडे देते हैं, इसलिए उन्हें पर्यावरण और मानव दबाव से उबरने में लंबा समय लगता है। **अवश्य पढ़ें:** आक्रामक प्रजातियाँ (Invasive Species) **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
उच्च समुद्र संधि	**संदर्भ:** हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (बीबीएनजे) या उच्च समुद्र संधि को अपनाया। **पृष्ठभूमि:-** **उच्च समुद्र संधि के बारे में:-** 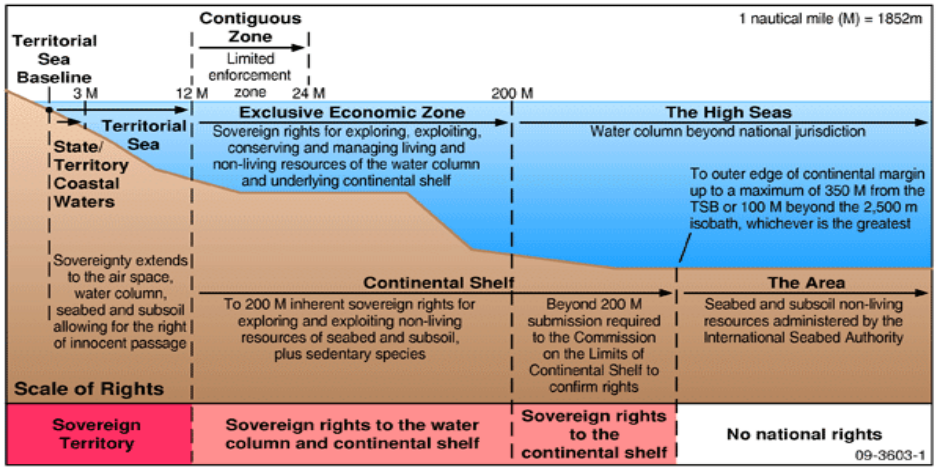 • यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। • संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (बीबीएनजे) या उच्च समुद्र संधि को अपनाया। • **उद्देश्य:** उच्च समुद्र गतिविधियों का अधिक समग्र प्रबंधन प्राप्त करना, जिससे समुद्री संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बेहतर ढंग से संतुलित किया जाय। • **क्षेत्राधिकार:** इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों या देशों के राष्ट्रीय जल से परे, ऊंचे समुद्र शामिल हैं। • यह नया उपकरण UNCLOS (समुद्र के कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) के ढांचे के भीतर विकसित किया जा रहा है। (बीबीएनजे संधि) • **इस समझौते के पाँच पहलू हैं:** ○ ऊंचे समुद्रों पर की जाने वाली गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करना। ○ समुद्री आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण। ○ क्षमता निर्माण। ○ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

	○ संस्थागत संरचना और वित्तीय सहायता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे। ○ UNCLOS (समुद्र के कानून के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) • यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो समुद्री और समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। • **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** वर्ष 1982 में संपन्न हुए इस कन्वेंशन ने 1958 की क्वाड-संधि का स्थान लिया। • **स्थापना:** यह वर्ष 1994 में लागू हुआ। • यह एकमात्र अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जो समुद्री क्षेत्रों में राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करता है। • यह विभिन्न समुद्री क्षेत्रों को एक अलग कानूनी स्थिति प्रदान करता है। • यह समुद्री क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है: ○ आंतरिक-जल ○ प्रादेशिक समुद्र ○ सन्निहित क्षेत्र (Contiguous Zone) ○ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) ○ महाद्वीपीय शेल्फ या उच्च समुद्र • भारत 1995 से इस सम्मेलन में एक पक्ष रहा है। **अवश्य पढ़ें:** गहरे समुद्र में खनन (Deep-Sea Mining) **स्रोत:** द हिंदू
इंडियन ग्रे हॉर्नबिल	**संदर्भ:** हाल ही में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल को पहली बार पुडुचेरी में देखा गया। **परिचय:** • इंडियन ग्रे हॉर्नबिल (ओसीसेरोस बिरोस्ट्रिस) हॉर्नबिल परिवार में सबसे छोटा है। (हॉर्नबिल्स) • **निवास स्थान:** दक्षिणी हिमालय की तलहटी में। ○ यह कई शहरों के शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली कुछ हॉर्नबिल प्रजातियों में से एक है जहां वे रास्ते में बड़े पेड़ों का उपयोग करने में सक्षम हैं। • **वितरण:** भारतीय उपमहाद्वीप; उत्तर-पूर्व पाकिस्तान और दक्षिण नेपाल, पूर्व से उत्तर-पश्चिम बांग्लादेश और दक्षिण में असम को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। ○ यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक सामान्य हॉर्नबिल है। • यह आमतौर पर जोड़े में देखा जाता है। • इन पक्षियों को वृक्षवासी माना जाता है। ○ **आर्बरियल:** ये अपना अधिकांश समय ऊँचे पेड़ों पर बिताते हैं। ○ लेकिन भोजन के लिए और घोंसले के लिए मिट्टी के कण इकट्ठा करने के लिए नीचे उतर सकते हैं। • **उपस्थिति:-** ○ इसके पूरे शरीर पर लंबी पूंछ वाले भूरे पंख होते हैं और पेट हल्का भूरा या फीका सफेद होता है। ○ कई अन्य पक्षियों के विपरीत, नर और मादा एक जैसे दिखते हैं। • वे बीजों के प्रमुख फैलावकर्ता के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। • **संरक्षण की स्थिति:-** ○ आईयूसीएन: कम से कम चिंता का विषय **शंकरापारानी नदी:**

	• शंकरापारानी नदी तमिलनाडु राज्य की एक नदी है। • यह विलुप्पुरम जिले में जिंजी पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान पर निकलती है, और दक्षिण-पूर्व की ओर बहती है और पांडिचेरी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। • शंकरापारानी को वराहनदी या जिंजी नदी के नाम से भी जाना जाता है। **अवश्य पढ़ें:** हॉर्नबिल महोत्सव **स्रोत:** द हिंदू
मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान	**संदर्भ:** हाल ही में, तमिलनाडु वन विभाग ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए नीलगिरी में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान के आसपास निगरानी बढ़ा दी है। **परिचय:-** • **स्थान:** नीलगिरि पठार के दक्षिण पूर्व, तमिलनाडु। ○ यह नीलगिरी की ऊंचाई पर स्थित है, जिसमें समशीतोष्ण शोला वन शामिल हैं। • इसे नीलगिरि तहर की रक्षा के लिए बनाया गया है, जो तमिलनाडु का राज्य पशु था, जिसमें मुकुर्थी चोटी और उसके आसपास का केंद्र बिंदु था। • **नदियाँ:-** ○ मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की पहाड़ियाँ पायकारा नदी का स्रोत हैं। ○ इससे आसपास के क्षेत्रों से निकलने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ काबिनी, चलियार और भवानी हैं। • मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की चोटियाँ न केवल नीलगिरी बल्कि मैदानी इलाकों के अन्य क्षेत्रों के लिए जल के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। • मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र एक हॉटस्पॉट और नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व रिजर्व में एक मुख्य क्षेत्र है। (अनामलाई टाइगर रिजर्व) ○ नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व: भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 1986 में बनाया गया था। • **वनस्पति:** शोला और घास के मैदान। ○ यह क्षेत्र मुख्य रूप से घास के मैदान हैं जो कई अलग-थलग, सघन, स्पष्ट रूप से परिभाषित पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण मिश्रित वनों से घिरे हुए हैं जिन्हें स्थानीय रूप से 'शोला' कहा जाता है। • **जीव-जंतु:** नीलगिरि तहर (तमिलनाडु का राज्य पशु), सांभर, भौंकने वाला हिरण, नीलगिरि मार्टन, ऊदबिलाव, जंगली बिल्ली, सियार आदि। **स्रोत:** द हिंदू
रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य	**संदर्भ:** हाल ही में, रामगढ़ विषधारी रिजर्व (आरवीटीआर) में एक बाघिन को तीन शावकों के साथ देखा गया था। **परिचय :-** 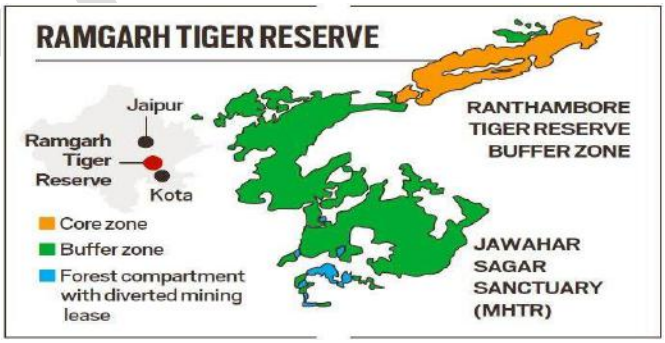 • स्थान: बूंदी, राजस्थान

	• वर्ष 1982: इस क्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया। • वर्ष 2022: टाइगर रिजर्व बना। • रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद यह राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य है। • वनस्पति: इसमें विंध्य संरचनाओं पर पहाड़ी शुष्क पर्णपाती वन शामिल हैं। • फ्लोरा: आम, ढोक, खैर और सालार। • **जीव-जंतु:** यह बड़ी संख्या में जंगली जानवरों जैसे भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा (striped hyena), सुस्त भालू, गोल्डन जैकाल, चिंकारा, नीलगाय और लोमड़ी का घर है। • महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल: भीमलाट, रामगढ़ महल, आदि। **रामगढ़ विषधारी बाघ अभ्यारण्य के निर्माण का महत्व:-** • हालाँकि, रामगढ़ में बाघों की आबादी अधिक नहीं है, लेकिन यह बाघों की आवाजाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। • नव निर्मित बाघ अभयारण्य उत्तर पूर्व में सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर बाघ अभयारण्य को दक्षिणी ओर कोटा जिले में मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य से जोड़ता है। (वाल्मीकि टाइगर रिजर्व) • यह रिजर्व रणथंभौर में अधिक जनसंख्या और इसके परिणामस्वरूप भीड़भाड़ के प्रभाव को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। **MUST READ:** Cheetahs and Others: know the 7 big cats **SOURCE:** HINDUSTAN TIMES
खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (CGRFA)	**संदर्भ:** खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधन आयोग (CGRFA) का 19वां सत्र रोम, इटली में आयोजित किया गया था। **परिचय:** • यह वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था। • खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (सीजीआरएफए) एकमात्र स्थायी अंतरसरकारी निकाय है जो भोजन और कृषि के लिए सभी प्रकार की जैव विविधता के संरक्षण पर केंद्रित है। • **सदस्य:** आयोग में 179 सदस्य देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ○ इस आयोग की सदस्यता एफएओ के सभी सदस्यों के लिए खुली है। (एफएओ सम्मेलन का 42वां सत्र) • **उद्देश्य:** खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को बढ़ावा देना, साथ ही यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता से प्राप्त लाभ उचित और न्यायसंगत रूप से साझा किए जाएं। • आयोग अपने सदस्यों और अन्य हितधारकों को खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीबी के लिए महत्वपूर्ण जैव विविधता के पूरे पोर्टफोलियो के उपयोग और विकास को बढ़ावा देकर भूख मुक्त विश्व को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है। • भोजन और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर नीतियों को संबोधित करने के लिए सीजीआरएफए नियमित रूप से बैठक करता है। (जीएम फसलें और उनका विनियमन) **CGRFA का 19वां सत्र** • **स्थान:** रोम, इटली में FAO मुख्यालय। (खाद्य और कृषि के लिए पशु आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह (WG AnGR))

	• **दिनांक:** 17 से 21 जुलाई 2023 तक। • **आयोजक:** खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)। • **फोकस क्षेत्र:** विश्व के वन और पौधों के आनुवंशिक संसाधनों की स्थिति, पहुंच और लाभ-साझाकरण नीतियां, और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी आदि पर। • **आयोग इस पर भी चर्चा करता है:-** ○ खाद्य और कृषि के लिए जैव विविधता पर कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा। ○ जलवायु परिवर्तन के शमन और अनुकूलन में भोजन और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों की भूमिका पर। ○ परागणकर्ता और जैविक नियंत्रण एजेंटों सहित सूक्ष्मजीव और अकशेरुकी आनुवंशिक संसाधन पर। **अवश्य पढ़ें:** भारत में खाद्य सुरक्षा **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
गम्बूसिया मछली	**संदर्भ:** आंध्र प्रदेश सरकार ने मलेरिया और डेंगू जैसी मच्छरों से होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में करीब 10 मिलियन गम्बूसिया मछली छोड़ी हैं। **परिचय :-** • गंबूसिया एफिनिस मीठे पानी की मछली है। • यह गैंबूसिया प्रजाति से संबंधित है। • **वितरण:** गम्बूसिया एफिनिस (G affinis) दक्षिणपूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के पानी का मूल निवासी है। • गम्बूसिया होलब्रूकी (जी होलब्रूकी) जी एफिनिस की एक बहन प्रजाति है, जिसे ईस्टर्न मॉस्किटोफिश के रूप में भी जाना जाता है। • इसकी उच्च प्रजनन क्षमता जल निकायों में मौजूद देशी प्रजातियों के लिए खतरा पैदा करती है। एक मादा अपने जीवनकाल में 900 से 1,200 संतानें पैदा करती है। • इस मछली को एक बहुत ही साहसी मछली के रूप में वर्णित किया गया है और यह तापमान में व्यापक बदलाव के साथ-साथ पानी की रासायनिक और कार्बनिक सामग्री को भी अनुकूलित कर सकती है, लेकिन बहुत अधिक कार्बनिक प्रदूषण को सहन नहीं करती है। **मॉस्किटोफिश:-** • इसे मॉस्किटोफिश के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक सदी से भी अधिक समय से मच्छर-नियंत्रण रणनीतियों का हिस्सा रही है। (मलेरिया वैक्सीन) • एक वयस्क मछली प्रतिदिन लगभग 100 से 300 लार्वा का भक्षण कर सकती है। • मॉस्किटोफिश 1928 से शहरी मलेरिया योजना सहित भारत में विभिन्न मलेरिया नियंत्रण रणनीतियों का हिस्सा रही है। • इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने गंबूसिया को दुनिया की 100 सबसे खराब आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक घोषित किया है। ○ **आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ:** जानवर, पौधे या अन्य जीव जिन्हें मनुष्यों द्वारा, जानबूझकर या गलती से, उनकी प्राकृतिक सीमा से बाहर के स्थानों में लाया जाता है, जो मूल जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं या मानव अर्थव्यवस्था और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। • भारत में भी इसे एक आक्रामक विदेशी प्रजाति घोषित किया गया है। • भारत में, मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए 1990 के दशक में नैनीताल झील में आने के बाद मॉस्किटोफिश ने

	झील के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को प्रभावित किया। **अवश्य पढ़ें:** जेब्राफिश **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (ICED) 3.0	**संदर्भ:** हाल ही में, नीति आयोग ने भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड (ICED) 3.0 जारी किया। **परिचय :-** • यह सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु और संबंधित आर्थिक डेटासेट पर वास्तविक समय के डेटा के लिए भारत का वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म है। • यह ऊर्जा और जलवायु थिंक-टैंक वसुधा फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित है। • आईसीईडी जलवायु कार्रवाई की प्रगति को ट्रैक करने के लिए इन-बिल्ट एनालिटिक्स के साथ निकट वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। (जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र) **(ICED) 3.0 की मुख्य विशेषताएं:-** • इसे एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मंच के रूप में विकसित किया गया है। • यह उपयोगकर्ताओं को एक विश्लेषणात्मक इंजन का उपयोग करके डेटासेट तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। • यह अंतर्दृष्टि की सुविधा प्रदान करता है और ऊर्जा तथा जलवायु क्षेत्रों की समझ को बढ़ाता है। **(जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई))** • यह पोर्टल उपलब्ध डेटा मापदंडों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। • यह डैशबोर्ड 500 से अधिक पैरामीटर, 2000 से अधिक इन्फोग्राफिक्स और कई इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को भारत के ऊर्जा क्षेत्र की समग्र समझ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। • डैशबोर्ड तुलनात्मक अध्ययन और इसके संयुक्त विश्लेषण के लिए ऊर्जा और जलवायु मुद्दों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी पर भी जानकारी प्रदान करता है। **अवश्य पढ़ें:** नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन **स्रोत:** पीआईबी
महादेई वन्यजीव अभयारण्य	**संदर्भ:** बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को महादेई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। **परिचय :-** • **स्थान:** यह गोवा के उत्तर-पूर्व में, सत्तारी तालुका में है। • वन्यजीव संरक्षण के रूप में इसकी आधिकारिक घोषणा 1999 में हुई।

	• महादेई नदी, जिसे मंडोवी नदी के रूप में जाना जाता है, गोवा राज्य की जीवन रेखा है, यह कर्नाटक से निकलती है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है और गोवा में पणजी में अरब सागर से मिलती है। ○ पूरा अभयारण्य नदी के जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। • प्रमुख झरने: इसके प्रमुख झरने वज़रा सकला झरना और विरदी झरना है। ○ वज़रा फॉल्स के पास की चट्टान गंभीर रूप से लुप्तप्राय लॉन्ग-बिल्ड गिद्धों के घोंसले के मैदान के रूप में उल्लेखनीय है। (वन्यजीव संरक्षण) • नीलगिरि वुड पिजन, मालाबार पैराकीट, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, ग्रे-हेडेड बुलबुल, रूफस बैबलर, व्हाइट-बेलिड ब्लू-फ्लाईकैचर और क्रिमसन-बैकेड सनबर्ड की उपस्थिति के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। • गोवा की तीन सबसे ऊंची चोटियाँ अभयारण्य की पहाड़ी श्रृंखलाओं में स्थित हैं। वे सोंसोगोड (1027 मीटर), तलावचे सदा (812 मीटर) और वागेरी (725 मीटर) हैं। • **वनस्पति:-** ○ अभयारण्य का क्षेत्र नम पर्णपाती वनस्पतियों और कुछ सदाबहार प्रजातियों के साथ घने जंगलों से घिरा हुआ है। ○ यह अभयारण्य विशेष रूप से अपने पवित्र उपवनों के लिए जाना जाता है जो दुर्लभ और स्वदेशी पेड़ों की रक्षा करते हैं। • **जीव-जंतु:-** ○ **इसमें आम तौर पर देखे जाने वाले जानवर:** भारतीय गौर, बार्किंग हिरण, सांभर हिरण, एशियन पाम सिवेट, छोटा भारतीय सिवेट, जंगली सूअर, भारतीय खरगोश, रूडी नेवला, काले चेहरे वाला लंगूर और बोनट मकाक। ○ **कम दिखने वाले जानवर:** ब्लैक पैंथर, स्लॉथ भालू, तेंदुआ, बाघ, ढोल, जंगली बिल्ली, माउस हिरण, विशाल गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय पैंगोलिन और पतला लोरिस (Slender loris)। **अवश्य पढ़ें:** अनामलाई टाइगर रिजर्व **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
सिल्वर कॉक्सकॉम्ब	**संदर्भ:** अध्ययनों से पता चला है कि सिल्वर कॉक्सकॉम्ब कर्नाटक की सोलिगा जनजाति के लिए परेशानी उत्पन्न करने वाली घास नहीं है। **पृष्ठभूमि:-** • सिल्वर कॉक्सकॉम्ब एक हानिकारक खरपतवार है। (आक्रामक पौधों का विस्तार) • यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए, तो यह तेजी से फैल सकता है और अन्य फसलों के विकास को रोक सकता है, जिससे उनकी उपज प्रभावित होगी। • लेकिन सोलिगा जनजाति के लिए, सिल्वर कॉक्सकॉम्ब एक पौष्टिक पत्तेदार हरी सब्जी है जो परती भूमि और सूखे जैसी परिस्थितियों में भी अच्छी तरह से बढ़ती है। **सिल्वर कॉक्सकॉम्ब के बारे में:-** • सिल्वर कॉक्सकॉम्ब एक अल्पकालिक 50-60 सेमी लंबा पौधा है। • इसे लागोस पालक (Lagos spinach) के नाम से भी जाना जाता है। • वैज्ञानिक नाम: सेलोसिया अर्जेन्टीया। • **स्थानीय नाम:-**

	○ कर्णनाडा में: ऐनी सोप्पू ○ मराठी में: कुर्दु ○ तमिल में: पन्नई कीराई • **परिवार:** अमरैन्थेसी परिवार ○ इस परिवार में पालक, चुकंदर और क्विनोआ जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे शामिल हैं। • इसमें गुलाबी या रेशमी सफेद फूलों के साथ तने के चारों ओर सरल, सर्पिल रूप से व्यवस्थित पत्तियां होती हैं। • यह परती भूमि और सूखे जैसी स्थिति में भी अच्छी तरह उगता है। • इसकी पत्तियों में ऑक्सालिक एसिड और फाइटिक एसिड का स्तर कम होता है। **सोलिगा जनजाति के बारे में:-** • यह कर्नाटक की एक स्वदेशी जनजाति हैं। • **स्थान:** ये कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बिलिगिरि रंगना पहाड़ियों और माले महादेश्वर के पास परिधीय वन क्षेत्रों में रहते हैं। • ये भारत में बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले पहले आदिवासी समुदाय हैं जिन्होंने अपने वन अधिकारों को आधिकारिक तौर पर अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त की है। **MUST READ:** New genus of parasitic flowering plant **SOURCE:** DOWN TO EARTH
लुडविगिया पेरुवियाना	**संदर्भ:** हालिया रिपोर्टों के अनुसार, लुडविगिया पेरुवियाना तमिलनाडु में हाथियों के आवासों को खतरे में डाल रहा है। **पृष्ठभूमि:-** • लुडविगिया पेरुवियाना ने हिल स्टेशन के अधिकांश दलदलों को संक्रमित कर दिया है, जहां हाथियों को गर्मियों में भी हरी-भरी घास मिलती थी। • यह तमिलनाडु में 22 प्राथमिकता वाले आक्रामक पौधों में से एक है। **परिचय :-** • लुडविगिया पेरुवियाना एक आक्रामक जलीय खरपतवार है। (नीलगिरि जीवमंडल क्षेत्र में आक्रामक विदेशी पौधे) • **प्राकृतिक वास:** यह मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। • यह एक जलीय पौधा है, जो अब दुनिया भर के विभिन्न दलदली क्षेत्रों में स्थानीय वनस्पति के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। • यह एक बारहमासी झाड़ी है। ○ बारहमासी: यह पौधा दो वर्ष से अधिक समय तक जीवित रहता है। • यह ठंडी जलवायु में पर्णपाती और गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु में सदाबहार है। • यह पानी की सतह पर तैरते हुए द्वीप बना सकता है। • पौधा लगभग 12 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। • **पत्तियाँ:-** ○ इसकी पत्तियाँ नुकीले सिरे और संकीर्ण आधार के साथ गोलाकार से लांस के आकार की'होती है। ○ ये बाल और शिरायुक्त दोनों होती है। • **फूल:-** ○ इसके फूल हल्के पीले रंग के होते है।

	○ इसके प्रत्येक फूल केवल एक दिन तक बने रहते है। **लुडविगिया पेरुवियाना से संबंधित मुद्दे:-** • यह एक जलीय पौधा है, जो अब दुनिया भर के विभिन्न दलदली क्षेत्रों में स्थानीय वनस्पति के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। • यह अन्य हानिकारक खरपतवारों की तुलना में आर्द्रभूमियों में तेजी से बढ़ता है। • इसने इन बारहमासी चारागाहों के संतुलन को हिला दिया है, जिससे घास और देशी पौधों की वृद्धि सीमित हो गई है जो हाथियों और गौर सहित अन्य जानवरों के लिए स्वादिष्ट होती हैं। • यह दलदल में उगता है और इसमें मशीनरी के उपयोग की संभावना कम होती है। • भले ही लुडविगिया को मैन्युअल रूप से उखाड़ा जाता है, ये नरम पौधा आसानी से टूट जाते है और दलदल में गिरने वाली जड़ या टूटे हुए तनों से फिर से फैल जाते है। **लुडविगिया पेरुवियाना को नियंत्रित करने के तरीके:-** • **रोकथाम:** जलमार्ग में पोषक तत्वों के प्रवाह को कम करने से विकास सीमित हो सकता है। • **भौतिक निष्कासन:** अंकुरों को खींचकर या खोद कर हटाया जा सकता है। • **निपटान:** पौधों को जलाकर या गहरे स्थानों पर नीचे दबाकर नष्ट किया जा सकता है। • **काटना/आग लगाना:** इनके बड़े संक्रमण को काटा और जलाया जा सकता है। • **रासायनिक नियंत्रण:** इसमें ग्लाइफोसेट का छिड़काव कर हटाया जा सकता है। • **स्टंप काटने की विधि:** मुख्य तनों को काटकर, और काटने के 15 सेकंड के भीतर स्टंप पर शाकनाशी जेल लगाकर हटाया जा सकता है। **अवश्य पढ़ें:** जलकुंभी (Water Hyacinth) **स्रोत:** द हिंदू
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)	**संदर्भ:** हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मौजूदा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन की घोषणा की है। **श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के बारे में:-** • इसे वर्ष 2016 में तैयार किया गया। • इसे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए 2017 में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया गया था। • पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें आयोजित करने के बाद यह योजना तैयार की गई थी। • ये हवा की गुणवत्ता खराब होने पर उठाए जाने वाले संस्थागत उपाय हैं, इसलिए केवल आपातकालीन उपाय के रूप में काम करते हैं। • GRAP में वे उपाय शामिल हैं, जो दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता को खराब होने से रोकने और PM10 और PM2.5 के स्तर को 'मध्यम' राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) श्रेणी से आगे जाने से रोकने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उठाए जाते है। (वायु प्रदूषण) • यदि हवा की गुणवत्ता गंभीर + चरण तक पहुंच जाती है, तो GRAP स्कूलों को बंद करने और सम-विषम सड़क-स्थान राशनिंग योजना को लागू करने की बात करता है। • योजना के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान (एनसीआर क्षेत्रों) में 13 विभिन्न एजेंसियों के बीच कार्रवाई और समन्वय की आवश्यकता है।

उपायों की घोषणा-

मॉडरेट से कमजोर - (जब PM2.5 61-120 की रेंज में हो या जब PM10 101-350 की रेंज में हो।):-

- कूड़ा जलाने पर भारी जुर्माना।
- ईंट भट्टों और उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को बंद/लागू करना।
- भारी यातायात वाली सड़कों पर मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव।
- पटाखों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू करना।

बहुत खराब- (PM2.5 121-250 की रेंज में है या PM10 351-430 की रेंज में है):-

- डीज़ल जनरेटर सेट का उपयोग बंद करना।
- पार्किंग शुल्क 3-4 गुना बढ़ाना।
- बस और मेट्रो सेवाएँ बढ़ाना।
- अपार्टमेंट के मालिक सर्दियों के दौरान बिजली के हीटर प्रदान करके सर्दियों में आग जलाने को हतोत्साहित करना।
- श्वसन और हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोगों को बाहरी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की सलाह देना।

गंभीर (Severe)- (PM 2.5 250 से अधिक या PM10 430 से अधिक):-

- ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद करना।
- कोयले से उत्पादन कम करने के लिए प्राकृतिक गैस से बिजली उत्पादन को अधिकतम करना।
- अलग-अलग दरों के साथ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करना।
- सड़कों की अधिकाधिक मशीनीकृत सफाई और पानी का छिड़काव करना।

गंभीर+ या आपातकालीन- (PM 2.5 300 से अधिक या PM10 48+ घंटों के लिए 500 से अधिक):-

- दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश बंद करना (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर)।
- निर्माण कार्य बंद करना।
- निजी वाहनों के लिए सम/विषम योजना शुरू करना और छूट कम से कम करना।
- टास्क फोर्स स्कूलों को बंद करने सहित किसी भी अतिरिक्त कदम पर निर्णय लेना।

संशोधित ग्रैप:

- संशोधित GRAP 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा और पूरे NCR पर लागू होगा।
- प्रमुख संशोधनों में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करना और 'खराब' वायु गुणवत्ता के दौरान मौजूदा कानूनों के अनुसार लागू करना शामिल है।
- 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता के मामले में, ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपायों को तेज करने की आवश्यकता है।
- 'गंभीर' वायु गुणवत्ता के दौरान, एनसीआर राज्य सरकारें दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर जिलों में बीएस III पेट्रोल और बीएस IV डीजल हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के संचालन पर सख्त प्रतिबंध लगाएंगी।
- यदि हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' तक पहुंच जाती है, तो एनसीआर राज्य सरकारें छठी से नौवीं, 11वीं कक्षा के लिए भी फिजिकली कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं।

अवश्य पढ़ें: CAQM

स्रोत: AIR

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

सिकल सेल एनीमिया

संदर्भ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया।

पृष्ठभूमि:-

- वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया।
- मिशन में जागरूकता सृजन, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 0-40 वर्ष आयु वर्ग के लगभग सात करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **उद्देश्य:-**
    - वर्ष 2047 तक एससीए को ख़त्म करना।
    - बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करना।
    - इसका मिशन सात करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करना है।
    - 0 से 40 वर्ष की आयु के लोगों की जाँच करना है।
    - इसमें जनजातीय क्षेत्रों को लक्षित किया गया है।

सिकल सेल एनीमिया के बारे में:-

- **खोज:** वर्ष 1910 में जेम्स हेरिक द्वारा।
- सिकल सेल एनीमिया वंशानुगत विकारों का एक समूह है जिसे सिकल सेल रोग के रूप में जाना जाता है।
- यह लाल रक्त कोशिकाओं के आकार को प्रभावित करता है।
    - लाल रक्त कोशिकाएं: इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जो शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है।
- यह दोषपूर्ण 'बीटा ग्लोबिन' जीन वाले माता-पिता द्वारा प्रसारित होता है।
- रोग की स्थिति: सामान्य परिस्थितियों में, लाल रक्त कोशिकाएं गोल और लचीली होने के कारण रक्त वाहिकाओं के माध्यम से आसानी से फैलती हैं।
    - हालाँकि, सिकल सेल एनीमिया में, कुछ लाल रक्त कोशिकाएं सिकल या अर्धचंद्राकार आकार प्राप्त कर लेती हैं।
- ये सिकल कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती हैं।
- जब वे छोटी रक्त वाहिकाओं के माध्यम से चलती हैं, तो वे फंस और रक्त प्रवाह को अवरुद्ध करती हैं।
- इससे दर्द और संक्रमण, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और स्ट्रोक जैसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
- सिकल कोशिकाएं भी जल्दी मर जाती हैं, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं की लगातार कमी होती जाती है।

लक्षण:-

- **क्रोनिक एनीमिया:** यह थकान, कमजोरी और पीलापन की ओर ले जाती है।
- दर्दनाक प्रकरण (जिसे सिकल सेल क्राइसिस भी कहा जाता है): इससे हड्डियों, चेस्ट, पीठ, हाथ और पैरों में अचानक और तीव्र दर्द होता है।

	○ विलंबित विकास और यौवन। **मृत्यु दर:-** ● मृत्यु दर से तात्पर्य ऐसी स्थिति वाले लोगों के प्रतिशत से है जिनकी एक निश्चित अवधि के भीतर मृत्यु हो गई। ● सिकल सेल रोग से मृत्यु दर का बोझ बच्चों में सबसे अधिक है। ○ हालाँकि, पिछले कुछ दशकों में बच्चों में SCA की मृत्यु दर में नाटकीय रूप से गिरावट आई है। **इलाज:-** ● **ब्लड ट्रांसफ़्यूजन:** यह एनीमिया से राहत दिलाने और दर्द संकट के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। ● **हाइड्रोक्सीयूरिया:** यह एक दवा है जो दर्दनाक घटनाओं की आवृत्ति को कम करने और बीमारी की कुछ दीर्घकालिक जटिलताओं को रोकने में मदद कर सकती है। ● इसका इलाज अस्थि मज्जा या स्टेम सेल प्रत्यारोपण द्वारा भी किया जा सकता है। ○ **अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण:** एक चिकित्सा उपचार जो अस्थि मज्जा को स्वस्थ कोशिकाओं से बदल देता है। ○ इसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर, जैसे ल्यूकेमिया, मायलोमा और लिंफोमा, और अन्य रक्त और प्रतिरक्षा प्रणाली रोगों के इलाज के लिए किया जा सकता है जो अस्थि मज्जा को प्रभावित करते हैं। **अवश्य पढ़ें:** जैव प्रौद्योगिकी **स्रोत:** AIR
डार्क मैटर	**संदर्भ:** हाल के अध्ययन डार्क मैटर के बारे में नए सिद्धांत सुझाते हैं। **डार्क मैटर के बारे में:-** 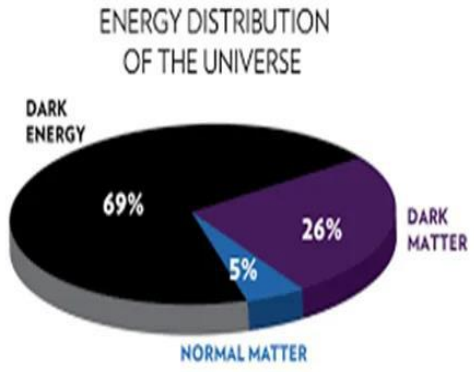 ● डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ● ये ऐसे कण हैं जो "डार्क" हैं, अर्थात् वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ● इन्हें "पदार्थ" कहा जाता है क्योंकि इनमें सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान होता है और ये गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। ● वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में 85% तक पदार्थ डार्क मैटर से बना हो सकता है। ● ब्रह्मांड का लगभग 27% भाग डार्क मैटर और 68% भाग डार्क एनर्जी है। ● **डार्क एनर्जी:** यह ऊर्जा का एक अज्ञात रूप है जो ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। ○ डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित (Attracts) और धारण (Holds) करता है, जबकि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार का कारण बनती है। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-**

	• 19वीं सदी में, स्कॉटिश-आयरिश भौतिक विज्ञानी लॉर्ड केल्विन हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे के द्रव्यमान का अनुमान लगाना चाहते थे। • हालाँकि, केल्विन को डेटा में विसंगतियाँ या असंगति मिलीं, ऐसी चीज़ें जिन्हें समझाया नहीं जा सका। • इनका श्रेय "डार्क निकाय" को दिया गया जिन्हें हम देख नहीं सकते थे। • स्विस अमेरिकी खगोलशास्त्री फ्रिट्ज़ ज़्विकी ने सबसे पहले 1933 में डार्क मैटर के अस्तित्व का अनुमान लगाया था। **डार्क मैटर का महत्व:-** • डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित (Attracts) और धारण (Holds) करता है। • यह व्यक्तिगत आकाशगंगाओं के साथ-साथ बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड पर भी अपना प्रभाव डालता है। • आकाशगंगाओं के समूहों की गति और पूरे ब्रह्मांड की संरचना को सबसे बड़े पैमाने पर समझाने के लिए डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव भी आवश्यक हैं। ○ **आकाशगंगा:** तारों और अंतरतारकीय पदार्थ की कोई प्रणाली जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ○ **आकाशगंगा समूह:** आकाशगंगाओं के गुरुत्वाकर्षण से बंधे समूह हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों तक है। **डार्क मैटर के बारे में नये सिद्धांत:-** • डार्क मैटर के अस्तित्व पर संदेह: कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि यदि ब्रह्मांड में अदृश्य शक्तियां होतीं तो हम उन्हें पहले ही ढूंढ चुके होते। • उनका सुझाव है कि हमें मानक मॉडल के बाहर सोचना चाहिए। • भौतिक विज्ञानी मोर्दहाई मिलग्रोम ने गुरुत्वाकर्षण का एक वैकल्पिक सिद्धांत विकसित किया है। ○ जो यह सुझाव देता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकाशगंगा के मूल से अलग-अलग दूरी पर अलग-अलग तरीके से कार्य करता है। • जबकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत ब्रह्मांड में अधिकांश बड़े पैमाने की गतिविधियों की व्याख्या करता है, मिलग्रोम के संशोधित न्यूटोनियन डायनेमिक्स से पता चलता है कि फ़ोर्स कमजोर होने पर अलग तरह से कार्य करता है, जैसे कि आकाशगंगा के किनारे पर लगा बल। • सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि यह न्यूटन के सिद्धांत से बेहतर आकाशगंगाओं के घूमने और तारों की गति की भविष्यवाणी करता है। **अवश्य पढ़ें:** डार्क एनर्जी **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
रोगाणुरोधी प्रतिरोध	**संदर्भ:** रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा हाल ही में लॉन्च किया गया था। **परिचय :-**

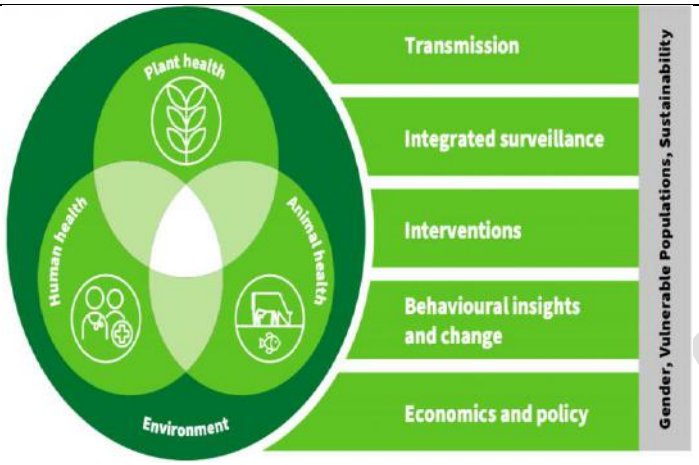

- **शुरू किया गया:** 28 जून, 2023
- **द्वारा लॉन्च किया गया:** संयुक्त राष्ट्र (यूएन) खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच)।
- यह अवधारणा स्वीकार करती है कि मनुष्यों का स्वास्थ्य, घरेलू और जंगली जानवर, पौधे और पारिस्थितिक तंत्र सहित बड़ा पर्यावरण, अटूट रूप से जुड़े हुए हैं और अन्योन्याश्रित हैं।

उद्देश्य:-

- 2030 तक नीति और हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए साक्ष्य सृजन के लिए 40 शोध विषयों को प्राथमिकता देना।
- निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) को संबोधित करने के लिए नए साक्ष्य तैयार करने में विभिन्न हितधारकों का मार्गदर्शन करना।
- वन हेल्थ AMR शोध का समर्थन करने के लिए देशों, शोध संस्थानों और वित्त पोषण निकायों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना।
- नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और बहु-विषयक वैज्ञानिक समुदाय को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने की अनुमति देना।
- लोगों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को स्थायी रूप से संतुलित और अनुकूलित करना।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक स्वास्थ्य प्राथमिकता अनुसंधान एजेंडा के पांच प्रमुख स्तंभ:-

1. ट्रांसमिशन: यह स्तंभ पर्यावरण, पौधे, पशु और मानव क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां एएमआर संचरण, परिसंचरण और प्रसार होता है।

2. एकीकृत निगरानी: निगरानी का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों (LMIC) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ एकीकृत निगरानी का सामंजस्य, प्रभावशीलता और कार्यान्वयन करना है।

3. हस्तक्षेप: यह स्तंभ एएमआर की घटनाओं, व्यापकता और प्रसार को रोकने, नियंत्रित करने या कम करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों, प्रथाओं, उपकरणों और गतिविधियों पर केंद्रित है।

4. व्यवहारिक अंतर्दृष्टि और परिवर्तन: यह मानव व्यवहार को संबोधित करने वाले अनुसंधान पर केंद्रित है जो एएमआर को प्रभावित करता है, जिसमें इसका मुकाबला करने के तरीके भी शामिल हैं।

5. अर्थशास्त्र और नीति: यह स्तंभ एएमआर निवेश मामले की लागत-प्रभावशीलता, वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव को भी ध्यान में रखता है।

अवश्य पढ़ें: रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौती

स्रोत: डाउन टू अर्थ

पार्कर सोलर प्रोब

संदर्भ: हाल ही में, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के 16वें निकटतम दृष्टिकोण को पूरा कर लिया है।

पृष्ठभूमि:-

- नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के चारों ओर अपनी 16वीं कक्षा पूरी की, जिसमें 22 जून, 2023 को सूर्य के करीब पहुंचना भी शामिल था।
- करीब आने के दौरान, पार्कर लगभग 586,782 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए सूर्य की सतह के 8.5 मिलियन किलोमीटर के भीतर आ गया।

पार्कर सोलर प्रोब के बारे में:-

- शुरू किया गया: वर्ष 2018 में
- यह फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया।
- **प्रक्षेपण यान:** डेल्टा IV-भारी ऊपरी चरण के साथ।
- **मिशन द्वारा:** नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)।
- **आकार:** अंतरिक्ष यान एक छोटी कार के आकार का है।

वैज्ञानिक उपकरण:-

  - फ़ील्ड्स एक्सपेरिमेंट (फ़ील्ड्स)
  - सूर्य का एकीकृत विज्ञान अन्वेषण (IS⊙IS)
  - सौर जांच के लिए वाइड फील्ड इमेजर (WISPR)
  - सौर पवन इलेक्ट्रॉन अल्फ़ाज़ और प्रोटॉन (SWEAP)

- यह सीधे सूर्य के वायुमंडल में यात्रा कर सकता है।
- **उद्देश्य:** यह जांच करना कि सौर कोरोना में ऊर्जा और गर्मी कैसे चलती है, साथ ही सौर हवा और सौर ऊर्जावान कणों में क्या तेजी आती है।
- यह सूर्य के वायुमंडल के माध्यम से यात्रा करता है और अंततः मानवता को एक तारे के सबसे करीब से अवलोकन प्रदान करता है।
- ऐसा कहा जाता है कि यह मानवता का पहला मिशन है जिसने किसी तारे का "दौरा" किया। (नासा का डार्ट मिशन)
- **डिज़ाइन: -**
  - अंतरिक्ष यान और उसके उपकरण 4.5 इंच मोटी कार्बन-मिश्रित ढाल द्वारा सूर्य की गर्मी से सुरक्षित रहते हैं।
  - शील्ड लगभग 1,777 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामना कर सकती है।
  - इसमें चार उपकरण सूट हैं जो चुंबकीय क्षेत्र, प्लाज्मा और ऊर्जावान कणों का अध्ययन करने और सौर हवा की इमेज बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- **उद्देश्य:-**
  - यह पता लगाने के लिए कि कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी कैसे चलती है।
  - यह पता लगाना कि सौर हवाओं और सौर ऊर्जावान कणों के त्वरण का कारण क्या है।
- **तंत्र:** अंतरिक्ष यान सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्र के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है।
- **भविष्य की योजना:** अब यह तारे की सतह के लगभग 7.2 मिलियन किलोमीटर के भीतर जाने की तैयारी कर रहा है।

अवश्य पढ़ें: नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

IASBABA

ओरियन नेबुला में कार्बन अणु	**संदर्भ:** हाल ही में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ओरियन नेबुला में एक कार्बन अणु का पता लगाया। **पृष्ठभूमि:-** • जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने पहली बार अंतरिक्ष में CH3+ अणु का पता लगाया है, जिसे मिथाइल केशन (methyl cation) के रूप में भी जाना जाता है। **ओरियन नेबुला** • यह ओरियन तारामंडल में स्थित है। • **खोज:** इसकी खोज 1610 में फ्रांसीसी विद्वान निकोलस-क्लाउड फैब्री डी पेइरेस्क द्वारा और स्वतंत्र रूप से 1618 में स्विस खगोलशास्त्री जोहान सिसैट द्वारा की गई थी। • ओरियन नेबुला पृथ्वी से लगभग 1,350 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ○ **नेबुला:** निहारिका या नेब्युला अंतरतारकीय माध्यम (इन्टरस्टॅलर स्पेस) में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत (आयोनाइज़्ड) प्लाज़्मा गैसे उपस्थित हों। ○ ये प्रायः तारा-निर्माण क्षेत्र होते हैं। • इसमें सैकड़ों बहुत गर्म (O-टाइप) युवा तारे हैं जो चार विशाल तारों के समूह में एकत्रित हैं जिन्हें ट्रेपेज़ियम के नाम से जाना जाता है। • इन तारों से निकलने वाला विकिरण निहारिका या नेब्युला को चमका देता है। • यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हेनरी ड्रेपर द्वारा खींची गई पहली निहारिका या नेब्युला (1880) थी। **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में:-** • यह सूर्य की परिक्रमा करने वाली एक अवरक्त वेधशाला है। (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)) • **लॉन्च:** वर्ष 2021 में • **प्रकार:** ऑर्बिटर • द्वारा लॉन्च किया गया: नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA)। • **प्रक्षेपण यान:** एरियन 5 रॉकेट, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) द्वारा प्रदान किया गया। • **प्रक्षेपण स्थल:** फ्रेंच गुयाना • **उद्देश्य:** शुरुआती ब्रह्मांड में बनी पहली आकाशगंगाओं को खोजना और ग्रह प्रणालियों का निर्माण करने वाले तारों को देखना। • यह नासा का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन है। **अवश्य पढ़ें:** अंतरिक्ष में **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
सोलर फ्लेयर	**संदर्भ:** हाल ही में, एक एक्स-क्लास सौर ज्वाला के कारण अमेरिका, प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में रेडियो ब्लैकआउट हो गया। **पृष्ठभूमि:-** • मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सूर्य ने 2 जुलाई, 2023 को एक एक्स-क्लास सौर ज्वाला उत्सर्जित की, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में रेडियो संचार बाधित हो गया। • यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने पुष्टि की है कि X1.0 फ्लेयर के रूप में वर्गीकृत फ्लेयर, 7:14 बजे ET पर चरम पर थी। • X-क्लास सबसे तीव्र ज्वालाओं को दर्शाता है, जबकि संख्या इसकी शक्ति के बारे में अधिक जानकारी प्रदान

	करती है। **सौर ज्वालाओं के बारे में:-** • सौर ज्वालाएँ सूर्य के धब्बों के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के उलझने, पार होने या पुनर्गठित होने के कारण होने वाला ऊर्जा का अचानक विस्फोट है। (सौर तूफान) ○ सनस्पॉट: वे क्षेत्र जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं। ○ ये गहरे रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि वे सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में ठंडी हैं। • सबसे शक्तिशाली सौर ज्वालाओं में एक अरब हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा होती है, यह पूरी दुनिया को 20,000 वर्षों तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। • **समय अवधि:** सौर ज्वाला मिनटों से लेकर घंटों तक रह सकती है। ○ कभी-कभी सूर्य पर एक ही सक्रिय क्षेत्र लगातार कई ज्वालाओं को जन्म दे सकता है, जो दिनों या हफ्तों के दौरान फूट सकती हैं। **सौर ज्वालाओं की श्रेणियां :-** • एक्स-रे तरंग दैर्ध्य में उनकी चमक के अनुसार सौर प्रज्वाल की पाँच श्रेणियाँ हैं जिनमें A, B,C, M और X शामिल हैं; प्रत्येक वर्ग अपने से पहले वाले वर्ग से कम- से-कम दस गुना अधिक शक्तिशाली है। • **A-क्लास फ्लेयर्स:** सबसे छोटे फ्लेयर्स A-क्लास (पृष्ठभूमि स्तर के पास) हैं, इसके बाद अन्य फ्लेयर्स आते हैं। • **C-क्लास फ्लेयर्स(छोटा आकार):** यह हल्की और पृथ्वी पर बहुत कम प्रभाव डालती हैं। • **B-क्लास फ्लेयर्स:** A-क्लास फ्लेयर्स के बाद यह सबसे छोटा होता है। • **M-क्लास फ्लेयर्स (मध्यम आकार):** वे आमतौर पर संक्षिप्त रेडियो ब्लैकआउट का कारण बनते हैं जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। छोटे विकिरण तूफान कभी-कभी M-श्रेणी की चमक के बाद आते हैं। • **X-क्लास फ्लेयर्स (बड़ा आकार):** वे प्रमुख घटनाएँ हैं जो संपूर्ण विश्व में रेडियो ब्लैकआउट और ऊपरी वायुमंडल में लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफानों को उत्प्रेरित कर सकती हैं। **सौर ज्वालाओं का पृथ्वी पर प्रभाव:-** • ये रेडियो संचार, पावर ग्रिड और नेविगेशन सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं तथा अंतरिक्ष यात्रियों एवं अंतरिक्ष यान को खतरे में डाल सकते हैं। • कुछ ही मिनटों में वे सामग्री को कई लाख डिग्री तक गर्म कर देते हैं और रेडियो तरंगों से लेकर एक्स-रे और गामा रे सहित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण विस्फोट करते हैं। • **औरोरा (Auroras):** जब आवेशित कण पृथ्वी के निकट के क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तो वे आकाश में तीव्र रोशनी उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे औरोरा कहा जाता है। • **बिजली की कमी और बिजली कटौती:** विशेष रूप से मजबूत होने पर, सीएमई बिजली उपयोगिता ग्रिड में भी हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे बिजली की कमी और बिजली कटौती हो सकती है। **MUST READ:** International Solar Alliance **SOURCE:** THE INDIAN EXPRESS
लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV)	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो की वाणिज्यिक शाखा IN SPACe ने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) के निर्माण के लिए भारतीय निजी उद्योगों से रुचि की अभिव्यक्ति मांगी है। **पृष्ठभूमि:-** • INSPACe के अध्यक्ष, डॉ. पवन गोयनका ने छोटे लांचरों के निर्माण में निजी खिलाड़ियों को शामिल करने के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा है कि इससे भारत के लिए छोटे उपग्रह प्रक्षेपणों के लिए वैश्विक केंद्र बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।

परिचय :-

- SSLV एक स्वदेशी रूप से विकसित मिनी रॉकेट लॉन्चर है। (इसरो SSLV की पहली उड़ान शुरू करेगा)
- यह 110 टन वजन वाला इसरो का सबसे छोटा वाहन है।
- इसे विशेष रूप से छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को पृथ्वी की सतह से 200-2,000 किमी ऊपर से निचली-पृथ्वी कक्षा (LEO) में ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
    - लो अर्थ ऑर्बिट (LEO): इसकी कक्षा पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत करीब है।
    - यह सामान्यतः 1000 किमी से कम की ऊंचाई पर होता है, लेकिन पृथ्वी से 160 किमी तक नीचे हो सकता है।
- यह एक तीन चरण वाला लॉन्च वाहन है जिसे तीन ठोस प्रणोदन चरणों और एक टर्मिनल चरण के रूप में तरल प्रणोदन-आधारित वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल (वीटीएम) के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है।
- पेलोड क्षमता: 500 किलोग्राम तक
- इसमें डिलीवरी करने की क्षमता है:-
    - पृथ्वी की निचली कक्षा (500 किमी) तक 600 किग्रा या
    - सूर्य-समकालिक कक्षा (500 किमी) तक 300 किग्रा

SSLV के लाभ:-

- यह एक कम लागत वाला प्रक्षेपण यान है।
- इसका टर्न-अराउंड टाइम कम है।
- यह कई उपग्रहों को समायोजित करने में लचीला है।
- इसमें न्यूनतम लॉन्च बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं आदि हैं।
- इसका उद्देश्य त्वरित टर्न-अराउंड टाइम के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए बाजार को पूरा करना है।
- इसे एकीकृत करने में केवल 72 घंटे लगेंगे, जबकि अब लॉन्च वाहन के लिए 70 दिन लगते हैं।
- इस काम में 60 लोगों की जगह सिर्फ छह लोगों की आवश्यकता होगी।
- यह पीएसएलवी से वाणिज्यिक प्रक्षेपणों का बर्डन हटा देगा।
    - **PSLV:** यह भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और तरल चरणों से सुसज्जित पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है।
- SSLV की लागत वर्तमान PSLV की एक चौथाई होने की संभावना है। (PSLV-C54 प्रक्षेपण)

अंतरिक्ष में :

- **स्थापना:** वर्ष 2020 में
- मुख्यालय:अहमदाबाद, गुजरात
- **उद्देश्य:** सरकारी और निजी दोनों संस्थाओं की अंतरिक्ष गतिविधियों का प्रचार, प्रोत्साहन और विनियमन।
- यह अंतरिक्ष विभाग की एक स्वायत्त एजेंसी है। (अंतरिक्ष में)
- यह निजी संस्थाओं द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है।
- संरचना: इसमें अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ सुरक्षा विशेषज्ञ, शैक्षणिक विशेषज्ञ और अन्य विभागों के कानूनी और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल हैं।
    - इसमें प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के सदस्य भी

	शामिल हैं। **IN-SPACe के कार्य:-** • भारत में एक अंतरिक्ष स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना। • भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना और भविष्य की अंतरिक्ष बल सीमाओं का विकास करना। • भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अवसर उत्पन्न करना। • भारत को चयनित देशों/क्षेत्रों के लिए स्पेसपोर्ट और ग्राउंड स्टेशन हब बनाना। • अंतरिक्ष पर्यटन को विकसित करना और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा इसके लाभों और व्यक्तियों के रोजमर्रा के जीवन में भूमिका के बारे में जनता में जागरूकता फैलाना। • IN-SPACe प्रतिभा और नॉलेजबेस विकसित करना। **अवश्य पढ़ें:** अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (NGLV) **स्रोत: AIR**
ब्रूसिलोसिस	**संदर्भ:** हाल ही में, केरल के कोल्लम के एक सात वर्षीय छात्र को ब्रुसेलोसिस से संक्रमित पाया गया। **ब्रुसेलोसिस के बारे में:-** 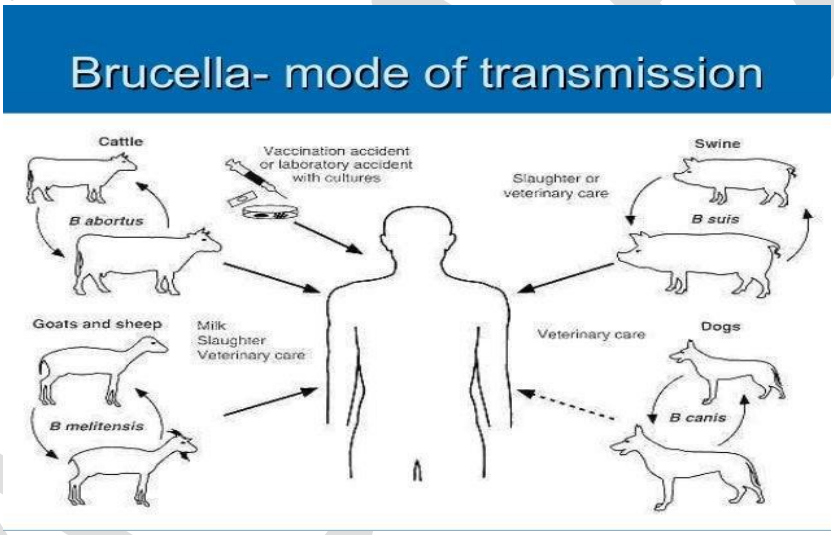 • यह एक जीवाणु संक्रमण है जो जानवरों से लोगों में फैलता है। (आईसीएआर द्वारा नई ब्रुसेलोसिस वैक्सीन) • ब्रुसेलोसिस एक ज़ूनोटिक रोग है। ○ ज़ूनोटिक रोग: यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी पशु स्रोत से सीधे या किसी मध्यस्थ प्रजाति के माध्यम से मानव आबादी में प्रवेश करती है। • इसे माल्टा बुखार या मेडिटेरेनियन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। • इसके कारण: विभिन्न ब्रुसेला प्रजातियाँ, जो मुख्य रूप से मवेशियों, सूअर, बकरी, भेड़ और कुत्तों को संक्रमित करती हैं। ○ ब्रुसेला मेलिटेंसिस मानव ब्रुसेलोसिस का कारण बनने वाली सबसे प्रचलित प्रजाति है। • फैलाव: ब्रुसेलोसिस विश्व स्तर पर पाया जाता है और अधिकांश देशों में यह एक रिपोर्टबल बीमारी है। • भेद्यता: यह सभी उम्र और दोनों जेंडर के लोगों को प्रभावित करता है। ○ हालाँकि, इसका लोगों -से-लोगों संचरण दुर्लभ है। • **ट्रांसमिशन:**

	○ कच्चे या बिना पाश्चुरीकृत डेयरी उत्पाद खाने से लोग संक्रमित होते हैं। ○ वायु संचरण: ब्रुसेलोसिस का कारण बनने वाले बैक्टीरिया हवा के माध्यम से या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क के माध्यम से फैल सकते हैं। • **लक्षण:-** ○ बुखार, कमजोरी, अस्वस्थता और वजन कम होना। • **इलाज:-** ○ संक्रमण का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। ○ हालाँकि, उपचार में कई सप्ताह से लेकर महीनों तक का समय लगता है और संक्रमण दोबारा हो सकता है। • **बचाव:-** ○ अपाश्चुरीकृत डेयरी उत्पादों से परहेज करना। ○ जानवरों को संभालते समय या प्रयोगशाला में काम करते समय रबर के दस्ताने, गाउन या एप्रन पहनने जैसी सुरक्षा सावधानी बरतना। ○ अन्य निवारक उपायों में मांस को ठीक से पकाना, घरेलू पशुओं का टीकाकरण करना आदि शामिल हैं। **अवश्य पढ़ें:** मंकीपॉक्स/एमपॉक्स **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
बेपिकोलम्बो अंतरिक्ष यान	**संदर्भ:** हाल ही में, एक करीबी बुध उड़ान के दौरान, बेपिकोलम्बो अंतरिक्ष यान ने डेटा एकत्र किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ग्रह की सतह पर बारिश होने वाले इलेक्ट्रॉन एक्स-रे ऑरोरा को ट्रिगर करते हैं। **पृष्ठभूमि:-** • यूरोप्लैनेट सोसाइटी के अनुसार, यह पहली बार है जब ग्रह पर एक्स-रे ऑरोरा की प्रक्रिया को समझाया गया है। • **अरोरा:** यह एक प्राकृतिक विद्युत घटना जो आकाश में लाल या हरे रंग की रोशनी की धाराओं की उपस्थिति की विशेषता है, विशेष रूप से उत्तरी या दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव के पास होता है। • यह प्रभाव सूर्य के आवेशित कणों की ऊपरी वायुमंडल में परमाणुओं के साथ इंटरेक्शन के कारण होता है। **परिचय :-** • यह वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया। • मरकरी की परिक्रमा शुरू करने का कार्यक्रम: वर्ष 2025 में । • प्रक्षेपण यान: एरियन 5 • प्रक्षेपण स्थल: गुयाना अंतरिक्ष केंद्र, कौरौ, फ्रेंच गुयाना। • BepiColombo यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) का एक अंतरराष्ट्रीय संयुक्त मिशन है। • ईएसए का मर्करी प्लैनेटरी ऑर्बिटर (एमपीओ) ग्रह की सतह और आंतरिक भाग का अध्ययन करेगा। • JAXA का मर्करी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर (MIO) ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। • ये ESA और JAXA के लिए पहला बुध मिशन हैं। • केवल दो अन्य अंतरिक्ष यान बुध पर गए हैं: नासा का मेरिनर 10 और MESSENGER। (अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)) • **नामकरण:** बेपीकोलंबो का नाम इटली के पडुआ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ग्यूसेप (बेपी) कोलंबो (1920-1984) के नाम पर रखा गया है, जो एक गणितज्ञ और इंजीनियर थे।

	○ वह यह निर्धारित करने वाले पहले व्यक्ति थे कि बुध की सूर्य के चारों ओर प्रत्येक दो क्रांतियों के लिए अपनी धुरी पर तीन बार घूमने की हैबिट के लिए एक अप्रत्याशित प्रतिध्वनि जिम्मेदार है। ● बेपीकोलंबो ने 1 अक्टूबर, 2021 को बुध की पहली उड़ान भरी और कई तस्वीरें भेजीं। **उद्देश्य:-** ● ग्रह की संरचना, भू-भौतिकी, वायुमंडल, मैग्नेटोस्फेयर और इतिहास का अध्ययन करना। ● बुध की सतह और संरचना की जांच करना। ● बुध के बाह्यमंडल को मापना और इसकी संरचना और गतिशीलता को समझना। ● सामान्य सापेक्षता के कुछ सिद्धांतों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगों का संचालन करना। ● गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ में सुधार करना। **अवश्य पढ़ें:** भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
पिकोलिनिक एसिड	**संदर्भ:** IISc के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि पिकोलिनिक एसिड SARS-CoV-2 और इन्फ्लूएंजा A पैदा करने वाले वायरस को रोक सकता है। **इसके बारे में:-** ● यह स्तनधारी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एक प्राकृतिक यौगिक है। ● यह एक पाइरीडीनेमोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। ○ **पाइरिडीनमोनोकार्बोक्सिलिक एसिड:** जिसमें कार्बोक्सी समूह स्थान 2 पर स्थित है। ● यह ट्रिप्टोफैन के चयापचय में एक मध्यवर्ती है। ○ **ट्रिप्टोफैन:** एक आवश्यक अमीनो एसिड जिसका उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। ● इसकी MALDI मैट्रिक्स सामग्री और मानव मेटाबोलाइट के रूप में भूमिका है। ○ **MALDI मैट्रिक्स सामग्री:** ये काफी कम आणविक भार वाले क्रिस्टलीय यौगिक हैं। ● यह पिकोलिनेट का संयुग्म अम्ल है। ○ **संयुग्मी अम्ल:** वे अम्ल जो प्रोटॉन खोते हैं या प्राप्त करते हैं। ● यह हमारी आंत से जिंक और अन्य ट्रेस तत्वों के अवशोषण में मदद करने के लिए जाना जाता है। ● यह केवल थोड़े समय के लिए शरीर के अंदर रहता है और आमतौर पर जल्दी ही बाहर निकल जाता है। **अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:-** ● अध्ययन में मेजबान की कोशिका में घिरे वायरस के प्रवेश को बाधित करने और संक्रमण को रोकने की यौगिक की उल्लेखनीय क्षमता का वर्णन किया गया है। **एनिमल टेस्टिंग रिजल्ट:-** ○ जब इस यौगिक का SARS-CoV-2 और इन्फ्लूएंजा एनिमल मॉडल में परीक्षण किया गया, तो यह जानवरों को संक्रमण से बचाने के लिए पाया गया। (एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट) ○ संक्रमित जानवरों को दिए जाने पर यह फेफड़ों में वायरल लोड को भी कम करते पाया गया। (कोविड-19 का वैश्विक प्रभाव) ○ इसके अलावा, शोधकर्ताओं ने पाया कि पिकोलिनिक एसिड के कारण जानवरों में प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई। ● अनुमान: यह विभिन्न प्रकार के आवरण वाले वायरस के खिलाफ प्रभावी है, जिसमें जीका वायरस और जापानी एन्सेफलाइटिस वायरस जैसे फ्लेविवायरस शामिल हैं।

	अवश्य पढ़ें: कोविड-19 और सामूहिक प्रतिरक्षा **स्रोत:** द हिंदू
DPT3 वैक्सीन	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि भारत ने 2022 में सर्वकालिक उच्च DPT3 टीकाकरण कवरेज दर्ज किया है। **पृष्ठभूमि:-** • भारत में DPT3 टीकों (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) की कवरेज दर 2022 में 93% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो वर्ष 2019 में 91% के महामारी-पूर्व रिकॉर्ड को पार कर गई। • विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा वर्ष 2021 में 85% कवरेज से यह महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई थी। **DPT3 वैक्सीन के बारे में:-** • DPT3 टीके एक संयोजन टीके को संदर्भित करते हैं जो तीन संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है: डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी), और टेटनस।('ZyCov-D' वैक्सीन) • **नामकरण:** DPT3 में "DPT" इन तीन बीमारियों के शुरुआती अक्षरों को दर्शाता है। • **डिप्थीरिया:** एक जीवाणु संक्रमण जो मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। ○ **प्रभाव:** इससे गले और नाक में गंभीर रुकावट, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और गंभीर मामलों में, यह हृदय और तंत्रिका क्षति का कारण बन सकता है। • **पर्टुसिस (काली खांसी):** बैक्टीरिया बोर्डेटेला पर्टुसिस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक श्वसन संक्रमण है। ○ **लक्षण:** यह गंभीर खांसी के दौरों की विशेषता है, जो अक्सर सांस लेने के लिए हांफने पर "हूपिंग" ध्वनि के साथ होती है। ○ पर्टुसिस शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। • **टेटनस:** यह क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक विष पैदा करने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। ○ यह घाव या कट के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और एक विष पैदा करता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियों में अकड़न और ऐंठन होती है, खासकर जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों में। (देश का पहला mRNA-आधारित टीका) **DPT3 टीकों की खुराक:-** • DPT की प्राथमिक खुराक पेंटावेलेंट वैक्सीन के हिस्से के रूप में प्रदान की जाती है। ○ पेंटावैलेंट टीका: यह पांच अलग-अलग टीकों को मिलाकर एक संयोजन टीका है। • इसके लिए दो बूस्टर खुराक क्रमशः 16 -24 महीने और 5-6 साल में दी जाती हैं। **अवश्य पढ़ें:** iNCOVACC **स्रोत:** द हिंदू
MERS-CoV	**संदर्भ:** हाल ही में, अबू धाबी ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस (MERS-CoV) का एक नया मामला दर्ज किया। **मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोनावायरस (MERS-CoV) के बारे में** • यह एक वायरल श्वसन रोग है। • **कारण:** इसका मुख्य कारण मध्य पूर्व श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस (MERS-CoV) है। ○ इसकी पहचान पहली बार वर्ष 2012 में सऊदी अरब में की गई थी। • **मृत्यु दर:** WHO को रिपोर्ट किए गए MERS मामलों में से लगभग 35% की मृत्यु हुई है। ○ MERS-CoV एक जूनोटिक वायरस है। (मंकीपॉक्स/एमपॉक्स)

- ज़ूनोटिक वायरस: यह जानवरों और लोगों के बीच फैलता है।

- **वितरण:** मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और अफ्रीका जैसे कई सदस्य देशों में इसकी पुष्टि की गयी है। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस को ड्रोमेडरी ऊंटों में मानव संक्रमण के संबंध में जोड़ा गया है।

MERS के लक्षण:-

- बुखार आना
- खांसी और
- सांस लेने में कठिनाई
- इसमें निमोनिया आम है।
  - हालाँकि, MERS रोगियों में हमेशा यह स्थिति विकसित नहीं हो सकती है।
- **गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण:** जैसे दस्त।

MERS का संचरण:-

- मानव-से-मानव में संचरण संभव है और यह मुख्य रूप से निकट संपर्कों और स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में हुआ है।
- स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग के बाहर, मानव-से-मानव संचरण सीमित रहा है।

रोकथाम एवं उपचार:-

- इसके लिए वर्तमान में कोई टीका या विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है।
- इसका उपचार सहायक है और रोगी की नैदानिक स्थिति पर आधारित है।

अवश्य पढ़ें: अफ्रीकी स्वाइन बुखार

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

IASBABA

इतिहास, कला एवं संस्कृति

हूल दिवस

संदर्भ: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हूल दिवस के बारे में ट्वीट किया।

पृष्ठभूमि:-

- हर साल, झारखंड राज्य 30 जून को 'हूल दिवस' के रूप में मनाता है, जो संथाला विद्रोह की शुरुआत का प्रतीक है।
- उद्देश्य: ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई में आदिवासियों के बलिदान को याद करना।

हूल दिवस के बारे में:-

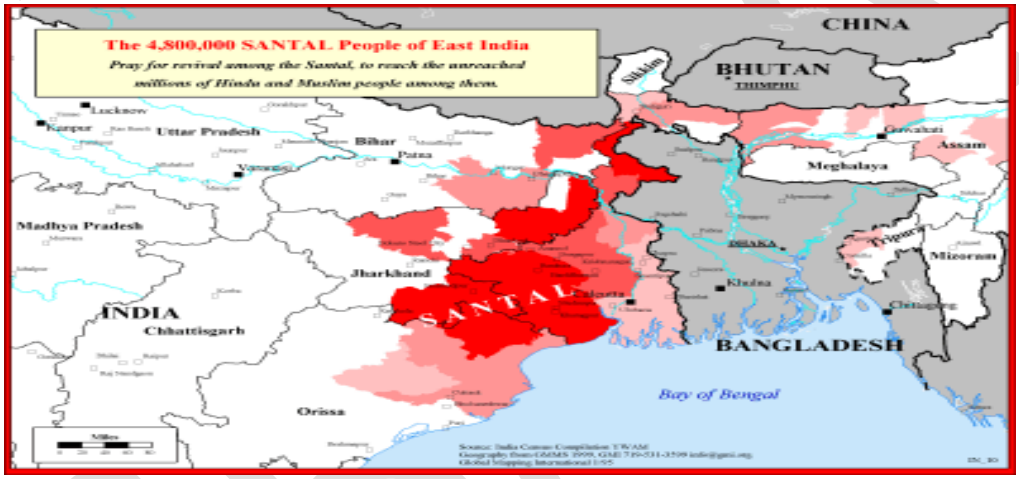

- 'हूल दिवस', संथाल विद्रोह की शुरुआत का प्रतीक है। (1857 का विद्रोह)
- **लॉन्च:** 30 जून 1855।
- **नेता:** सिद्धू, कान्हू,भैरव, और उनकी दो बहनें फूलो और झानो।
- **विद्रोह का क्षेत्र:** विद्रोह दामिन-ए-कोह क्षेत्र में हुआ।
    - **'दामिन-ए-कोह':** इसका अर्थ है वर्तमान झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के आसपास 'पहाड़ियों का किनारा'।
- **विद्रोह के कारण:** यह अंग्रेजों और उनके सहयोगियों जैसे जमींदारों और पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ उपनिवेशवाद के खिलाफ एक संगठित युद्ध था।
- जनजातीय परिषदों और बैठकों में विद्रोह की संभावना पर चर्चा हुई, जिसके परिणामस्वरूप 30 जून, 1855 को 6,000 से अधिक संथालों की एक विशाल सभा हुई, जो विद्रोह की शुरुआत थी।
- सिधू और कान्हू के नेतृत्व में, संथाल अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, उन्होंने औपनिवेशिक शासन के प्रतीकों पर हमला किया और साहूकारों तथा जमींदारों को मार डाला।
- विद्रोह में 32 समुदायों की भागीदारी देखी गई, जिसमें आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों शामिल थे।
- फुलो-झानो, दो बहनें, ने 1,000 महिलाओं की एक सेना का नेतृत्व किया, जिन्होंने खाद्य आपूर्ति प्रदान करने, जानकारी इकट्ठा करने और ब्रिटिश शिविरों पर हमला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना दो बार पराजित हुई।

	• **विद्रोह का प्रभाव:** हूल विद्रोह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था और इसने झारखंड में बाद के आंदोलनों की नींव रखी। **संथाल/सांथाल** • **प्रवास:** 18वीं सदी के अंत में संथाल लोग पश्चिम बंगाल (बीरभूम और मानभूम) से संथाल परगना (वर्तमान में दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, देवघर और जामताड़ा के कुछ हिस्सों में) चले गए। • **प्रवास का कारण:** वर्ष 1770 में बंगाल में अकाल पड़ना। • अंग्रेजों ने कर वसूलने और राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें दामिन-ए-कोह क्षेत्र में बसाया। • हालाँकि, एक बार बसने के बाद, संथालों को औपनिवेशिक उत्पीड़न का खामियाजा भुगतना पड़ा। • साहूकारों और पुलिस द्वारा उनका और भी शोषण किया गया। • इन सबका परिणाम संथाल विद्रोह ही था। • **वर्तमान स्थिति:-** ○ संताल समुदाय भारत का तीसरा सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। ○ यह झारखंड-बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। **अवश्य पढ़ें:** जनजातीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करना **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
दलाई लामा	**संदर्भ:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन पर बधाई दी है। **दलाई लामा के बारे में:-** • दलाई लामा आध्यात्मिक नेता हैं जो तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं। ○ दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है। • माना जाता है कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के प्रतीक हैं। • तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं और पहले तथा दूसरे दलाई लामाओं को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी। ○ 14वें और वर्तमान दलाई लामा 'तेनजिन ग्यात्सो' हैं। ○ तिब्बत की मुक्ति के लिए अहिंसक संघर्ष जारी रखने हेतु परमपावन दलाई लामा को वर्ष 1989 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • 1950 के दशक में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्ज़ा करने तक, दलाई लामा तिब्बती सरकार के प्रमुख थे। • बाद में तिब्बत को आधिकारिक तौर पर चीनी नियंत्रण में लाने की योजना बनाई गई। • वर्ष 1959: तिब्बती चीनी शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरे। • दलाई लामा 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान हज़ारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से भारत भाग आए। • जहाँ उनका स्वागत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में 'निर्वासन में तिब्बती सरकार' बनाने की अनुमति दी। **दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया:**

	• पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध धर्म के बाद वर्तमान दलाई लामा को बौद्धों द्वारा उस शरीर को चुनने में सक्षम माना जाता है जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है। • वह व्यक्ति जब मिल जाता है तो अगला दलाई लामा उसे बना दिया जाता है। • बौद्ध विद्वानों के अनुसार, यह गेलुग्पा परंपरा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वे पदाधिकारी की मृत्यु के बाद अगले दलाई लामा की तलाश करें और उन्हें खोजें। • यदि एक से अधिक उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, तो वास्तविक उत्तराधिकारी एक सार्वजनिक समारोह में अधिकारियों और भिक्षुओं द्वारा बहुत से लोगों को आकर्षित करते हुए पाया जाता है। • एक बार पहचाने जाने के बाद सफल उम्मीदवार और उसके परिवार को ल्हासा (या धर्मशाला) ले जाया जाता है,जहाँ बच्चा आध्यात्मिक नेतृत्त्व की तैयारी के लिये बौद्ध धर्मग्रंथों का अध्ययन करता है। **तिब्बती बौद्ध धर्म** • तिब्बती बौद्ध धर्म तांत्रिक और शमनिक के साथ महायान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और एक प्राचीन तिब्बती धर्म बॉन की शिक्षाओं का संयोजन है। **भारत और चीन संबंधों पर तिब्बत और दलाई लामा का प्रभाव:-** • **पृष्ठभूमि:** तिब्बत सदियों से भारत का वास्तविक पड़ोसी था। ○ **वर्ष 1914:** तिब्बती प्रतिनिधियों ने, चीनी प्रतिनिधियों के साथ, ब्रिटिश भारत के साथ सीमाओं का निर्धारण करते हुए शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। ○ हालाँकि, 1950 में चीन द्वारा तिब्बत के पूर्ण विलय के बाद, दोनों देशों को अलग करने वाले सम्मेलन और मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया गया था। ○ **वर्ष 1954:** भारत और चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें वे तिब्बत को "चीन के तिब्बत क्षेत्र" के रूप में मान्यता देने पर सहमत हुए। • **वर्तमान स्थिति:** भारत-चीन संबंधों में सबसे बड़ी रुकावट दलाई लामा और तिब्बत हैं। ○ चीन दलाई लामा को तिब्बतियों के बीच काफी प्रभाव रखने वाला अलगाववादी मानता है। ○ भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत की तिब्बत नीति बदल गई है। ○ यह नीति परिवर्तन दर्शाता है कि भारत सरकार सार्वजनिक मंचों पर दलाई लामा के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। ○ भारत की तिब्बत नीति में बदलाव से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। **जरूर पढ़ें:** गलवान के एक साल बाद, भारत-चीन संबंध **स्रोत:** AIR
बैस्टिल दिवस परेड	**संदर्भ:** प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बैस्टिल डे परेड का दौरा किया। **पृष्ठभूमि:-** • प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की बैस्टिल दिवस यात्रा भारत-फ्रांस संबंधों के महत्व को बढ़ाती है। • उम्मीद है कि यह बैठक अगले 25 वर्षों के लिए दिशा तय करेगी। **बैस्टिल डे परेड के बारे में:-** • स्थान: पेरिस, फ्रांस • यह वर्ष 1880 में शुरू हुआ। • यह एक वार्षिक कार्यक्रम है।

	• यह प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई की सुबह आयोजित किया जाता है। • यह एक फ्रांसीसी सैन्य परेड है। • इसे 14 जुलाई की सैन्य परेड के नाम से भी जाना जाता है। • यह विश्व की सबसे पुरानी नियमित सैन्य परेडों में से एक है। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • 14 जुलाई फ्रांस के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक है, यह बैस्टिल, एक सैन्य किले और राजनीतिक जेल के पतन का प्रतीक है, जिसे उस समय राजशाही और शस्त्रागार का प्रतीक माना जाता था। • इस दिन को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। **महत्व:-** • **एकता और स्वतंत्रता का सम्मान:** फ्रांस में एक राष्ट्रीय अवकाश, बैस्टिल दिवस फ्रांसीसी क्रांति द्वारा लाई गई स्वतंत्रता और एकीकरण का सम्मान करता है। • **सांस्कृतिक गौरव के साथ फ्रांसीसी पहचान का उत्सव मनाना:** बैस्टिल दिवस उत्सव के दौरान फ्रांसीसी लोग राष्ट्रीय गौरव की उच्च भावना का अनुभव करते हैं। • **वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना:** बैस्टिल दिवस का उत्सव दुनिया भर में मनाया जाता है और राष्ट्रों को एकजुट होने और वैश्विक एकजुटता बनाने का अवसर प्रदान करता है। (भारत-यूरोपीय संघ संबंध) **भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी** • **रक्षा सहयोग:-** ○ राफेल विमान की खरीद: वर्ष 2016 में भारत और फ्रांस ने 36 राफेल जेट के लिए 59000 करोड़ रुपये का सौदा किया। ○ नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा स्कॉर्पीन श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण। (भारत और फ्रांस संबंध) • संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन (सीसीआईटी) को अपनाना। • वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद, फ्रांस ने राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान स्थित हाफिज सईद को 'वैश्विक आतंकवादी' के रूप में सूचीबद्ध किया। • फ्रांस ने मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति के तहत निर्दोष भारतीय नागरिकों को शामिल करने के पाकिस्तान के प्रयासों को रोकने के भारत के अनुरोध का भी समर्थन किया है। ○ UNSC 1267: आतंकवादियों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की मुहर के साथ एक वैश्विक सूची है। **द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास:-** ○ नौसेना: वरुण अभ्यास ○ सेना: शक्ति अभ्यास ○ वायु सेना: गरुड़ अभ्यास **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	**संदर्भ:** प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।. **वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में**

- यह पोर्ट ब्लेयर से 2 किमी दक्षिण में स्थित है।
- यह भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मुख्य हवाई अड्डा है।
- वर्ष 2002 में, अंडमान और निकोबार द्वीप पर पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर रखा गया।
- हवाई अड्डे की वास्तुकला प्रकृति से प्रेरित है।
- इसमें एक शंख के आकार की वास्तुकला है जो समुद्र और द्वीपों को दर्शाती है।
- हवाई अड्डे का डिज़ाइन द्वीप के पारिस्थितिक पहलू और कुछ स्थिरता सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।
    - नए हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत प्रणाली जैसी कई स्थिरता सुविधाएँ हैं। भवन के अंदर कृत्रिम प्रकाश के उपयोग को कम करने के लिए दिन के दौरान प्रचुर प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का अधिकतम प्रवेश प्रदान करने के लिए रोशनदान भी होंगे। भवन में एलईडी लाइटिंग भी होगी।
- यह एक नागरिक हवाई अड्डा है, और इसकी सुविधाएं भारतीय नौसेना के साथ साझा की जाती हैं।
- **प्रशासन:** टर्मिनल का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जबकि यातायात का प्रबंधन भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। (नागरिक उड्डयन उद्योग में सुधार)

वीर सावरकर के बारे में

- वह एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे।
- जन्म: 28 मई 1883।
- उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था।
- मृत्यु: 26 फरवरी, 1966।
- सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए और भारत के सार के रूप में "हिंदू" सामूहिक पहचान स्थापित करने के लिए चंद्रनाथ बसु के हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाया।
- उन्होंने हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को गढ़ा।
- उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी संगठनों की स्थापना की।
    - अभिनव भारत सोसायटी (यंग इंडिया सोसायटी): यह वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक भारतीय स्वतंत्रता गुप्त सोसायटी थी।
    - द फ्री इंडिया सोसाइटी: इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1906 में लंदन में की थी।
- उन्होंने वर्ष 1899 में 'मित्र मेला' नामक एक युवा समूह का आयोजन किया।
- वह 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे।
- वह 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष मानने वाले पहले व्यक्ति थे।
- उन्होंने 'द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस' पुस्तक लिखी।
- उन्होंने नास्तिकता और तर्कसंगतता का समर्थन किया और रूढ़िवादी हिंदू विश्वास को अस्वीकार कर दिया।
- सावरकर ने एक हस्तलिखित साप्ताहिक आर्यन वीकली बनाया जिसमें उन्होंने देशभक्ति, साहित्य, इतिहास और विज्ञान पर ज्ञानवर्धक लेख लेख प्रकाशित किए।

	• वर्ष 1911 में मॉर्ले-मिंटो सुधारों (भारतीय परिषद अधिनियम 1909) के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल में 50 साल की सजा सुनाई गई थी। • सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के विभाजन को इसकी स्वीकृति के आलोचक थे। **अवश्य पढ़ें:** कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा **स्रोत:** AIR
रुद्रगिरि पहाड़ी	**संदर्भ:** हाल ही में, रुद्रगिरि पहाड़ी पर रॉक कला का एक आकर्षक मिश्रण देखा गया। **रुद्रगिरि हिलॉक पर मुख्य निष्कर्ष:-** • मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति का संयोजन देखा गया। (प्राचीन शैल चित्र) ○ मेसोलिथिक काल: यह काल सामान्यतः लगभग 12,000-10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। ○ इस समय के दौरान, मानव समाज मुख्य रूप से शिकारी-संग्रहकर्ता समुदाय (predominantly hunter-gatherer communities) थे। • इसकी पहली गुफा वानर भाइयों, बाली और सुग्रीव के बीच तीव्र युद्ध को चित्रित करने वाली एक कथात्मक भित्तिचित्र प्रस्तुत करती है। • दोनों आकृतियाँ युद्ध के मैदान में गदा लिए खड़ी हैं, उनके चेहरे पर भयंकर दृढ़ संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। • सुग्रीव के पीछे खड़े राम, बाली पर तीर चलाते हुए दिख रहे हैं। • रामायण भित्तिचित्र में हनुमान को अपने दाहिने हाथ से संजीवनी पहाड़ी उठाते हुए दिखाया गया है, जिसमें शंख और अग्नि वेदियाँ चित्रित हैं और उनके दाईं ओर एक और प्रागैतिहासिक पेंटिंग देखी जा सकती है। • बीच वाली गुफा में, हनुमान का एक भव्य रेखाचित्र, शंख और अग्नि वेदी (यज्ञ वेदी) के पवित्र प्रतीकों के साथ दिखाई देता है। • तीसरी गुफा में मेसोलिथिक युग के प्रागैतिहासिक शैलचित्र हैं। • दिलचस्प बात यह है कि, काकतीय कलाकार ने हनुमान की सुंदर आकृति को चित्रित करने के लिए उसी चट्टान शेल्टर को चुना, जिसे एक अद्वितीय 'अंजलि' मुद्रा में चित्रित किया गया है, जो दिव्य भेंट में हाथ जोड़ रहे है। • गणपति देव महाराजा (1199-1262 ई.) जो मुप्पावरम मंदिर के निर्माता थे और काकतीय राजवंश के एक प्रमुख व्यक्ति थे, संभवतः रुद्रगिरि में पाए जाने वाली समृद्ध प्राचीन भित्ति विरासत के संरक्षक थे। **रुद्रगिरि पहाड़ी के बारे में तथ्य :-** • **स्थान:** आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला। • यह पूर्वी घाटों के बीच बसा हुआ है और इसकी तलहटी में पश्चिम की ओर पांच प्राकृतिक रूप से बने चट्टानी शेल्टर हैं। • ये शेल्टर लगभग 5000 ईसा पूर्व मेसोलिथिक युग के दौरान लोगों के रहने के लिए क्वार्टर के रूप में काम करते थे। • ये उस युग के चमकदार शैलचित्रों के साक्षी हैं। (जलवायु परिवर्तन के कारण प्राचीनतम शैलचित्रों का क्षय) • पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर दो प्राकृतिक गुफाएँ भी प्रसिद्ध काकतीय साम्राज्य के असाधारण भित्ति चित्र प्रदर्शित करती हैं। ○ **काकतीय साम्राज्य:** यह एक दक्षिण भारतीय राजवंश था जिसने वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश,

	और पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्सों सहित पूर्वी दक्कन क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर शासन किया था। ○ **समयावधि:** इसका समय 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच रही थी। ○ **राजधानी:** ओरुगल्लू, जिसे अब वारंगल के नाम से जाना जाता है। **अवश्य पढ़ें:** रत्नागिरी की प्रागैतिहासिक रॉक कला **स्रोत:** द हिंदू
ताम्र युग	**संदर्भ:** हाल के जीनोमिक आंकड़ों ने ताम्र युग के ख़त्म होने के कारणों पर प्रकाश डाला है। **आंकड़ों की मुख्य बातें:-** ● प्राचीन जीनोमिक डेटा के पिछले विश्लेषणों से पता चला है कि पश्चिमी यूरेशिया में दो प्रमुख आनुवंशिक घटनाएं घटीं: ○ एक ईसा पूर्व 7,000-6,000 के आसपास खेती के प्रसार से जुड़ा है ○ अन्य 3,300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुए यूरेशियन स्टेपी से पशुपालक समूहों के विस्तार के परिणामस्वरूप हुए। ○ इन दो घटनाओं के बीच की अवधि, ताम्र युग, धातु विज्ञान, पहिया और वैगन परिवहन, और घोड़े के वर्चस्व पर आधारित एक नई अर्थव्यवस्था की विशेषता थी। ● हालाँकि, ताम्र युग की बस्तियों (लगभग 4,250 ईसा पूर्व) के ख़त्म होने और चरवाहों के विस्तार के बीच की घटनाओं को अच्छी तरह से नहीं समझा गया है। ● हाल के आंकड़ों के अनुसार, यह पाया गया है कि जहां नवपाषाण और ताम्र युग समूहों के बीच आनुवंशिक निरंतरता थी, वहीं लगभग 4500 ईसा पूर्व के उत्तर-पश्चिमी काला सागर क्षेत्र के समूहों ने ताम्र युग और स्टेपी-ज़ोन की आबादी से अलग-अलग मात्रा में वंशावली ली थी। ● इस खोज से पता चलता है कि समूहों के बीच सांस्कृतिक संपर्क था और वे पहले की तुलना में लगभग 1,000 साल पहले मिश्रित हुए थे। ● विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से किसानों और संक्रमणकालीन शिकारियों के बीच प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण 3300 ईसा पूर्व के आसपास पशुपालक समूहों के उदय, गठन और विस्तार का अभिन्न अंग था। ● लेखकों के अनुसार, एनोलिथिक के दौरान प्रारंभिक मिश्रण चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के एनडब्ल्यू काला सागर क्षेत्र के लिए स्थानीय प्रतीत होता है और इसने दक्षिणपूर्वी यूरोप के भीतरी इलाकों को प्रभावित नहीं किया। **ताम्र युग के बारे में:-** ● इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ● यह मानव प्रागितिहास में नवपाषाण काल (नव पाषाण युग) और कांस्य युग के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि का वर्णन करता है। (भीमबेटका गुफा) ● ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों ने कांस्य युगीन हड़प्पा संस्कृति का अनुसरण किया। ● भारत में, यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। ● **स्थान:** यह संस्कृति मुख्य रूप से पूर्व-हड़प्पा चरण में देखी गई थी, लेकिन कई स्थानों पर इसका विस्तार उत्तर-हड़प्पा चरण तक भी हुआ। ● इसकी विशेषता पत्थर के औजारों का उपयोग और धातुकर्म की शुरुआत, विशेष रूप से तांबे का उपयोग है। ● इस अवधि की परिभाषित विशेषताएं: पत्थर के औजारों और प्रारंभिक धातु की वस्तुओं, मुख्य रूप से तांबे का

एक साथ उपयोग करना।

- ताम्रपाषाणिक संस्कृति कृषक समुदायों, अर्थात् अहार या बनास, मालवा और जोर्वे से मेल खाती है।
- इस युग के लोग पशुपालन और कृषि करने लगे।
- ये गेहूँ, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहनी फसलें भी उगाते थे।
- मुख्य विशेषताएं: किसी क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति को उसके चीनी मिट्टी के बर्तनों और तांबे की कलाकृतियों, अर्ध-कीमती पत्थरों के मोती, पत्थर के औजार और टेराकोटा मूर्तियों जैसे अन्य सांस्कृतिक उपकरणों द्वारा परिभाषित किया गया था।

अवश्य पढ़ें: गुरुग्राम में पाषाण युग की पेंटिंग

स्रोत: द हिंदू

IASBABA

विविध

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

संदर्भ: हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की।

पृष्ठभूमि:-

- एनआईए ने पाकिस्तान स्थित संदिग्धों गज़वा-ए-हिंद द्वारा चलाए जा रहे कट्टरपंथी मॉड्यूल के संबंध में बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापे मारे।
- छापे के दौरान, इसने डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की।

परिचय :-

- यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- स्थापित : वर्ष 2008 में
  - दिनांक 31-12-08 को अधिनियमित राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम ने इसकी स्थापना की। (एनआईए)
- **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- यह निम्नलिखित मामलों में अपराधों की जाँच और अभियोग चलाने की केंद्रीय एजेंसी है:
  - भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध।
  - परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध।
  - उच्च गुणवत्तायुक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी।

उद्देश्य:-

- यह अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, अभिसमयों (Conventions) और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- केंद्रीय स्तर पर यह एजेंसी 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद आतंकवाद और कुछ अन्य अधिनियमों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए बनाई गई थी।

एनआईए के कार्य:-

- नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके अनुसूचित अपराधों की गहन पेशेवर जांच करना ।
- प्रभावी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करना।
- पूरी तरह से पेशेवर, परिणामोन्मुख संगठन के रूप में विकसित होना।
- नियमित प्रशिक्षण और सर्वोत्तम अभ्यासों एवं प्रक्रियाओं से अवगत कराने के माध्यम से पेशेवर कार्यबल का विकास।
- NIA अधिनियम के कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करने के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों तथा अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पेशेवर और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना।
- आतंकवादी मामलों की जाँच में सभी राज्यों और अन्य जाँच एजेंसियों की सहायता करना।
- आतंकवाद से संबंधित सभी सूचनाओं का डेटाबेस बनाना।
- उपलब्ध डेटाबेस को राज्यों तथा अन्य एजेंसियों के साथ साझा करना।।
- अन्य देशों में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का अध्ययन और विश्लेषण करना।

	• तथा नियमित रूप से भारत में मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तनों के लिये प्रस्ताव पेश करना। • निस्वार्थ और निडर प्रयासों के माध्यम से भारत के नागरिकों का विश्वास जीतना। **अवश्य पढ़ें:** केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) **स्रोत:** AIR
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)	**संदर्भ:** हाल ही में, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, भारत ने आज दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। **पृष्ठभूमि:-** • नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। • इसका उद्देश्य खेलों में डोपिंग रोधी क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के बारे में:-** • NADA राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 के तहत एक वैधानिक निकाय है। (नशीली दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोष) • **स्थापना:** वर्ष 2005 में • **मंत्रालय:** युवा मामले और खेल मंत्रालय • **मुख्यालय:** नई दिल्ली **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • इसकी स्थापना भारत में डोप-मुक्त खेलों के लिए 2005 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। ○ एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार लाने के इरादे से एथलीटों द्वारा प्रतिबंधित मेडिसिन, दवाओं या उपचारों का डोपिंग उपयोग। • NADA को एक वैधानिक निकाय बनाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया गया। **नाडा के उद्देश्य:-** • विश्व एंटी-डोपिंग कोड (संहिता) के अनुसार एंटी-डोपिंग नियमों को लागू करना। ○ वाडा: इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। ○ उद्देश्य: सभी खेलों और देशों में डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों का विकास, सामंजस्य और समन्वय करना। ○ विश्व डोपिंग रोधी संहिता (कोड): यह मुख्य दस्तावेज है जो दुनिया भर के खेल संगठनों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच डोपिंग रोधी नीतियों, नियमों और विनियमों में सामंजस्य स्थापित करता है। • शिक्षा एवं शोध को बढ़ावा देना। • डोपिंग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना। **नाडा के कार्य:-** • देश में सभी खेल संगठनों द्वारा अनुपालन प्राप्त करने के लिए डोपिंग रोधी संहिता को लागू करना। • सभी भाग लेने वाले हितधारकों के माध्यम से डोप परीक्षण कार्यक्रम का समन्वय करना। • डोप-मुक्त खेलों के मूल्य को विकसित करने के लिए डोपिंग-रोधी अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देना। • कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर सुधार को सक्षम करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास मानकों और

	गुणवत्ता प्रणालियों को अपनाना। **दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO)** • गठन: वर्ष 2007 में ○ इसका गठन 16 मई 2007 को मालदीव में आयोजित दक्षिण एशियाई डोपिंग रोधी कार्यक्रम परियोजना विकास बैठक में किया गया था। • **मुख्यालय:** मालदीव • **उद्देश्य:** दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (आरएडीओ) के सदस्य देशों के बीच खेलों में सभी रूपों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देना और समन्वय करना। • **सदस्य देश:** इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के डोपिंग रोधी संगठन शामिल हैं। **अवश्य पढ़ें:** स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम **स्रोत:** AIR
बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास- साल्वेक्स	**संदर्भ:** भारतीय नौसेना, यूएस नेवी (आईएन-यूएसएन) बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास, SALVEX का सातवां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। **साल्वेक्स के बारे में:-** • यह 26 जून से 06 जुलाई 23 तक कोच्चि में आयोजित किया गया था। • शुरू : वर्ष 2005 में • पृष्ठभूमि: भारतीय नौसेना (आईएन) और अमेरिकी नौसेना (यूएसएन) 2005 से संयुक्त बचाव और ईओडी अभ्यास में भाग ले रही हैं। (26वां अभ्यास मालाबार) ○ EOD: यह सैन्य और कानून प्रवर्तन में एक विशेष तकनीकी क्षेत्र है। • इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई जिसमें विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के अलावा आईएनएस निरीक्षक और यूएसएनएस साल्वोर जहाज शामिल थे। • **अवधि:** यह 10 दिनों से अधिक समय तक चलता है। (TARKASH व्यायाम) **प्रमुख गतिविधियां और परिणाम:-** • समुद्री बचाव पर साझा सीख: दोनों देशों की गोताखोर टीमें समुद्री बचाव कार्यों में अनुभवों, पाठों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान में लगी हुई हैं। • ईओडी संचालन पर प्रशिक्षण सहक्रियाएँ: अभ्यास ने संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया, जिससे गोताखोरों और ईओडी टीमों को अपनी अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और अपने कौशल को निखारने की अनुमति मिली। • खदान का पता लगाने और निष्क्रिय करने में महारत: भाग लेने वाले गोताखोरों ने खदानों का पता लगाने और निष्क्रिय करने में व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे वे पानी के नीचे के वातावरण में संभावित खतरों को कम करने में सक्षम हो सके। • कुशल मलबे का स्थान और बचाव तकनीक: यह अभ्यास मलबे का पता लगाने और उसे बचाने के लिए टीमों की क्षमताओं को निखारने पर केंद्रित है, जो सुरक्षित नेविगेशन और प्रभावी आपदा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। **अवश्य पढ़ें:** भारत-अमेरिका संबंध **स्रोत:** पीआईबी
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी। **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में:-**

- इस पुरस्कार की घोषणा 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' पर की जाती है।
    - **वीर बाल दिवस:** यह गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत को श्रद्धांजलि है। (श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व)
- पुरस्कार हर साल जनवरी में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह/समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किए जाते हैं।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** इसे वर्ष 1979 में राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में स्थापित किया गया था, वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर बाल कल्याण पुरस्कार कर दिया गया।
- **उद्देश्य:** यह हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, जोश और उत्साह का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जाता है।
- **क्षेत्र:** यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है।
- **द्वारा पुरस्कृत:** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

पात्रता:-

- एक बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है और 18 वर्ष से अधिक नहीं है (आवेदन/नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि के अनुसार)।
- कार्य/घटना/उपलब्धि विचाराधीन वर्ष के लिए आवेदन/नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर की होनी चाहिए।
- आवेदक को पहले किसी भी श्रेणी में उसी पुरस्कार का पूर्व प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए (असाधारण उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सहित, जैसा कि मंत्रालय द्वारा पहले प्रदान किया गया था)

चयन प्रक्रिया

- प्राप्त आवेदनों की सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच की जाती है।
- अंतिम चयन राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा किया जाता है।

संरचना:

- पदक
- 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार
- प्रमाणपत्र और प्रशस्ति पत्र

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है:-

- **बाल शक्ति पुरस्कार**
    - यह हर साल भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियों, सामाजिक सेवा, कला और संस्कृति, खेल और बहादुरी में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
    - **पात्रता:** एक बच्चा जो भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक है और उसकी उम्र 5-18 वर्ष के बीच है।
    - **संरचना:** एक पदक, 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार, 10,000 रुपये मूल्य के बुक वाउचर, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
- **बाल कल्याण पुरस्कार**
    - यह उन व्यक्तियों और संस्थानों को मान्यता के रूप में दिया जाता है, जिन्होंने बाल विकास, बाल संरक्षण और बाल कल्याण के क्षेत्र में बच्चों की सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

	○ पात्रता: एक व्यक्ति जो भारत में रहने वाला भारतीय नागरिक है और उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए (संबंधित वर्ष के 31 अगस्त तक)। ○ उसे कम से कम 7 वर्ष तक बच्चों के हित के लिए काम करना चाहिए। ○ संस्था पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं होनी चाहिए और 10 वर्षों से बाल कल्याण के क्षेत्र में होनी चाहिए और क्षेत्र में लगातार अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। **अवश्य पढ़ें:** पद्म पुरस्कार **स्रोत:** AIR
अंतर्राष्ट्रीय जीवविज्ञान ओलंपियाड	**संदर्भ:** हाल ही में बेंगलुरु के एक छात्र ने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड (IBO) में स्वर्ण पदक जीता। **पृष्ठभूमि:-** ● ध्रुव आडवाणी ने 3 से 11 जुलाई, 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीवविज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता। ● भारत अपने सभी चार छात्रों के स्वर्ण पदक जीतने के कारण इस आयोजन में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। ● इस वर्ष के IBO में 76 देशों के 293 छात्रों ने भाग लिया। ● यह पहली बार है कि भारत ने IBO में स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। **अंतर्राष्ट्रीय जीवविज्ञान ओलंपियाड के बारे में:-** ● इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड (आईबीओ) वह एसोसिएशन है जो माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए विश्व की प्रमुख जीव विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करता है। (शतरंज ओलंपियाड) ● **मिशन:** जीवविज्ञान में अगली पीढ़ी के नेताओं की पहचान करना, उन्हें प्रेरित करना, सशक्त बनाना और उनका समर्थन करना और उनका अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना। ● अंतर्राष्ट्रीय जीवविज्ञान ओलंपियाड प्रतियोगिता 20 वर्ष से कम आयु के प्री-यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। ● **पहला आईबीओ:** वर्ष 1990 में चेकोस्लोवाकिया में आयोजित किया गया। ○ तब से यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने लगा है। ○ हर वर्ष इसका आयोजन अलग-अलग देशों द्वारा किया जाता है। ○ **34वां आईबीओ:** वर्ष 2023 में अल ऐन, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। ● भारत ने इस ओलंपियाड का आयोजन वर्ष 2008 में किया था। **अवश्य पढ़ें:** टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना **स्रोत:** द हिंदू
भूमि सम्मान पुरस्कार-2023	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 'भूमि सम्मान 2023' प्रदान किया। **पृष्ठभूमि:-** ● ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि यह आयोजन राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिन्हें उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 75 वर्षों में पहली बार "भूमि सम्मान" प्राप्त होगा। ● उन्होंने आगे कहा कि "भूमि सम्मान" योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। **भूमि सम्मान 2023 के बारे में:-** ● **शुरू किया गया :** वर्ष 2023 में ● **द्वारा प्रस्तुत:** भारत के राष्ट्रपति

	• **प्रस्तुति:** विज्ञान भवन, नई दिल्ली • **मंत्रालय:** ग्रामीण विकास मंत्रालय • **चयन प्रक्रिया:-** ○ इसकी ग्रेडिंग जिलों के प्रदर्शन के आधार पर की गई है जैसा कि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में दर्शाया और जैसा कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा रिपोर्ट किया गया है। (स्वामित्व योजना) ○ प्लैटिनम ग्रेडिंग उन जिलों को दी जाती है जिन्होंने DILRMP के संबंधित मुख्य घटकों में संतृप्ति यानी 100% लक्ष्य पूरा कर लिया है। (विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) योजना) • नौ राज्य सचिवों और विभिन्न जिलों के 68 जिला कलेक्टरों को उत्कृष्ट प्रदर्शन हासिल करने में उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए "भूमि सम्मान" प्रदान किया जाएगा। **अवश्य पढ़ें:** संशोधित ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (RADPFI) दिशानिर्देश **स्रोत:** AIR
ह्वासोंग-18	**संदर्भ:** हाल ही में, उत्तर कोरिया ने ह्वासोंग-18 नामक अपनी नवीनतम अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का परीक्षण किया। **ह्वासोंग-18 के बारे में:-** • **विकसित:** डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) या उत्तर कोरिया। • वर्ष 2023 में परीक्षण किया गया। • यह उत्तर कोरिया द्वारा विकसित एक प्रकार की ठोस-ईंधन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है। ○ ICBM लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती हैं। 5,500 किमी से अधिक की सीमा के साथ, इन्हें अंतरमहाद्वीपीय मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है। • यह ठोस ईंधन का उपयोग करने वाला उत्तर कोरिया का पहला आईसीबीएम है। ○ ठोस प्रणोदक तेजी से फायर कर सकते हैं और लिफ्टऑफ़ पर अधिक तेज़ी से गति कर सकते हैं। ○ यह तेज़ लॉन्च की अनुमति देता है। • यह उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम का हिस्सा है और माना जाता है कि इसकी सीमा कोरियाई प्रायद्वीप से बाहर लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। **अवश्य पढ़ें:** उत्तर और दक्षिण कोरिया को युद्धविराम समझौते के उल्लंघन का दोषी पाया गया **स्रोत:** इंडियन एक्सप्रेस
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन	**संदर्भ:** हालिया घोषणाओं के अनुसार, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) ने वैश्विक डाक नेटवर्क का उपयोग करके सीमा पार प्रेषण के साथ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के एकीकरण का मूल्यांकन करने की योजना की घोषणा की है। **पृष्ठभूमि:-** • यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के महानिदेशक (DG UPU) श्री मासाहिको मेटोकी, यूपीयू क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के लिए भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर थे। • परस्पर बाततचीत के दौरान, डीजी यूपीयू ने डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से भारत के वास्तविक डाकघरों के विस्तार की सराहना की और अन्य देशों में इसी तरह के मॉडल बनाये जाने पर बल दिया। उन्होंने डाक चैनलों के माध्यम से सीमा पार से धन भेजे जाने के साथ इसे समेकित करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन करने पर भी सहमति जताई। **यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में:-** • इसकी स्थापना वर्ष 1874 में बर्न की संधि के माध्यम से की गई थी।

	• इसका मुख्यालय बर्न, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। • **उद्देश्य:** विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अलावा, सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करना। (विश्व डाक दिवस: 9 अक्टूबर) • इसमें अब कुल सदस्य देशों की संख्या 192 है। • **सदस्यता की पात्रता:** संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य देश UPU का सदस्य बन सकता है। ○ संयुक्त राष्ट्र के गैर-सदस्य देश कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य देशों के अनुमोदन पर UPU में शामिल हो सकते हैं। ○ भारत वर्ष 1876 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में शामिल हुआ। **यूपीयू की संरचना:-** **इसमें चार निकाय शामिल हैं: -** **कांग्रेस** • कांग्रेस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की सर्वोच्च संस्था है और इसकी बैठक हर चार साल में होती है। **प्रशासन परिषद (CA)** • परिषद कांग्रेस के बीच यूपीयू के कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करती है, इसकी गतिविधियों की निगरानी करती है और नियामक, प्रशासनिक, विधायी और कानूनी मुद्दों का अध्ययन करती है। **पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (POC)** • पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल (पीओसी) यूपीयू का तकनीकी और ऑपरेशनल माइंड है और इसमें कांग्रेस के दौरान चुने गए 48 सदस्य देश शामिल हैं। **अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो (IB)** • एक सचिवालय कार्य को पूरा करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो यूपीयू के निकायों को लॉजिस्टिकल और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। **यूपीयू के कार्य:-** • यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए डाक क्षेत्र का प्राथमिक मंच है। • यह दुनिया भर में दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। • यह डाक क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच सहयोग का प्राथमिक मंच है। • यह अद्यतन उत्पादों और सेवाओं का वास्तव में सार्वभौमिक नेटवर्क सुनिश्चित करने में मदद करता है। • यह एक सलाहकार, मध्यस्थता और संपर्क की भूमिका निभाता है। • यह जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता प्रदान करता है। • यह अंतर्राष्ट्रीय मेल आदान-प्रदान के लिए नियम निर्धारित करता है। • यह मेल, पार्सल और वित्तीय सेवाओं की मात्रा में वृद्धि को प्रोत्साहित करने और ग्राहकों के लिए सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सिफारिशें करता है। **अवश्य पढ़ें:** भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व **स्रोत:** द इकोनॉमिक टाइम्स
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022	**संदर्भ:** भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 प्रदान किए। **पुरस्कार समारोह की मुख्य झलकियाँ:-** • इसमें दो महिलाओं सहित 22 भूवैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। • लाइफटाइम एचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉ. ओम नारायण भार्गव को दिया गया। वह पिछले चार

	दशकों में हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। • बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमिय कुमार समल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया। ○ उन्होंने भारतीय सतह के विभिन्न आर्कियन क्रेटन के नीचे उप-महाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल (एससीएलएम) की विविधता को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। **राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 के बारे में:-** • प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 1966 में खान मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। • **उद्देश्य:** भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और योगदान के लिए व्यक्तियों और टीमों को सम्मानित करना। **प्रमुख विषय: -** • खनिज खोज और अन्वेषण • खनन, खनिज लाभ और सतत् खनिज विकास • बुनियादी भूविज्ञान • अनुप्रयुक्त भूविज्ञान **पुरस्कार की श्रेणी:-** • प्रत्येक पुरस्कार एक प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार के रूप में होगा। • **नकद पुरस्कार इस प्रकार होगा:** ○ **लाइफटाइम अचीवमेंट के लिये राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार:** पुरस्कार के रूप में 5,00,000 रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ○ **राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार:** पुरस्कार के रूप में 3,00,000 रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। ○ टीम को पुरस्कार दिये जाने की स्थिति में पुरस्कार राशि को टीम के सदस्यों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। ○ **राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार:** इस पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए से अधिक नकद, पाँच वर्षों में संतोषजनक वार्षिक प्रगति के आधार पर 5,00,000 रुपए का शोध अनुदान और प्रमाण पत्र दिया जाता है। • पुरस्कार राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (10) (17ए) के तहत आयकर से मुक्त है। **अवश्य पढ़ें:** प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार (PBSA) **स्रोत:** AIR
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी)	**संदर्भ:** हाल ही में सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) को मंजूरी दे दी है। **परिचय:**

- **लॉन्च:** वर्ष 2023 में
    - इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 (2025-26 तक) में की गई थी।
- **मंत्रालय:** गृह मंत्रालय
- **उद्देश्य:** चयनित गांवों में लोगों को रहने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देना।
- **कवरेज:** यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं:-

- इस कार्यक्रम में आजीविका सृजन के अवसर पैदा करने के लिए चयनित गांवों में हस्तक्षेप के केंद्रित क्षेत्रों की परिकल्पना की गई है।
- यह पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से किया जाएगा।
- यह कृषि/बागवानी, औषधीय पौधों/जड़ी-बूटियों की कृषि आदि सहित सहकारी समितियों के विकास के लिए कार्य करता है।
- इसमें असंबद्ध गांवों को सड़क कनेक्टिविटी, आवास और गांव के बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ऊर्जा, टेलीविजन और दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करना भी शामिल है।
- यह उत्तरी सीमा पर ब्लॉकों के गांवों के व्यापक विकास पर केंद्रित है।
- यह आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराता है।
- इससे देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आजीविका के अवसर पैदा होंगे।
- यह समावेशी विकास हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी को बनाए रखने में मदद करेगा।

महत्व:-

- **सुरक्षा को मजबूत करना:** इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर

	सुरक्षा ग्रिड को मज़बूत करना है। • **बुनियादी ढांचे का विकास:** उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा। (सीमावर्ती बुनियादी ढांचे का महत्व) ○ इस कार्यक्रम के तहत आवासीय और पर्यटक केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। • **कनेक्टिविटी और ऊर्जा संसाधन:** यह सड़क कनेक्टिविटी में सुधार और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए भी प्रदान करेगा। • **शैक्षिक आउटरीच:** इसके अलावा, दूरदर्शन और शिक्षा से संबंधित चैनलों तक सीधी पहुंच प्रदान की जाएगी। • **आजीविका सहायता:** लोगों की आजीविका के लिए सहायता और समर्थन प्रदान किया जाएगा। **अवश्य पढ़ें:** भारत की भूमि सीमाओं को सुरक्षित करने की चुनौतियाँ **स्रोत:** पीआईबी

IASBABA

Extended Portal access upto 2025 Prelims

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

- **Current Affairs** Daily **Practice Test** (Prelims & Mains)
- **Super 100** (Mentored by **Mohan Sir & Toppers**)
- **Daily Comprehensive Classes** Access to live + recorded classes
- **Personality Test Modules**, Group Discussions & **Doubt Clearing** Platform
- **Prelims Revision Handouts & VAN**
- **Analyse Learn Perform (ALP)**
- **Personalised Mentorship & Feedback**
- **Emotional Wellness Expert**

(For Freshers)

GURUKUL FOUNDATION 2024

Above & Beyond Regular Coaching

& Much more.....

ADMISSION OPEN

Bangalore Delhi Bhopal Lucknow Online

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

GS Paper-1

ट्रांसजेंडर व्यक्ति मौजूदा कोटा का लाभ उठा सकते हैं (Transgender Persons Can Avail Existing Quota)

Syllabus

- **Mains – GS 1 (Society) and GS 2 (Governance)**

संदर्भ: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों (एसईबीसी) के लिए पहले से ही उपलब्ध प्रवेश और सरकारी नौकरियों में मौजूदा 50% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

परिचय:

- ट्रांसजेंडर की अवधारणा उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिनकी लिंग पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती है।
  - उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से भेदभाव, कलंक, हिंसा और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
- इन मुद्दों को संबोधित करने और उनके अधिकारों और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए, कुछ देशों ने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीतियां पेश की हैं।
- भारत में, कुछ जातियों, जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाता है जिन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
  - ऐसा ही एक समूह जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसईबीसी के रूप में मान्यता दी गई है वह ट्रांसजेंडर समुदाय है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्षैतिज आरक्षण की मांग:

- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में लंबे समय तक हाशिए पर रहने का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए विशिष्ट प्रावधानों और उनकी सामाजिक पहचान की मान्यता की आवश्यकता है।
- एनएएलएसए के फैसले की व्याख्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में उनकी पहचान के कारण ओबीसी श्रेणी में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षण के निर्देश के रूप में की गई है।
- क्षैतिज आरक्षण की मांग इस चिंता को बढ़ाती है कि दलित, बहुजन और आदिवासी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जाति और लिंग पहचान के आधार पर आरक्षण का लाभ उठाने के बीच चयन करना पड़ सकता है, जिससे प्रतिस्पर्धा और बहिष्कार हो सकता है।

नालसा निर्णय:

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 2017 में, केवल 6% ट्रांसजेंडर लोग औपचारिक रूप से कार्यरत थे।
- भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) बनाम भारत संघ (2014) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण का अधिकार है।
- इसने केंद्र और राज्य सरकारों को उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के रूप में मानने और शिक्षा और रोजगार में सभी प्रकार के आरक्षण का विस्तार करने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया।

भारत में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण

- शिक्षा और रोजगार में आरक्षण को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, लंबवत और क्षैतिज के रूप में।
- लंबवत आरक्षण ऐसे प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य जाति पदानुक्रम से उत्पन्न होने वाली सामाजिक विषमता और ओबीसी के मामले में, सामाजिक और शैक्षिक "पिछड़ेपन" को संबोधित करना है।
  - इनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण शामिल है।
- दूसरी ओर, क्षैतिज आरक्षण, श्रेणियों के भीतर वंचित समूहों के लिए सकारात्मक नीतियां प्रदान करने के लिए सभी लंबवत समूहों में कटौती करता है।
  - उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा उपरोक्त सभी लंबवत श्रेणियों, सामान्य और आरक्षित (ऊर्ध्वाधर) में समान रूप से क्षैतिज आरक्षण की गारंटी दी जाती है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष चुनौतियाँ

- **सामाजिक कलंक (Social Stigma):** उन्हें प्रायः संपत्ति के उत्तराधिकार या बच्चे को गोद लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
    - सामाजिक रूप से बहिष्कृत होने के कारण, उन्हें अच्छी योग्यता के बावजूद छोटी नौकरियाँ करने के लिए मजबूर किया जाता है या यौन कार्य में धकेल दिया जाता है।
- **आइडेंटिटी क्राइसिस:** सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित करने के बावजूद उन्हें अक्सर उस लिंग के साथ पहचान करने के लिए मजबूर किया जाता है जिसके साथ वे कार्यस्थल पर जुड़े नहीं हैं, जो समुदाय को स्व-कथित लिंग पहचान का अधिकार देता है।
- **भेदभाव और बहिष्कार:** उन्हें रोजगार, शैक्षणिक संस्थानों और परिवारों के अंदर भेदभाव का सामना करना पड़ता है जो उनके समग्र भलाई को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
- **बेरोजगारी:** इन समुदाय के पास रोजगार के सीमित रास्ते हैं और संबंधित सामाजिक कलंक के कारण कार्यस्थल पर गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
- **सार्वजनिक सुविधाओं की कमी:** उन्हें सार्वजनिक शौचालयों और सार्वजनिक स्थानों की पहुंच में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
    - उन्हें अक्सर जेल, अस्पताल और स्कूलों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

भारत में ट्रांसजेंडर पहल

- **ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019:** संसद द्वारा पारित अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना और उनकी स्व-कथित लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता देना है।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:** सरकार के ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को लागू करना।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद:** ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं के निर्माण और मूल्यांकन पर केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की।
- **राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल:** यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक पोर्टल है जो ट्रांसजेंडर लोगों को देश में कहीं से भी प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करता है।
- **गरिमा गृह:** इस योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर लोगों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करना है।

आगे की राह :

इन उपायों को लागू करके, हम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बना सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना समाज में समुदाय को मुख्यधारा में लाने और ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति सम्मान की भावना बढ़ाने के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। आरक्षण नीतियां रामबाण नहीं हैं, लेकिन वे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले ऐतिहासिक अन्याय और प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए एक आवश्यक और प्रभावी उपकरण हैं।

स्रोत: द हिंदू

भारत में मानव तस्करी

Syllabus

- **Mains – GS 1 (Society) and GS 2 (Governance)**

संदर्भ: भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना को मंज़ूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्यों में मानव तस्करी के पीड़ितों के लिये संरक्षण और पुनर्वास गृह स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

परिचय :

- यह ज्यादातर बंधुआ मजदूरी, जबरन श्रम, यौन शोषण, व्यावसायिक यौन शोषण या अंगों को निकालने के उद्देश्य से मनुष्यों का व्यापार करता है।

- मानव तस्करी को ट्रांस नेशनल आपराधिक संगठनों के सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक माना जाता है।
- यह एक अपराध है, जिसमें शोषण और जबरन के माध्यम से मानव अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।
- यह एक जघन्य अपराध है जो न केवल एक देश के अंदर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी घटित हो रहा है।

भारत में मानव तस्करी की स्थिति:

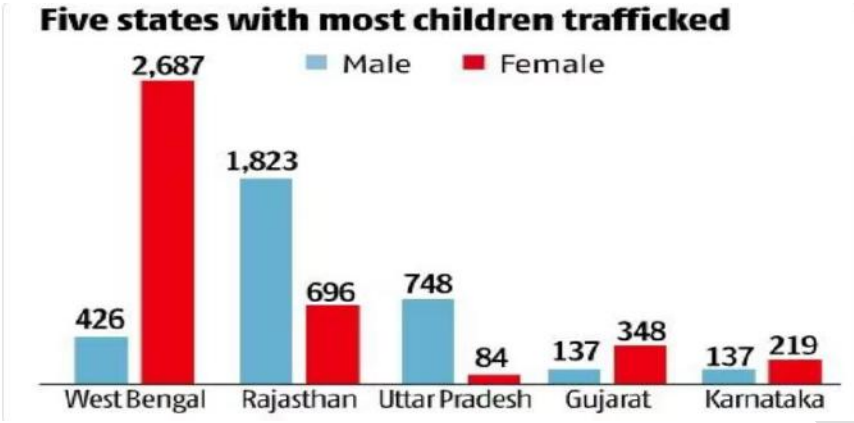

- वर्ष 2022 में, 6,622 तस्करी पीड़ितों की पहचान की गई; इसके अलावा, 694 की पहचान संभावित पीड़ितों के रूप में की गई।
- पुलिस ने वर्ष 2021 में देशभर में मानव तस्करी विरोधी इकाइयों (AHTU) के तहत दर्ज 2,189 मामलों में से 84.7 प्रतिशत में आरोप पत्र दाखिल किए।

भारत में मानव तस्करी के मुद्दे और चुनौतियाँ

- **यौन कार्य के लिए व्यावसायिक मांग:** यौन तस्करी की प्रकृति को तस्करों द्वारा आर्थिक आपूर्ति के रूप में देखा जाता है। इस मॉडल के तहत पुरुष महिला वेश्याओं से अनुरोध करते हैं, जो यौनकर्मियों के लिए एक बाजार बनाता है और अंततः यौन तस्करी, अवैध व्यापार और लोगों को यौन उद्योग में धकेलता है।
- **गरीबी और बेरोजगारी:** यौन कार्य के लिए अनैच्छिक रूप से तस्करी होने से पहले महिलाएं आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक अवसरों की कमी के कारण स्वेच्छा से पलायन कर सकती हैं।
- **वैश्वीकरण:** चूँकि वैश्वीकरण ने वस्तुओं और सेवाओं के सुचारू आदान-प्रदान के लिए राष्ट्रीय सीमाएँ शुरू कर दी हैं, इसके आर्थिक प्रभाव ने लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भी प्रवासन और तस्करी के प्रति संवेदनशील होने के लिए प्रेरित किया है।
- **लिंग आधारित भेदभाव:** हमारे पितृसत्तात्मक समाज में पारंपरिक रूप से बेटों को बेटियों की तुलना में परिवार में अधिक कीमती, श्रेष्ठ और उपयोगी माना जाता है।
    - परिणामस्वरूप, इस समाज में लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, जिससे साक्षरता दर और लड़कों एवं लड़कियों की संभावित आय दोनों में लैंगिक अंतर पैदा होता है।

मानव तस्करी से निपटने के लिए कानूनी उपाय:

- मुख्य अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपाय व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल है, जिसे वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।
- तस्करी प्रोटोकॉल, जो अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का पूरक है, मानव तस्करी को अपराध के रूप में संबोधित करने वाला एकमात्र अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपाय है।

भारत में संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान:

- अनुच्छेद 23(1): यह व्यक्तियों की तस्करी पर रोक लगाता है।
- अनैतिक दुर्व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए): इसका उद्देश्य भारत में अनैतिक तस्करी और वेश्यावृत्ति को रोकना है और इसे 25 धाराओं और 1 अनुसूची में विभाजित किया गया है।

- भारतीय दंड संहिता की धारा 366(A): यह अपहरण पर रोक लगाती है और आईपीसी की धारा 372 नाबालिगों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने पर रोक लगाती है।
- बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, बाल श्रम (निषेध और उन्मूलन) अधिनियम 1986 और किशोर न्याय अधिनियम: ये सभी बंधुआ और जबरन श्रम पर रोक लगाते हैं।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012: यह बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए एक विशेष कानून है।

अन्य विशिष्ट विधान:

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
- आईपीसी में विशिष्ट धाराएं, जैसे धारा 372 और 373 जो वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से लड़कियों की खरीद-फरोख्त से संबंधित हैं।
- **राज्य सरकारों द्वारा कदम:** राज्यों ने भी इस मुद्दे से निपटने के लिए पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012 जैसे विशिष्ट कानून बनाए हैं।

आगे की राह

मानव तस्करी एक संगठित अपराध है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बाहर संचालित होती है, अपराध की प्रकृति के लिए विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच मजबूत सहयोग और खुफिया जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।

तस्करी के खतरे को रोकने के लिए सभी लोगों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना, उचित बाड़ लगाने और नियमित गश्त के माध्यम से सख्त सीमा नियंत्रण, नौकरशाही में भ्रष्टाचार को रोकना आदि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पीड़ितों को आश्रय, भोजन, परामर्श और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में संरक्षण गृह स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे विकास लक्ष्यों में आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन दोनों शामिल होने चाहिए।

Source: Indian Express

समुद्री गर्मी की लहरें

Syllabus

- **Mains – GS 1 (Geography)**

संदर्भ: अप्रैल 2023 में, औसत दैनिक वैश्विक समुद्री सतह का तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने 2016 में 21 डिग्री सेल्सियस के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

- तब से, समुद्र का तापमान रिकॉर्ड-उच्च स्तर पर बना हुआ है, जिससे दुनिया भर में समुद्री गर्मी की लहरें (MHW) बढ़ रही हैं।
- वर्तमान में, MHW ने उत्तर-पूर्व प्रशांत क्षेत्र, दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिणी गोलार्ध और प्रशांत क्षेत्र, उत्तर-पूर्व अटलांटिक, उष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर को अपने दायरे में ले लिया है।

समुद्री गर्मी की लहरों के बारे में:

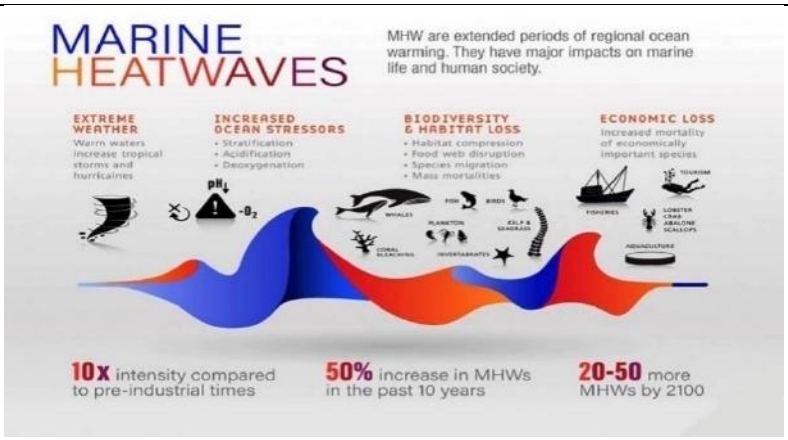

- एक समुद्री गर्मी की लहर को अक्सर बेहद गर्म समुद्र की सतह के तापमान के एक सुसंगत क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया जाता है जो दिनों से महीनों तक रहता है।
    - समुद्री गर्मी की लहरें तब होती हैं जब समुद्र का तापमान लंबे समय तक सामान्य से अधिक होता है।
- पिछले दशक में, सभी प्रमुख महासागरीय घाटियों में MHW दर्ज किया गया है।
    - ये घटनाएँ कोरल ब्लीचिंग, समुद्री घास क्षति और केल्प वन हानि से जुड़ी हैं, इन सभी का मछली पकड़ने के उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- एक अध्ययन के अनुसार, मई 2020 की समुद्री गर्मी के दौरान, तमिलनाडु तट पर मन्नार की खाड़ी में 85 प्रतिशत मूंगे ब्लीच हो गए।

समुद्री हीटवेव के कारण:

- **गर्मी/सर्दी:** गर्मी और सर्दी दोनों में हीटवेव हो सकती हैं, इसलिए इन्हें "शीतकालीन वार्म-स्पेल" कहा जाता है।
    - सर्दियों की इन घटनाओं के गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण-पूर्व में, जहाँ काँटेदार समुद्री अर्चिन केवल दक्षिण की ओर होता है जब सर्दियों का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है।
- **महासागरीय धाराएँ:** समुद्री हीटवेव लहरों का सबसे आम स्रोत समुद्री धाराएँ हैं, जो गर्म पानी और हवा-समुद्री हीट प्रवाह के पैच का निर्माण कर सकती हैं, या वायुमंडल से समुद्र की सतह के माध्यम से गर्मी बढ़ा सकती हैं।
- **हवाएँ:** सूर्य का प्रकाश सामान्यतः वायुमंडल में प्रवेश करता है और समुद्र की सतह को गर्म करता है। जब हल्की हवाएँ चलती हैं, तो गर्म पानी नीचे के ठंडे पानी के साथ नहीं मिल पाता है।
    - यह पानी की सतह पर तैरता है और गर्म होता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री गर्म लहरें उत्पन्न होती हैं।
- जलवायु परिवर्तन: अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) जैसे बड़े पैमाने पर जलवायु प्रभाव भी समुद्री हीटवेव का कारण बन सकते हैं।

समुद्री जीवन पर समुद्री गर्मी की लहरों का प्रभाव

मछलियों का मरना

- यद्यपि औसत तापमान में 3 या 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि मनुष्यों के लिए बहुत अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन यह समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी हो सकती है।
- उदाहरण के लिए, वर्ष 2010 और 2011 की गर्मियों के दौरान पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर एमएचडब्ल्यू के कारण कुछ विनाशकारी मछलियाँ मर गईं।

केल्प वन का नष्ट होना :

- एक अलग अध्ययन से पता चला कि उन्हीं MHW ने समुद्री घास के जंगलों को नष्ट कर दिया और तट के पारिस्थितिकी तंत्र को मौलिक रूप से बदल दिया।
- केल्प आमतौर पर ठंडे पानी में उगते हैं, जो कई समुद्री जानवरों के लिए आवास और भोजन प्रदान करते हैं।

प्रवाल विरंजन (Coral bleaching):

- वर्ष 2005 में उष्णकटिबंधीय अटलांटिक और कैरेबियन में उच्च समुद्री तापमान के कारण बड़े पैमाने पर मूंगा विरंजन की घटना हुई।
- वर्ष 2010 के एक अध्ययन से पता चला कि सर्वेक्षण किए गए 80 प्रतिशत से अधिक मूंगे ब्लीच हो गए थे और कुल सर्वेक्षण में से 40 प्रतिशत से अधिक मर गए थे।

आक्रामक विदेशी प्रजातियों का विकास:

- MHW आक्रामक विदेशी प्रजातियों के विकास को भी बढ़ावा देते हैं, जो समुद्री खाद्य वेब्स के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।

प्रजातियों के व्यवहार में परिवर्तन:

- वे प्रजातियों को इस तरह से अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर करते हैं जिससे वन्यजीवों को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की एक रिपोर्ट के अनुसार, MHW को मछली पकड़ने के गियर में व्हेल के उलझने से जोड़ा गया है।

समुद्री ताप तरंगों का मनुष्यों पर प्रभाव

तूफानों की उच्च तीव्रता:

- उच्च समुद्री तापमान, जो एमएचडब्ल्यू से जुड़ा होता है, तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे तूफानों को मजबूत बनाता है।
- इससे गर्म तापमान के साथ, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और महासागरों से हवा में गर्मी का स्थानांतरण भी बढ़ जाता है।
- जब तूफान गर्म महासागरों में चलते हैं, तो वे अधिक जलवाष्प और गर्मी एकत्र करते हैं।
- जब तूफान स्थल पर पहुंचते हैं तो अधिक शक्तिशाली हवाएं, भारी वर्षा और अधिक बाढ़ लाते है - जिसका अर्थ है मनुष्यों के लिए भारी तबाही।

भोजन और आजीविका की हानि:

- आधा बिलियन लोग भोजन, आय और सुरक्षा के लिए रीफ पर निर्भर हैं।
- इसलिए जब एमएचडब्ल्यू इन रीफ को नष्ट करते हैं, तो उन पर भरोसा करने वाले मनुष्यों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

आगे की राह

चूंकि समुद्री गर्म लहरों की आवृत्ति, तीव्रता और क्षेत्र बढ़ रहे हैं, इसलिए इन घटनाओं की सटीक निगरानी करने के लिए समुद्री अवलोकन सारणी को बढ़ाने की आवश्यकता है, और गर्म होती दुनिया द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का कुशलतापूर्वक अनुमान लगाने के लिए हमारे मौसम मॉडल को अपडेट करना आवश्यक है। एमएचडब्ल्यू के लिए प्रभावी प्रतिक्रियाओं हेतु हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से कार्रवाई की आवश्यकता होती है: जैसे नीति निर्माता, शोधकर्ता, निजी क्षेत्र के संरक्षणवादी और सिविल सोसाइटी।

Source: Indian Express

भारत में भूजल की स्थिति

Syllabus

- **Mains – GS 1 (Geography)**

संदर्भ: एक नए अध्ययन के अनुसार, पीने और सिंचाई के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन ने पृथ्वी की घूर्णन धुरी को स्थानांतरित कर दिया है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- अध्ययन में कहा गया है कि 1993 और 2010 के बीच मनुष्यों ने लगभग 2,150 गीगाटन भूजल निकाला और ग्रह की धुरी प्रति वर्ष 4.36 सेमी की दर से पूर्व की ओर खिसक गई है।

भारत में भूजल की स्थिति:

- कुल वैश्विक निकासी के एक चौथाई के साथ भारत भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
- भारतीय शहर अपनी जल आपूर्ति का लगभग 48 प्रतिशत भूजल से पूरा करते हैं।
- अप्रबंधित भूजल और बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप 2050 तक अनुमानित 3.1 अरब लोगों के लिए मौसमी पानी की कमी हो सकती है और लगभग एक अरब लोगों के लिए पानी की स्थायी कमी हो सकती है।

- इसके अलावा, पानी और खाद्य सुरक्षा से भी समझौता किया जाएगा और अच्छे बुनियादी ढांचे के विकास के बावजूद शहरों में गरीबी बढ़ेगी।

पृथ्वी की धुरी के बारे में:

- पृथ्वी की धुरी पृथ्वी से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है।
- वर्तमान में, पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के तल से 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
- लगभग 40,000 वर्षों के औसत चक्र के दौरान, धुरी का झुकाव 22.1 और 24.5 डिग्री के बीच बदलता रहता है।
- वैज्ञानिक वर्षों से जानते हैं कि जैसे-जैसे ग्रह में और ग्रह पर द्रव्यमान वितरण बदलता है, ध्रुव और अक्ष स्वाभाविक रूप से बदलते रहते हैं। इस घटना को "ध्रुवीय गति" के रूप में जाना जाता है।
- उदाहरण के लिए, पृथ्वी के मेंटल के अंदर धीरे-धीरे घूमने वाली चट्टानें ग्रह के द्रव्यमान में बदलाव का कारण बनती हैं, जिससे घूर्णन अक्ष की स्थिति में बदलाव होता है।
- ध्रुवीय गति के लिए कई अन्य कारण भी जिम्मेदार हैं जैसे समुद्री धाराएँ और यहाँ तक कि तूफान भी।

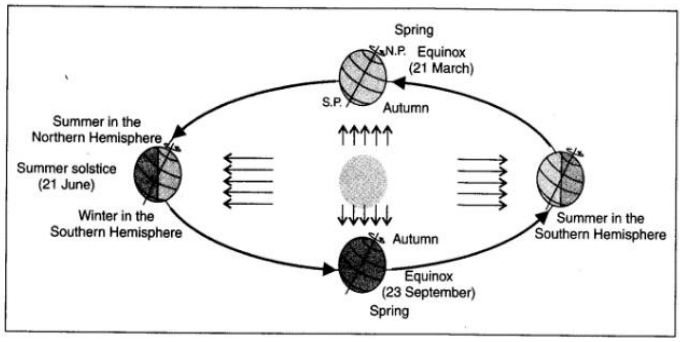

Fig. 3.2

ध्रुवीय गति पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:

- **जल द्रव्यमान वितरण में परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जल द्रव्यमान वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं।
  - जल द्रव्यमान वितरण में यह परिवर्तन ध्रुवीय गति सहित ग्रह की घूर्णी गतिशीलता को प्रभावित करता है।
- **ग्रीनलैंड की बर्फ का पिघलना:** ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।
  - जैसे ही यह पिघलता है, भारी मात्रा में पानी आसपास के महासागरों में चला जाता है।
  - पानी का यह प्रवाह पृथ्वी पर द्रव्यमान के वितरण को बदल देता है, जिससे घूर्णी अक्ष में बदलाव होता है।
- **त्वरित घूर्णन अक्ष बदलाव:** हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन ने 1990 के दशक के बाद से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के बदलाव को तेज कर दिया है।

भूजल की कमी के प्रमुख कारण:

- **हरित क्रांति:** हरित क्रांति ने सूखाग्रस्त/पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल-गहन फसलों को उगाने में सक्षम बनाया, जिससे भूजल की अधिक निकासी हुई।
  - इसकी पुनःपूर्ति की प्रतीक्षा किये बिना ज़मीन से पानी की बार-बार निकासी करने से इसमें त्वरित कमी होती है।
  - इसके अलावा बिजली पर सब्सिडी और पानी की अधिकता वाली फसलों के लिये उच्च MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रदान करना।
- **उद्योगों की आवश्यकता:** लैंडफिल, सेप्टिक टैंक, रिसने वाले भूमिगत गैस टैंक और उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग से जल प्रदूषण होता है तथा भूजल संसाधनों की क्षति होने के साथ इसमे कमी होती है।
- **अपर्याप्त विनियमन:** भूजल का अपर्याप्त विनियमन भूजल संसाधनों की समाप्ति को प्रोत्साहित करता है।
- **संघीय समस्या:** जल राज्य का विषय है, जल संरक्षण और जल संचयन सहित जल प्रबंधन पर पहल एवं देश में नागरिकों को पर्याप्त पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों की ज़िम्मेदारी है।

प्रभाव:

- **जल स्तर का कम होना:** भूजल की कमी से जल स्तर कम हो सकता है जिससे उपयोग के लिए भूजल निकालने में कठिनाई हो सकती है।
- **झरनों और झीलों में पानी की कमी:** नदियों में बहने वाले पानी की बड़ी मात्रा भूजल के जलधारा में रिसाव से आती है।
    - भूजल स्तर में गिरावट से ऐसी धाराओं में जल प्रवाह कम हो सकता है।
- **भूमि का धंसना:** भूजल अक्सर मिट्टी को सहारा प्रदान करता है। जब पानी को बाहर निकालकर इस संतुलन को बदल दिया जाता है, तो मिट्टी ढह, कॉम्पैक्ट और गिर जाती है, जिससे भूमि धंस जाती है।
- **पानी निकालने की बढ़ी हुई लागत:** जैसे-जैसे भूजल का स्तर घटता जाता है, पानी का स्तर कम होता जाता है, जिससे उपयोगकर्ता को पानी निकालने के लिए गहराई तक जाना पड़ता है।
    - इससे जल निकासी की लागत बढ़ जाती है।
- **भूजल का संदूषण:** जमीन के भीतर मौजूद भूजल अक्सर खारे पानी के साथ मिल जाता है जिसे यह पानी पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता हैं।

सरकार द्वारा की गई पहल:

- **अटल भूजल योजना (अटल जल):** यह सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए विश्व बैंक की सहायता से 6000 करोड़ रुपये की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- **जल शक्ति अभियान (JSA):** इसे 2019 में देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में शुरू किया गया था ताकि इन क्षेत्रों में भूजल की स्थिति सहित पानी की उपलब्धता में सुधार किया जा सके।
- इसमें पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प, गहन वनीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया है।
- **जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम:** केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है।

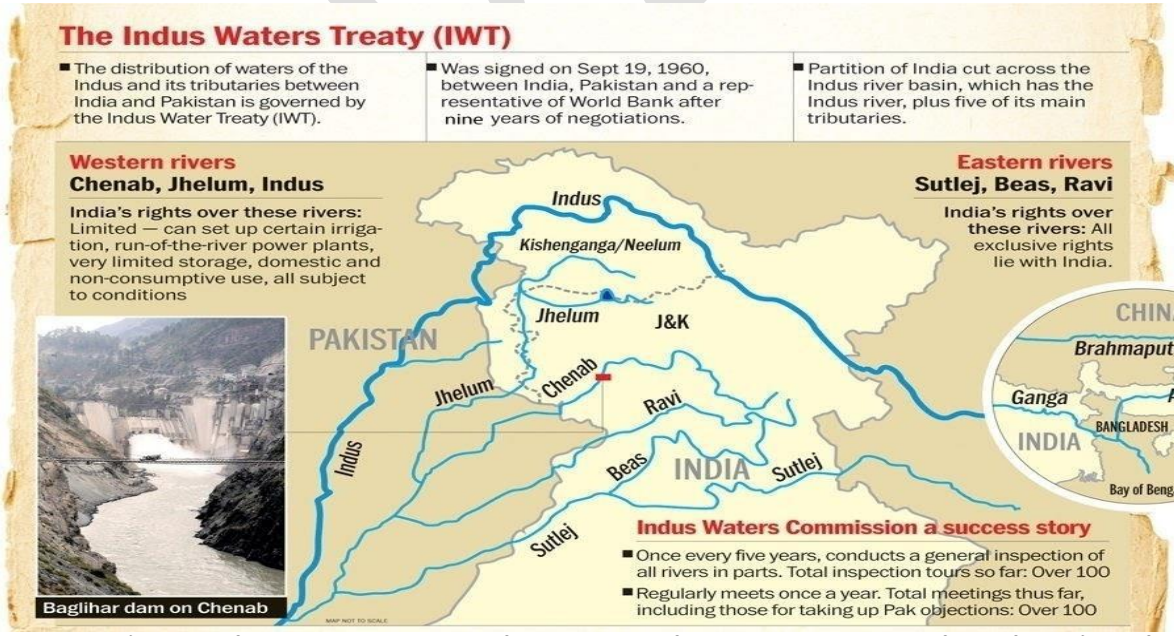

    - कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के साथ जलभृत/क्षेत्र विशिष्ट भूजल प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए जलभृत स्वभाव और उनके लक्षण वर्णन को चित्रित करना है।
- **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत):** यह मिशन अमृत शहरों में बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, तूफान जल निकासी, हरित स्थान और पार्क और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन।

आगे की राह:

अध्ययन के परिणाम पृथ्वी के नाजुक संतुलन पर मानवीय गतिविधियों के दूरगामी परिणामों को पहचानने की आवश्यकता पर बल देते हैं। कृषि और

मीठे पानी की जरूरतों से प्रेरित भूजल निष्कर्षण, ग्रह की घूर्णन धुरी पर प्रभाव डालता है, जिससे ध्रुवीय गति होती है और वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि में योगदान होता है।

इसलिए, हमारे ग्रह पर मानव-प्रेरित परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए इन इंटरैक्शन को समझना महत्वपूर्ण है।

Source: Indian Express

GS Paper-2

डेटा संरक्षण विधेयक 2022

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance) and GS 3 (Science and Technology)**

संदर्भ: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी, जिससे इसे संसद में पेश करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का इतिहास:

- 'पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ' (वर्ष 2017) मामले में निजता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
- व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा संरक्षण विधेयक 2018 से काम कर रहा है जब न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण के नेतृत्व वाले एक पैनल ने विधेयक का एक मसौदा संस्करण तैयार किया था।
- डेटा सुरक्षा के मुद्दे पर घरेलू स्तर पर कानून बनाने का यह भारत का पहला प्रयास है।
- सरकार ने इस मसौदे को संशोधित किया है और इसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 के रूप में पेश किया है।

विधेयक के प्रावधान:

- यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा, चाहे इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र करके डिजिटल किया जायेगा।
    - यह भारत के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा यदि इसमें भारत में वस्तुओं या सेवाओं की प्रस्तुति या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग शामिल है।
- व्यक्तिगत डेटा को केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है जिसके लिए किसी व्यक्ति ने सहमति दी है।
    - कुछ मामलों में सहमति मानी जा सकती है।
- डेटा फ़िड्यूशरीज़ डेटा की सटीकता बनाए रखने, डेटा को सुरक्षित रखने और अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद डेटा को हटाने के लिए बाध्य होंगे।
- यह विधेयक लोगों को कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसमें जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने का अधिकार एवं शिकायत निवारण का अधिकार शामिल है।
- केंद्र सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम जैसे निर्दिष्ट आधारों के हित में सरकारी एजेंसियों को विधेयक के प्रावधानों को लागू करने से छूट दे सकती है।
- केंद्र सरकार विधेयक के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर निर्णय लेने के लिए भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।

भारत में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा का महत्व:

- **गोपनीयता सुरक्षा:** यह गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि 2018 में आधार डेटा लीक के मामले में हुआ था।
    - यह पहचान की चोरी और अन्य प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में मदद करता है।
    - उदाहरण के लिए, 2018 कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद पर विचार कीजिए।

- व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के माध्यम से डेटा सटीकता सुनिश्चित की जाती है, जो गारंटी देता है कि डेटा सही और अद्यतित है।
- व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा डेटा दुरुपयोग और गैरकानूनी पहुंच से बचाती है, जैसा कि 2021 में व्हाट्सएप डेटा-शेयरिंग घोटाले में दिखाया गया है।
- व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा गारंटी देती है कि डेटा सुरक्षित है और साइबर हमलों से सुरक्षित है।
- व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा संवेदनशील डेटा को सुरक्षित करती है, जैसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य और वित्तीय डेटा, साथ ही संवेदनशील स्वास्थ्य डेटा आदि पर।
- **व्यक्तिगत सशक्तिकरण:** जैसा कि पहले 2018 जस्टिस श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों में कहा गया था, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण लोगों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण देकर सशक्त बनाता है।
- **विश्वव्यापी मानकों का अनुपालन:** GDPR अनुपालन जैसे वैश्विक डेटा सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

विधेयक से जुड़ी चिंताएँ:

- **सरकारी नियंत्रण:** समझा जाता है कि विधेयक में यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी सरकारों के साथ संबंधों और अन्य चीजों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के कारण प्रावधानों का पालन करने से "राज्य के किसी भी साधन" को छूट दे सकती है।
    - समझा जाता है कि डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र सरकार का नियंत्रण एक न्यायिक निकाय है जो दो पक्षों के बीच गोपनीयता से संबंधित शिकायतों और विवादों से निपटेगा।
- सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर करता है क्योंकि इसके तहत सरकारी पदाधिकारियों के व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित किए जाने की संभावना है, जिससे आरटीआई आवेदक के साथ साझा करना मुश्किल हो जाता है।
- **कोई आपराधिक दायित्व न होना:** विधेयक केवल उल्लंघनों और गैर-अनुपालनों के लिए मौद्रिक दंड (डीपीडीपी विधेयक की अनुसूची 1 के तहत) निर्धारित करता है और ऐसे दंडों को उल्लंघनों/गैर-अनुपालनों तक सीमित करता है जिन्हें डेटा संरक्षण बोर्ड 'महत्वपूर्ण' मानता है।
    - DPD विधेयक ने आपराधिक देनदारियों के साथ-साथ उन दंडों को भी खत्म कर दिया है जो गलती करने वाले डेटा फिडुशियरी के टर्नओवर या राजस्व से सीधे जुड़े हुए हैं।
    - इसका जुर्माना 50 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक है। धारा 25 में अधिकतम जुर्माना 500 करोड़ रुपये तक सीमित करने का प्रावधान है।
- **बच्चों का डेटा:** विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।
    - इसमें हर बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होगी।

वैश्विक परिदृश्य:

- **ईयू मॉडल:** जीडीपीआर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
    - अत्यधिक जटिल होने और डेटा संसाधित करने वाले संगठनों पर कई दायित्व थोपने के लिए इसकी आलोचना की गई है, लेकिन यह अभी भी दुनिया भर में तैयार किए गए अधिकांश कानूनों के लिए टेम्पलेट है।
- **अमेरिकी मॉडल:** गोपनीयता सुरक्षा को बड़े पैमाने पर "स्वतंत्रता सुरक्षा" के रूप में परिभाषित किया गया है जो सरकार से व्यक्ति के व्यक्तिगत स्थान की सुरक्षा पर केंद्रित है।
    - इसे फोकस में कुछ हद तक संकीर्ण होने के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को तब तक सक्षम बनाता है जब तक व्यक्ति को इस तरह के संग्रह और उपयोग के बारे में सूचित किया जाता है।
- **चीन मॉडल:** पिछले 12 महीनों में जारी किए गए डेटा गोपनीयता और सुरक्षा पर नए चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (पीआईपीएल) शामिल है, जो नवंबर 2021 में लागू हुआ।
    - यह चीनी डेटा सिद्धांतों को नए अधिकार देता है क्योंकि यह व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकना चाहता है।

आगे की राह :

- डेटा सिद्धांत के अधिकारों की रक्षा करते समय, डेटा संरक्षण कानूनों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डेटा फ़िडुशियरी के लिए

अनुपालन इतना कठिन न हो कि वैध प्रसंस्करण भी अव्यवहारिक हो जाए।

- चुनौती डेटा सिद्धांतों की गोपनीयता के अधिकार और उचित अपवादों के बीच पर्याप्त संतुलन खोजने में निहित है, खासकर जहां व्यक्तिगत डेटा के सरकारी प्रसंस्करण का संबंध है।

Source: Indian Express

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF)

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance)**

संदर्भ: भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी; इसका लक्ष्य देश के वैज्ञानिक अनुसंधान को एक रणनीतिक दिशा देना।

NRF के बारे में:

- **सर्वोच्च निकाय:** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुसार, एनआरएफ को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की भूमिका:** डीएसटी एनआरएफ के प्रशासनिक विभाग के रूप में कार्य करेगा, जिसमें एक गवर्निंग बोर्ड होगा जिसमें विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे।
- **नेतृत्व संरचना:** इसमें पीएम बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
- **कामकाज:** मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार एनआरएफ के कामकाज के लिए जिम्मेदार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता करेंगे।

NRF बिल 2023 की मुख्य विशेषताएं: NRF विधेयक 2023, जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना करना है, में कई मुख्य विशेषताएं हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **NRF की स्थापना:** विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रावधान करता है, जो भारत में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता हैं।
- **शोध और नवाचार की संस्कृति:** एनआरएफ का लक्ष्य शोध एवं विकास पहल के लिए फण्ड, संसाधन और समर्थन प्रदान करके शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित और पोषित करता है।
- **शोध और नवाचार की संस्कृति:** NRF का लक्ष्य अनुसंधान एवं विकास पहल के लिए फंड, संसाधन और समर्थन प्रदान करके अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका इरादा एक ऐसा वातावरण बनाना है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित और पोषित करना।
- **SERB को निरस्त करना:** प्रस्तावित विधेयक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को निरस्त करता है, जिसे 2008 में संसद द्वारा स्थापित किया गया था।
    - SERB, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत संचालित होता है, को एनआरएफ में शामिल किया जाएगा।
    - इस समेकन का उद्देश्य अनुसंधान वित्तपोषण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मजबूत करना है।
- **फंडिंग और समर्थन:** NRF वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए फंडिंग और समर्थन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें S और T स्टार्ट-अप के लिए फंडिंग, इनक्यूबेटर की स्थापना और केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में विज्ञान से संबंधित पहलों का वित्तपोषण शामिल है।

NRF का महत्व:

- **क्षेत्रीय असंतुलन को संबोधित करना:** एनआरएफ का एक प्रमुख महत्व परिधीय, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है जो अक्सर विज्ञान वित्त पोषण के मामले में उपेक्षित रहते हैं।

- इन क्षेत्रों में अनुसंधान को प्राथमिकता देकर, एनआरएफ का लक्ष्य क्षेत्रीय असंतुलन को भरना और देश भर में वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना है।

- **बहुविषयक अनुसंधान:** NRF न केवल प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में बल्कि सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी में भी शोध को बढ़ावा देकर पारंपरिक सीमाओं से परे जाता है।
  - यह बहु-विषयक दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्संबंध को पहचानता है और समग्र अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है जो जटिल सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है।
- **मिशनों का कार्यान्वयन:** एनआरएफ विभिन्न मिशनों, जैसे सुपर कंप्यूटर मिशन या क्वांटम मिशन, के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
  - इन मिशनों का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के विशिष्ट क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है।
  - एनआरएफ की भागीदारी इन मिशनों को प्रभावी ढंग से चलाने और उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन, सहायता और समन्वय प्रदान करेगी।
- **अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** शिक्षा, उद्योग, सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों को एक साथ लाकर, एनआरएफ देश में अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है।
  - यह सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और साझेदारी के लिए एक मंच बनाता है, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां अनुसंधान विचार उभर सकते हैं, नवाचारों का व्यावसायीकरण किया जा सकता है, और सामाजिक प्रभाव महसूस किया जा सकता है।

आगे की राह

सीमांत क्षेत्रों में शोध और विकास भारत की आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति के रूप में विकसित होने की महत्वाकांक्षा की कुंजी है। इसलिए, वास्तविक R और D उन प्रश्नों के उत्तर खोजने के बारे में है जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। एनआरएफ हमारे व्यक्तियों और संस्थानों को भविष्य के लिए तैयार कार्य के लिए तैयार करने का साधन है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

भारत-यूएई संबंध

Syllabus

- **Mains – GS 2 (International Relations)**

संदर्भ: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की यूएई यात्रा के दौरान, आरबीआई और उसके समकक्ष यूएई के सेंट्रल बैंक ने दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- जबकि पहले ने सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित की, दूसरे ने भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए किया।

भारत-यूएई द्विपक्षीय संबंध

राजनीतिक और राजनयिक संबंध:

- भारत और यूएई ने एक व्यापक सामरिक साझेदारी स्थापित की है, जिससे उच्च स्तरीय यात्राएं और जुड़ाव हुए हैं।
- इसमें 2015 में भारतीय प्रधान मंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की ऐतिहासिक यात्रा शामिल है, जिसने एक नई सामरिक साझेदारी की शुरुआत को चिह्नित किया था।
  - यूएई के क्राउन प्रिंस ने भी 2017 में भारत का दौरा किया था।
- दोनों देशों ने यूएई-भारत रणनीतिक वार्ता जैसे तंत्रों के माध्यम से अपने राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को संस्थागत बनाया है।
- छठे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लिए भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके लिए, भारत के प्रधान मंत्री ने फरवरी 2018 में संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा की और भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तरों पर स्थापित संबंधों को और समृद्ध किया।
- मोदी जी की यूएई की आखिरी यात्रा अगस्त 2019 में हुई थी, जब उन्हें यूएई का सर्वोच्च पुरस्कार, 'ऑर्डर ऑफ जायद' मिला था।

व्यापार और निवेश:

- संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 72 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
- संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में पर्याप्त निवेश किया है, जिसमें निर्माण विकास, बिजली, हवाई परिवहन, पर्यटन और धातुकर्म उद्योगों जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त हुआ है।
- भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की संयुक्त समिति की पहली बैठक हाल ही में हुई, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया।
- CEPA, जिसे मई 2022 में लागू किया गया था, का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और व्यापार संबंधों को बढ़ाना है।
    - यह व्यापार के गैर-तेल क्षेत्रों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है, जो दर्शाता है कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य में तेल व्यापार शामिल नहीं होगा।
- समझौते के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने और व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए, कई उप-समितियां और परिषदें स्थापित की जाएंगी।
- ऐसी एक उप-समिति विशेष रूप से सेवा व्यापार से संबंधित मामलों को संभालेगी।
- यूएई को भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएँ हैं कीमती धातुएँ, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य पदार्थ (अनाज, चीनी, फल और सब्जियाँ, चाय, मांस और समुद्री भोजन), कपड़ा (वस्त्र, परिधान, सिंथेटिक फाइबर, कपास, धागा) और इंजीनियरिंग एवं मशीनरी उत्पाद और रसायन।
- संयुक्त अरब अमीरात से भारत की प्रमुख आयात वस्तुएं पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातुएं, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज, रसायन, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद हैं।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:

- भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय रक्षा संपर्क द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं के अनुरूप लगातार बढ़ रहा है।
- दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय और कार्यात्मक स्तर पर आदान-प्रदान होते रहे हैं।
- दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाजों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाते हुए नियमित रूप से बंदरगाह पर बातचीत की है।
- भारत और यूएई ने 2017 में एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए, और वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की।
    - अभी हाल ही में, संयुक्त अरब अमीरात हिंद महासागर क्षेत्र वार्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लेते हैं और कई सैन्य प्रमुखों के दौरे भी हुए हैं।
- पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'गल्फ स्टार 1' मार्च 2018 में हुआ।
- दस दिवसीय वायु युद्ध अभ्यास 'डेजर्ट ईगल II' भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था।

अंतरिक्ष सहयोग

- अंतरिक्ष एक नया क्षेत्र है जिसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त अरब अमीरात अंतरिक्ष एजेंसी (यूएईएसए) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के कार्य के माध्यम से सहयोग किया है।
- वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री मोदी की अमीरात यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतरिक्ष सहयोग को त्वरित गति मिली।
- दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर नैनो-उपग्रह, नायिफ़-1 (Nayif-1) विकसित किया है, जिसे भारत में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
- दोनों देशों के अमीरात के 'लाल ग्रह मिशन' पर एक साथ काम करने की संभावना है।

Indian Community:

भारतीय समुदाय:

- लगभग 3.4 मिलियन का भारतीय प्रवासी समुदाय संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है जो देश की आबादी का लगभग 35% है।

भारत-यूएई संबंधों में चुनौतियाँ:

- **निवेश का धीमा कार्यान्वयन:** भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 2015 में घोषित 75 अरब डॉलर के निवेश कोष की स्थापना के तौर-तरीकों और शासन संरचना को अंतिम रूप देने में देरी का सामना करना पड़ा है।
    - यह धीमा कार्यान्वयन निवेश प्रतिबद्धताओं की प्राप्ति में बाधा डालता है।
- **स्पष्टता और पारदर्शिता की कमी:** संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाली भारतीय कंपनियों को अक्सर वाणिज्यिक नियमों और श्रम कानूनों में स्पष्टता की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
    - इसके अतिरिक्त, अमीराती व्यवसायों की ओर से पारदर्शिता की कमी से भारतीय कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं।
- **भारतीय प्रवासियों से संबंधित मुद्दे:** संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासियों को बोझिल और सख्त नियमों का सामना करना पड़ता है, खासकर अमीराती नियोक्ताओं के संबंध में।
    - अन्य राष्ट्रीयताओं के श्रमिकों के प्रति पक्षपात और संयुक्त अरब अमीरात से भारत में प्रेषण प्रवाह में मामूली गिरावट जैसी समस्याएं देखी गई हैं।
- **पाकिस्तान कारक का प्रभाव:** पाकिस्तान कारक के प्रभाव के कारण भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध तनावपूर्ण हैं।
    - भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से राजनीतिक संबंध प्रभावित होते हैं, जिसका प्रभाव क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों पर पड़ता है।
- **भू-राजनीति को संतुलित करना:** ईरान के साथ भारत के संबंध और चीन के साथ संयुक्त अरब अमीरात के संबंध एक गतिशीलता बनाते हैं जहां भू-राजनीतिक विचार कभी-कभी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय संबंधों को चुनौतीपूर्ण होते हैं।
- **ऊर्जा मूल्य निर्धारण पर असहमति:** एक ओपेक देश के रूप में, संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख तेल उपभोक्ता भारत की तुलना में ऊर्जा मूल्य निर्धारण पर एक अलग दृष्टिकोण है। ऊर्जा मूल्य निर्धारण पर असहमति, जिसमें कीमतों पर अंकुश लगाने की भारत की मांग भी शामिल है, के कारण अतीत में तेल मंत्रियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई है।

आगे की राह :

यूएई आज अरब जगत में भारत का सबसे करीबी साझेदार है और सौभाग्य से, हाल की उथल-पुथल का सामना करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों में पर्याप्त लचीलापन है। यह अपने करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंधों और ऐतिहासिक लोगों से लोगों के जुड़ाव को आगे बढ़ाते हुए इन क्षेत्रों में करीबी साझेदारी बनाये रखा है। भारत-यूएई के बीच एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी है, जो अब नवीकरणीय ऊर्जा पर नया फोकस हासिल कर रही है।

स्रोत: द हिंदू

भारत-फ्रांस संबंध

Syllabus

- **Mains – GS 2 (International Relations)**

संदर्भ: पेरिस में बैस्टिल दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की हालिया यात्रा दुनिया भर में भारत की लगभग 30 रणनीतिक साझेदारियों में से सबसे पुरानी 25 साल की साझेदारी के साथ मेल खाती है।

भारत-फ्रांस संबंधों के बारे में:

- भारत के परमाणु परीक्षणों के तुरंत बाद दोनों देशों ने अपनी सामरिक साझेदारी शुरू की, जो भारत की पहली साझेदारी थी।
- वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत के सामरिक महत्व को पहचानने वाला फ्रांस पहला देश था।
- सितंबर 2016 में 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और मार्च 2018 में जैतापुर साइट पर छह यूरोपीय दबावयुक्त जल रिएक्टर (ईपीआर) बनाने के लिए एक औद्योगिक समझौते पर हस्ताक्षर सीधे इस साझेदारी से जुड़े हुए हैं।

जलवायु समझौते:

- हाल ही में, भारत और फ्रांस ने ग्रीन हाइड्रोजन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन की वैश्विक आपूर्ति के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए फ्रांसीसी और भारतीय हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाना है।
- वर्ष 2022 में, उन्होंने ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए।

आर्थिक सहयोग

- फ्रांस भारत के लिए एफडीआई का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है, भारत में पहले से ही 1,000 से अधिक फ्रांसीसी प्रतिष्ठान मौजूद हैं।
- अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक 9.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी एफडीआई स्टॉक के साथ फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 2% दर्शाता है।
- फ्रांस में 150 से अधिक भारतीय कंपनियां (उप-सहायक कंपनियों सहित) काम कर रही हैं।
- फ्रांस को भारत का निर्यात 22.9% कम होकर 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- इसी अवधि के दौरान भारत में फ्रांसीसी निर्यात 20.95% घटकर 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- फ्रांस के साथ व्यापार भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केवल 1.41% है।
- भारत में फ्रांसीसी कंपनियों और फ्रांस में भारतीय कंपनियों के लिए फास्ट-ट्रैक प्रणाली स्थापित करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए गए।

रक्षा:

- फ्रांस भारत के लिए एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में उभरा है, जो 2017- 2021 में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन गया है।
- फ्रांस महत्वपूर्ण रक्षा सौदों और सैन्य दर सैन्य भागीदारी में वृद्धि के साथ भारत के लिए एक प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में उभरा है।
- 2005 के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत भारत में बनाई जा रही फ्रांसीसी स्कॉर्पीन पारंपरिक पनडुब्बियों को शामिल किया गया, और भारतीय वायु सेना को 36 राफेल लड़ाकू जेट प्राप्त हुए।
- टाटा समूह ने गुजरात के वडोदरा में C-295 सामरिक परिवहन विमान के निर्माण के लिए एयरबस के साथ भी समझौता किया है।
- सैन्य संवाद और नियमित रूप से आयोजित संयुक्त अभ्यास: वरुण (नौसेना), गरुड़ (वायु सेना), और शक्ति (सेना) है।

हरित हाइड्रोजन पर रोड मैप:

- दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन पहल पर भी करीबी सहयोग करते रहे हैं।
- हाल ही में उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य डीकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन की वैश्विक आपूर्ति के लिए एक विश्वसनीय और टिकाऊ मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए "फ्रांसीसी और भारतीय हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाना" है।

इंडो-पैसिफिक:

- "हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग का संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण" हिंद महासागर में फ्रेंको-भारतीय संयुक्त गश्त जैसे संबंधों को मजबूत करने का मैप प्रस्तुत करता है।
- भारत और फ्रांस एक इंडो-पैसिफिक त्रिपक्षीय विकास सहयोग कोष स्थापित करने पर सहमत हुए जो क्षेत्र के देशों के लिए नवीन समाधानों का समर्थन करेगा।
- दोनों साझेदारों ने अफ्रीका के पूर्वी तट से सुदूर प्रशांत तक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक त्रिपक्षीय समूह बनाया है।

भारत फ्रांस संबंध का महत्व:

- **इंडो-पैसिफिक को सुरक्षित करना:** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने और बढ़ती चीनी आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए भारत को फ्रांस के समर्थन की आवश्यकता होगी।
    - हिंद महासागर फ्रांस के लिए महत्व रखता है क्योंकि यह री-यूनियन द्वीप समूह को नियंत्रित करता है।

- दोनों देशों ने 2018 में हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संयुक्त रणनीतिक विजन पर निष्कर्ष निकाला है।

- **उच्च स्तर का विश्वास:** 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब से फ्रांस हर मुश्किल परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा है।
  - दोनों देशों में उच्च स्तर का आपसी विश्वास है जो उन्हें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर सहयोग करने की अनुमति देता है।
- **प्रमुख संगठनों में प्रवेश:** UNSC और NSG में भारत के प्रवेश के लिए फ्रांस का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना:** उनके बीच सहयोग पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लासगो जलवायु संधि को लागू करने में सहायक हो सकता है।
- **वैश्विक स्थिरता:** दोनों के बीच सहयोग यूरोप में रूस की दृढ़ता और एशिया में चीन की दृढ़ता को रोकने में मदद कर सकता है, जिससे वैश्विक स्थिरता और विश्व व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

चुनौतियाँ:

- **रुकी हुई परियोजनाएँ:** देशों के बीच जिन कई परियोजनाओं पर बातचीत हुई है, वे चालू नहीं हो पाई हैं।
  - उदाहरण के लिए, जैतापुर परमाणु परियोजना रुकी हुई है और कई घरेलू बाधाओं का सामना कर रही है।
- **यूरोपीय संघ के साथ स्वतंत्र व्यापार:** अच्छे संबंध होने के बावजूद, फ्रांस और भारत के बीच कोई स्वतंत्र व्यापार समझौता नहीं है।
  - इसके अलावा, भारत-ईयू ब्रॉड आधारित व्यापार और निवेश समझौते (बीटीआईए) पर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है।
- **रूस यूक्रेन संघर्ष पर रुख:** फ्रांस ने रूसी आक्रमण की खुले तौर पर आलोचना की है। संघर्ष पर भारत का रुख अधिक संयमित है।
  - इस प्रतिक्रिया में अंतर का अब तक उनके द्विपक्षीय संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
  - हालाँकि अगर टकराव लंबा खिंचता है तो इसका असर भारत-फ्रांस संबंधों पर भी पड़ सकता है।

आगे की राह :

फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी सामान्य मूल्यों और लक्ष्यों पर बनी है। दोनों ने कई क्षेत्रों में वैश्विक जोखिमों की साझा समझ के साथ रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है। एक उच्च स्तरीय भारत-फ्रांस राजनीतिक वार्ता है जो रक्षा, समुद्री, आतंकवाद विरोधी और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चल रही है। एक लंबी रणनीतिक साझेदारी के प्रतीक में, रणनीतिक स्वायत्तता बढ़ाने और लचीलेपन में सुधार करने में एक सामान्य रुचि, आगे के सहयोग के लिए बहुत कुछ है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत-अफ्रीका संबंधों में एक नया अध्याय

Syllabus

- **Mains – GS 2 (International Relations)**

संदर्भ: विवेकानन्द इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) द्वारा स्थापित 20 सदस्यीय अफ्रीका विशेषज्ञ समूह (एईजी) ने हाल ही में 'भारत-अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियां, चुनौतियां और रोडमैप 2023' शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- VIF रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की अफ्रीका के साथ एक ठोस साझेदारी है और सद्भावना का एक समृद्ध कोष है, लेकिन "भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह समय-समय पर अपनी अफ्रीका नीति की समीक्षा करे, आवश्यक बदलाव करके लचीला बने रहे और इसके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करे"।
- इसे विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से विदेश मंत्रालय में अफ्रीका के सचिव और एक नामित उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संयुक्त नेतृत्व में कार्य करने वाले अधिकारियों की एक टीम के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है।

भारत-अफ्रीका संबंध:

संबंधों का विकास:

- **ऐतिहासिक संबंध:** भारत और अफ्रीका के बीच चर्चा का एक लंबा इतिहास रहा है, यह मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीकी तट को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के द्वारा।

- यह ऐतिहासिक संबंध सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों का आधार बनता है जो समकालीन संबंधों को प्रभावित करता रहता है।

- **औपनिवेशीकरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** 20वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में औपनिवेशीकरण की लहर के बाद, भारत ने स्वतंत्रता के लिए अफ्रीकी देशों के संघर्षों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - निवेशिक शासन का भारत का अपना अनुभव अफ्रीकी देशों के साथ मेल खाता था, जिससे मजबूत राजनयिक और राजनीतिक संबंधों की स्थापना हुई।
  - भारत के नेताओं, जैसे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ने भारत और अफ्रीका के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM):** भारत और कई अफ्रीकी देश दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, जो शीत युद्ध के युग के दौरान उभरा।
  - NAM का उद्देश्य देशों को तटस्थता बनाए रखने और प्रमुख शक्ति गुटों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्वयं के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

व्यापार और निवेश:

- भारत पिछले 20 वर्षों में 54 बिलियन डॉलर या अफ्रीका के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 19.2% के साथ निवेश के साथ अफ्रीका में पांचवां सबसे बड़ा निवेशक है।
- फार्मास्यूटिकल्स, आईसीटी और सेवाएं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र और बिजली क्षेत्र महाद्वीप में भारतीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 62 बिलियन डॉलर था और 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य अभी भी दूर है।
- अफ्रीका की विशाल आबादी 'मेक इन इंडिया' के तहत निर्यात और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में कार्य करती है।
- अफ्रीका में पर्याप्त कृषि भूमि है जो भारत की खाद्य सुरक्षा का समाधान कर सकती है। भारत कृषि योग्य भूमि के मामले में हमारे सामने आने वाली भूमि की कमी को दूर करने के लिए अफ्रीका में भूमि पट्टे पर देने पर विचार कर रहा है।

सॉफ्ट पॉवर:

- यह मॉरीशस जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति से बढ़ गया है।
  - इससे राष्ट्रों के बीच विश्वास बनाने और संयुक्त परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलती है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में अफ्रीका की श्रम शक्ति में 90% महिलाएं शामिल हैं, जो मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और तृतीयक सेवाओं में लगी हुई हैं।
- अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (एएफसीएफटीए) के तहत इन क्षेत्रों में भारत के प्रयासों से पूरे महाद्वीप में इसकी ब्रांड इमेज में वृद्धि होगी।

सामान्य एजेंडा:

- अधिकांश अफ्रीकी देश भारत की तरह ही प्रकृति में विकास कर रहे हैं जो कई मुद्दों पर एक आम समझ बनाता है।
- भारत और अफ्रीका यूएनएससी के सुधार, जलवायु परिवर्तन समझौतों, व्यापार मुद्दों और डब्ल्यूटीओ वार्ता आदि पर समान आधार साझा करते हैं।

भू-राजनैतिक

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के माध्यम से अफ्रीकी देशों की शांति और स्थिरता में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत अफ्रीकी देशों के क्षमता निर्माण में शामिल है।
- अफ्रीका, ब्रिक्स और आईबीएसए जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों और निवेश शिखर सम्मेलनों में विकासशील और अल्प विकसित देशों की चिंताओं को आवाज़ दे सकता है।
- अफ्रीका को भारतीय सहायता: भारत को अपनी सहायता के माध्यम से अफ्रीका में पहले से चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना चाहिए।

- एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते भारत अफ्रीकी देशों को राजनीतिक स्थिरता स्थापित करने में मदद कर सकता है।

भारत-अफ्रीका संबंधों के लिए क्षेत्रीय समूह और मंच:

- **भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आईएएफएस):** आईएएफएस भारत-अफ्रीका सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है।
    - यह भारत और अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए समय-समय पर आयोजित एक शिखर सम्मेलन-स्तरीय बैठक है।
- **ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका):** भारत और अफ्रीका ब्रिक्स मंच के माध्यम से जुड़ते हैं, जो पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
- **एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (एएजीसी):** एएजीसी भारत और जापान के बीच एक आर्थिक सहयोग समझौता है जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए):** आईएसए विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा तैनाती को बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस द्वारा शुरू की गई एक पहल है।
    - यह अफ्रीकी देशों सहित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- **भारत-अफ्रीका विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल (IASTI):** यह एक पहल है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है।

भारत-अफ्रीका संबंधों में चुनौतियाँ:

- **चीन के साथ प्रतिस्पर्धा:** चीन ने अफ्रीका में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, खनन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है। अफ्रीका में निवेश, व्यापार और प्रभाव के मामले में भारत को चीन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- **सीमित संसाधन:** अफ्रीका में वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत के संसाधन तुलनात्मक रूप से सीमित हैं।
    - भारत चीन की विशाल वित्तीय क्षमताओं की बराबरी नहीं कर सकता, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख परियोजनाओं और व्यापार अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा में चुनौतियाँ हो सकती हैं।
- **कनेक्टिविटी का अभाव:** भारत और अफ्रीका के बीच पर्याप्त शहर-दर-शहर कनेक्टिविटी का अभाव है, जिससे लोगों के बीच संपर्क बाधित हो रहा है और आपसी समझ और सहयोग के विकास में बाधा आ रही है।
- **धारणा और छवि:** भारत को उन अफ्रीकी नागरिकों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है जो भारतीय निवेश को नव-उपनिवेशवाद या शोषणकारी मानते हैं। भारत में अफ्रीकी नागरिकों पर नस्लीय हमलों की घटनाओं ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया है और संभावित रूप से संबंधों में तनाव आ सकता है।
- **विभिन्न प्राथमिकताएँ:** अफ्रीका पर भारत का ध्यान इसकी प्राथमिक विदेश नीति प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और पड़ोसी देशों जैसी अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अनेक प्राथमिकताओं को संतुलित करना भारत-अफ्रीका संबंधों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में चुनौतियाँ पैदा कर सकता है।

आगे की राह

भारत की अफ्रीका के साथ एक ठोस साझेदारी और सद्भावना का एक समृद्ध कोष है, लेकिन "नई दिल्ली के लिए समय-समय पर अपनी अफ्रीका नीति की समीक्षा करना, आवश्यक बदलाव करके लचीला बने रहना और इसके कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है"।

स्रोत: द हिंदू

GS Paper-3

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

Syllabus

- **Mains –GS 3 (Environment)**

संदर्भ: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में विवादास्पद प्रस्तावित संशोधनों की जांच करने के लिए गठित एक संसदीय समिति ने संशोधन विधेयक का पूरी तरह से समर्थन किया है।

भारत में वन आवरण के बारे में:

- भारत में 'वन आवरण', एक हेक्टेयर से अधिक आकार की भूमि को संदर्भित करता है जहां वृक्ष छत्र घनत्व (canopy density) 10% से अधिक है।
- वर्ष 2001 से 2021 तक भारत का कुल वन क्षेत्र बढ़कर 38,251 वर्ग किमी हो गया।
- यह वृद्धि मुख्य रूप से खुले वन क्षेत्र के संदर्भ में थी, जहां वृक्ष छत्र घनत्व 10% से 40% तक है।
- उस अवधि के दौरान 'घने जंगल' के रूप में वर्गीकृत क्षेत्रों में वन आवरण वास्तव में कम हो गया।
- वृक्षारोपण की खेती को प्रोत्साहित करने वाले संशोधन वृक्ष आवरण को बढ़ा सकते हैं, लेकिन घने जंगलों के नुकसान को रोकने में असमर्थ होंगे।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं:

अधिनियम के दायरे में भूमि: विधेयक में प्रावधान है कि दो प्रकार की भूमि अधिनियम के दायरे में होगी:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित/अधिसूचित भूमि, या
- भूमि पहली श्रेणी में शामिल नहीं है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद जंगल के रूप में अधिसूचित की गई है।

भूमि की छूट प्राप्त श्रेणियाँ;

- विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को अधिनियम के प्रावधानों से छूट देता है, जैसे कि रेल लाइन या सरकार द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि।

विदेशी भूमि का असाइनमेंट/लीजिंग

- अधिनियम के तहत, राज्य सरकार को सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी भी इकाई को वनभूमि आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- विधेयक में, यह शर्त सभी संस्थाओं पर लागू की गई है, जिनमें सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाएं भी शामिल हैं।
- इसमें यह भी आवश्यक है कि पूर्व अनुमोदन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन हो।

वन भूमि में अनुमत गतिविधियाँ:

- अधिनियम वनों के गैर-आरक्षण या गैर-वन उद्देश्यों के लिए वनभूमि के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
  - ऐसे प्रतिबंध केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से हटाए जा सकते हैं।
- गैर-वन उद्देश्यों में बागवानी फसलों की खेती के लिए या पुनर्वनीकरण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग शामिल है।
- अधिनियम कुछ गतिविधियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें गैर-वन उद्देश्यों से बाहर रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि गैर-वन उद्देश्यों के लिए वनभूमि के उपयोग पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

बिल इस सूची में कुछ और गतिविधियों को शामिल करता है, जैसे:

- संरक्षित स्थानों के अतिरिक्त वन क्षेत्रों में वन्य जीवन (संरक्षण) एक्ट, 1972 के तहत सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी के स्वामित्व वाले चिड़ियाघर और सफारी,
  - इको-टूरिज्म संबंधी सुविधाएं,
  - सिल्विकल्चरल ऑपरेशंस (वनों की वृद्धि) और
  - केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य।

दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति:

- विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) के तहत या मान्यता प्राप्त किसी भी प्राधिकरण/संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

संशोधन के विवादास्पद भाग

- **कमजोर पड़ने की चिंताएं:** कुछ आलोचकों का तर्क है कि संशोधन सुप्रीम कोर्ट के 1996 के गोदावर्मन मामले के फैसले को कमजोर करता

हैं, जिसने उन वनों को सुरक्षा प्रदान की है जिन्हें आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।

- **भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र:** अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा के 100 किमी के भीतर परियोजनाओं को अब वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जो पर्यावरण और सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ाते है।
- **डीम्ड वन और पर्यटन:** डीम्ड वनों के लिए केंद्रीय सुरक्षा और पर्यटन जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंधों से समझौता किया जा सकता है, जिससे जैव विविधता संरक्षण और वन अखंडता प्रभावित होगी।
- **वन क्षेत्र पर प्रभाव:** राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भूमि को छूट देने से पूर्वोत्तर राज्यों में वन क्षेत्र और वन्य जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जहां उच्च वन क्षेत्र है और जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं।
- **संभावित प्रतिकूल प्रभाव:** चिड़ियाघरों, पर्यावरण-पर्यटन सुविधाओं और टोही सर्वेक्षणों जैसी परियोजनाओं के लिए व्यापक छूट से वन भूमि और वन्य जीवन पर नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

आगे की राह :

आपत्तियों और विवादों के बावजूद वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक को संसदीय समिति का समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य अधिनियम की प्रयोज्यता में स्पष्टता लाना और वृक्ष आवरण, राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढांचे और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है।

Source: The Hindu

भारत-म्यांमार सीमा पर 'मुक्त आवाजाही व्यवस्था'

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Security Issues)**

संदर्भ: मणिपुर में तनाव के बीच, फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) पर सवाल उठाए गए हैं जो भारत-म्यांमार सीमा (आईएमबी) के पार प्रवास की सुविधा प्रदान करता है।

इसके बारे में:

- भारत और म्यांमार के बीच की सीमा चार राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1,643 किमी तक जाती है।
- यह दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी तक आने-जाने की अनुमति देती है।
- FMR को वर्ष 2018 में लागू किया गया था।

FMR का महत्व:

- यह समझौता वैध पासपोर्ट और वीजा के आधार पर लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक संपर्क बढ़ेगा।
- यह दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य रूप से रहने वाले लोगों के लिए पहले से मौजूद मुक्त आंदोलन अधिकारों के विनियमन और

सामंजस्य की सुविधा प्रदान करेगा।

- यह उत्तर पूर्व की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा और व्यापार एवं लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार के साथ भौगोलिक संबंधों का लाभ उठाएगा।
- यह सीमा पर रहने वाले बड़े पैमाने पर आदिवासी समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की भी रक्षा करेगा, जो भूमि सीमा के पार मुक्त आवाजाही के अभ्यस्त हैं।

चुनौतियाँ:

उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी:

- कई विद्रोही समूहों ने आस-पास के क्षेत्रों में शिविर बनाए हैं।
- सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (CLAWS) के अनुसार, कई विद्रोही समूह जैसे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (UNLF), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन), और कुकी एवं ज़ोमिस के छोटे समूहों ने म्यांमार में सागांग डिवीजन, काचिन राज्य और चिन राज्य में शिविर बनाए हैं।
- उन्होंने वहां शरण ली, हथियार प्राप्त किए, कैडरों को प्रशिक्षित किया और फंड जुटाने के लिए दवाओं की तस्करी और हथियार बेचने जैसी अवैध गतिविधियों में लगे रहे।
- यह छिद्रपूर्ण सीमाओं और एफएमआर के लगातार दुरुपयोग के कारण संभव है।
    - इसलिए, नशीली दवाओं की तस्करी और बिना बाड़ वाली सीमाओं पर अवैध सीमा पार आवाजाही को कम करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और प्रशासन करना प्रासंगिक है।" (मुक्त आंदोलन व्यवस्था (एफएमआर) पर दोबारा ध्यान देना: चुनौतियां और निहितार्थ, नवंबर 2022)

सुझावात्मक उपाय: आगे की राह

- ढांचागत विकास, नियामक तंत्र पर ध्यान केंद्रित करके FMR को संशोधित करने और अनौपचारिक व्यापार को औपचारिक व्यापार में बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- भारत-म्यांमार सीमा पर उचित दूरी के अंदर कई प्रवेश बिंदु निर्धारित किए जाएं और आवश्यकता के अनुसार सीमा रक्षकों को तैनात करके कड़ी निगरानी शुरू की जानी चाहिए।
    - इन निर्दिष्ट प्रवेश पॉइंट के माध्यम से लोगों को सीमा पार जाने और आने के लिए निर्दिष्ट पॉइंट का उपयोग करने के लिए सख्ती से सूचित किया जाना चाहिए।
- व्यापारियों, स्थानीय लोगों और स्थानीय भार वाले लोगों की आवाजाही की आवृत्ति की जाँच करने के लिए 24/7 जनशक्ति की तैनाती और उनकी संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है।
- पर्याप्त सुरक्षा गार्ड तैनात करके प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जाए। विशिष्ट क्षेत्रों में चयनात्मक बाड़ लगाना आवश्यक है।
- यह जरूरी है कि भारत सीमा की सुरक्षा को मजबूत करे और इस सीमा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए म्यांमार को सार्थक रूप से शामिल करने के अपने प्रयासों को दोगुना करे।
- शुरुआत के लिए, इसे असम राइफल्स को भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा की एकमात्र जिम्मेदारी देनी चाहिए और इसे पर्याप्त जनशक्ति और उपकरणों के साथ मजबूत करना चाहिए।
    - साथ ही, निरंतर सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से, सीमावर्ती समुदाय को राष्ट्र-निर्माण परियोजना में भाग लेने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Economy)**

संदर्भ: रचनात्मक अर्थव्यवस्था भारत में सबसे युवा और सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है।

परिचय :

- यह एक उभरती हुई अवधारणा है, जो मानव रचनात्मकता और विचारों और बौद्धिक संपदा, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच परस्पर क्रिया पर आधारित है।
- इसमें विज्ञापन, वास्तुकला, कला और शिल्प, डिजाइन, फैशन, फिल्म, वीडियो, फोटोग्राफी, संगीत आदि शामिल हैं।

भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की स्थिति:

बढ़ती पहचान:

- अब कला क्षेत्र के आर्थिक महत्व की मान्यता बढ़ रही है क्योंकि यह नौकरियों के सृजन, आर्थिक विकास, पर्यटन, निर्यात और समग्र सामाजिक विकास में मदद करता है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी ने भारतीय कलाकारों और कारीगरों को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम बनाया है।
- ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया और डिजिटल सामग्री निर्माण कलाकारों, लेखकों, फिल्म निर्माताओं, संगीतकारों और अन्य रचनात्मक लोगों को दर्शकों के साथ जुड़ने और उनकी प्रतिभा का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाते हैं।
- भारतीय कलाकार और कारीगर पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करने और समकालीन कलाकृतियाँ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यूनेस्को MONDIACULT 2022:

- संस्कृति के आर्थिक महत्व को पहचानते हुए, बहुसांस्कृतिक समाजों में समसामयिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए सांस्कृतिक नीतियों और सतत विकास पर यूनेस्को विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- सम्मेलन का उद्देश्य, सांस्कृतिक नीतियों के भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण साझा करना और सतत विकास के लिए संस्कृति की परिवर्तनकारी शक्ति का लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था।

कलाकारों की चुनौतियाँ एवं स्थिति

- **आर्थिक और बाज़ार चुनौतियाँ:** भारतीय कलाकार और कारीगर पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करने और समकालीन कलाकृतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें आर्थिक स्थिरता, बाजार पहुंच और तेजी से बदलते समाज में पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **पारंपरिक कला रूपों का संरक्षण:** तेजी से बदलते सामाजिक रुझानों के सामने, पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **प्रतिनिधित्व और समर्थन में असमानताएँ:** कलाकारों को अक्सर वित्तीय सहायता और कार्यक्रम आयोजन के लिए चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का सामना करना पड़ता है। जो लोग शहरों से बाहर रहते हैं वे विशेष रूप से वंचित हैं।
- **कला जगत में अपराध:** कलाकारों को कला से संबंधित अपराधों जैसे चोरी, जालसाजी और अवैध तस्करी से लड़ना होगा। ये अपराध सांस्कृतिक विरासत, वित्तीय सुरक्षा और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, लेख कई समाधान सुझाता है:
- **सरकारी सहायता और सांस्कृतिक संस्थान:** निरंतर वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकार तथा सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए अवसर कलाकारों को खुद को बनाए रखने और प्रदर्शन हासिल करने में मदद कर सकते हैं।
- **पारदर्शी चयन प्रक्रियाएँ:** वित्तीय सहायता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रियाओं को लागू करने से कलाकारों के लिए समान प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित हो सकते हैं।
- **कलाकारों को ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना:** निजी और सार्वजनिक संस्थानों को समकालीन कलाकारों को ब्रांड के रूप में बढ़ावा देने, बाजार समर्थन, अनुसंधान, व्यवसाय सुविधा और उनके काम को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करने की पहल करनी चाहिए।
- **उन्नत सुरक्षा उपाय और प्रौद्योगिकी:** सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और प्रमाणीकरण और ट्रैकिंग के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करने से कला जगत में अपराध से निपटने में मदद मिल सकती है।
- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** नियमित ऑडिट, सत्यापित पहचान चिह्न और संस्थागत रिकॉर्ड सांस्कृतिक संग्रह की अखंडता और विश्वास को संरक्षित करने में योगदान दे सकते हैं।

आगे की राह:

भारत में कला, संस्कृति और रचनात्मक अर्थव्यवस्था का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व, चुनौतियों का समाधान करते हुए और समाधान प्रस्तावित करते हुए, समग्र रूप से कलाकारों और कारीगरों की वृद्धि और विकास का समर्थन करना चाहिए।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Science and Technology)**

संदर्भ: अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना करते हुए, भारत वर्तमान में लगभग 140-पंजीकृत अंतरिक्ष-तकनीक स्टार्ट-अप का घर है, जो "ग्रह के कनेक्शन को अंतिम सीमा तक बदलने के लिए खड़ा है" और चीन के लिए "प्रतिकारक" के रूप में उभर सकता है।

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

- आज जबकि इसरो का बजट लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की है।
- ब्रॉडबैंड, ओटीटी और 5G उपग्रह आधारित सेवाओं में दोहरे अंकों की वार्षिक वृद्धि की संभावना निहित है।
- आकलन किया जाता है कि अनुकूल माहौल के साथ भारतीय अंतरिक्ष उद्योग वर्ष 2030 तक 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य तक बढ़ सकता है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के दो लाख से अधिक अवसर सृजित हो सकते हैं।

भारतीय अंतरिक्ष नीति के बारे में:

- अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी।
- यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। इस नीति से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO), अंतरिक्ष क्षेत्र के PSU न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) की भूमिकाओं एवं ज़िम्मेदारियों का निर्धारण किया गया है।

नीति की प्रमुख बातें:

- यह नीति चार अलग-अलग, लेकिन संबंधित निकायों का सृजन करती है, जो उन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की वृहत भागीदारी को सुगम बनाएगी जो आमतौर पर इसरो का पारंपरिक डोमेन रहा है।
- भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (Indian National Space Promotion and Authorisation Centre-InSPACe): यह अंतरिक्ष प्रक्षेपण, लॉन्च पैड की स्थापना, उपग्रहों को खरीद-बिक्री और हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा का प्रसार करने सहित विभिन्न विषयों के लिये एकल खिड़की मंज़ूरी एवं प्राधिकरण एजेंसी के रूप में काम करेगा।
    - यह गैर-सरकारी निकायों (Non-Government Entities- NGEs)—जिसमें निजी कंपनियाँ भी शामिल होंगी—और सरकारी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी भी करेगा।
- **न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL):** यह सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सृजित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और मंचों के व्यावसायीकरण के साथ-साथ निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से अंतरिक्ष संबंधी घटकों, प्रौद्योगिकियों, मंचों एवं अन्य आस्तियों के विनिर्माण, लीज़िंग या खरीद के लिये ज़िम्मेदार होगा।
- **अंतरिक्ष विभाग:** यह समग्र नीति दिशानिर्देश प्रदान करेगा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिये नोडल विभाग होगा। यह अन्य कार्यों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय के परामर्श से वैश्विक अंतरिक्ष प्रशासन एवं कार्यक्रमों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय की दिशा में भी कार्य करेगा।
    - यह अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित विवादों को हल करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र का भी सृजन करेगा।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के लाभ:

- **स्पष्टता प्रदान करना:** यह भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सभी शामिल पक्षों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक एकल नियामक निकाय, IN-SPACe की स्थापना करती है।

- **नवाचार को बढ़ावा देना:** भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है, जो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नए विचार, नवाचार और प्रतिस्पर्धा लाती है।
    - इससे अधिक उन्नत प्रौद्योगिकियों और कुशल प्रक्रियाओं का विकास हो सकता है, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास हो सकेगा।
- **आर्थिक विकास और रोजगार सृजन:** जैसे-जैसे निजी क्षेत्र और स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं, इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
    - यह नीति निवेश को बढ़ावा, उच्च तकनीक वाली नौकरियाँ उत्पन्न करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।
- **सुलभ और किफायती अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सेवाएँ अधिक सुलभ और सस्ती हो सकती हैं, जिससे संचार, नेविगेशन, पृथ्वी अवलोकन और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों को फायदा होगा।
- **उद्यमिता को प्रोत्साहित करना:** यह नीति अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए उत्साहजनक माहौल बनाती है, देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देती है।
    - यह उद्यमियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में योगदान देता है।
- **नियमों को सुव्यवस्थित करना:** एकल-खिड़की निकासी प्रणाली बनाकर, नीति अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।
    - इससे व्यवसायों के लिए नियामक परिदृश्य को नेविगेट करना आसान हो जाता है और अधिक संस्थाओं को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **समय-सीमा का अभाव:** नीति में कार्यान्वयन और इसरो की प्रथाओं के परिवर्तन के साथ-साथ IN-SPACe द्वारा नियामक ढांचे की स्थापना के लिए एक विशिष्ट समय-सीमा का अभाव है।
    - इससे नीति की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना कठिन हो जाता है।
- **स्पष्ट नियमों और विनियमों का अभाव:** नीति ढांचे के लिए कई क्षेत्रों में स्पष्ट और विस्तृत नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और लाइसेंसिंग, नए अंतरिक्ष स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए सरकारी खरीद, उल्लंघन के मामले में दायित्व प्रावधान और विवाद निपटान के लिए एक अपीलीय ढांचा शामिल है।
- **IN-SPACe की स्थिति और प्राधिकार में अस्पष्टता:** वर्तमान में, IN-SPACe की स्थिति अस्पष्ट है क्योंकि यह अंतरिक्ष विभाग के दायरे में कार्य करता है।
    - इसके सचिव (अंतरिक्ष) IN-SPACe द्वारा विनियमित होने वाली सरकारी इकाई इसरो के अध्यक्ष भी हैं।
- **विधायी प्राधिकरण:** IN-SPACe जैसी नियामक संस्था की स्थापना के लिए इसकी प्रभावशीलता और वैधता सुनिश्चित करने हेतु विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।
    - एक समर्पित कानून की अनुपस्थिति नियमों को लागू करने और अंतरिक्ष उद्योग के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा प्रदान करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

आगे की राह :

भारत की नई अंतरिक्ष नीति की शुरूआत वाणिज्यिक अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, लेकिन निजी क्षेत्र की भागीदारी के संभावित लाभों को पूरी तरह से महसूस करने के लिए अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

Source: India Today

रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण : इसके फायदे क्या हैं?

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Economy)**

संदर्भ: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी) ने हाल ही में कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बना

हुआ है और प्रमुख विपरीत परिस्थितियों में उल्लेखनीय लचीलापन दिखा रहा है और रुपये में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बनने की क्षमता है।

रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

- रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सीमा पार लेन-देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
- ये सभी भारत के निवासियों और गैर-निवासियों के बीच लेनदेन हैं।
- इसमें शामिल है -
    - इसमें आयात और निर्यात व्यापार के लिये रुपए को बढ़ावा देना और अन्य चालू खाता लेन-देन के साथ-साथ पूंजी खाता लेन-देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।
    - पूंजी खाता लेनदेन में इसके उपयोग के बाद - वित्तीय साधनों आदि में सीमा पार निवेश का आकलन करता है।
- वर्तमान में, अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग दुनिया में प्रमुख आरक्षित मुद्राएं हैं।
- अपनी मुद्रा रॅन्मिन्बी बनाने के चीन के प्रयासों को अब तक सीमित सफलता ही मिल पाई है।
- भारत ने अभी तक चालू खाते पर केवल पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति दी है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की वर्तमान स्थिति:

- अंतर्राष्ट्रीयकरण में सीमित प्रगति: रुपया अंतर्राष्ट्रीयकरण से बहुत दूर है, वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की दैनिक औसत हिस्सेदारी लगभग 1.6% है, जबकि वैश्विक माल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम: भारत ने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए हैं (उदाहरण के लिए, रुपये में बाहरी वाणिज्यिक उधार को सक्षम करना), जिसमें भारतीय बैंकों को रूस, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और मॉरीशस के बैंकों के लिए रुपया वोस्ट्रो खाते खोलने और व्यापार के उपायों पर बल दिया गया है। रुपये में लगभग 18 देशों के साथ स्थापित किया गया।
- हालाँकि, ऐसे लेन-देन सीमित हैं, भारत अभी भी रूस से डॉलर में तेल खरीदता है।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण लाभ

- **वैश्विक स्वीकार्यता में वृद्धि:** रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से इसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ सकती है, जिससे रुपये में अधिक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन हो सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्राओं की मांग कम हो जाएगी और विनिमय दर जोखिम कम हो जाएगा।
- **कम लेनदेन लागत:** रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारतीय व्यवसायों के लिए लेनदेन लागत को कम कर सकता है क्योंकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए विनिमय दर शुल्क नहीं देना होगा।
- **व्यापार और निवेश को बढ़ावा:** रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण विदेशी व्यवसायों के लिए भारत में और भारतीय व्यवसायों के लिए विदेश में निवेश करना आसान बनाकर व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सकता है।
- **बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता:** अधिक स्वतंत्र रूप से कारोबार किया जाने वाला रुपया वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है, जिससे मुद्रा देश के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को प्रतिबिंबित कर सकती है और मुद्रा बाजारों में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम कर सकती है।
- **भंडार का विविधीकरण:** रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण अमेरिकी डॉलर में एकाग्रता से दूर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता ला सकता है, जिससे एकल मुद्रा रखने से जुड़े जोखिम कम हो सकते हैं।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से जुड़ी चुनौतियाँ:

- **विनिमय दर में अस्थिरता:** रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण इसे अधिक विनिमय दर अस्थिरता में उजागर करता है। रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, विदेशी निवेश प्रवाह और वित्तीय बाजार स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
    - संभावित प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए विनिमय दर जोखिमों का प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है।
- **पूंजी की उड़ान और वित्तीय स्थिरता:** यदि निवेशक मुद्रा में विश्वास खो देते हैं या प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों की आशंका जताते हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए रुपये को खोलने से पूंजी की उड़ान हो सकती है।

- इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है, वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है और मौद्रिक नीति प्रबंधन के लिए चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

- **पूंजी नियंत्रण:** भारत में अभी भी पूंजी नियंत्रण लागू है जो विदेशियों की भारतीय बाजारों में निवेश और व्यापार करने की क्षमता को सीमित करता है।
  - ये प्रतिबंध रुपये के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में व्यापक रूप से उपयोग करना कठिन बना देते हैं।
- **प्रतिस्पर्धी मुद्राएँ:** रुपये को अमेरिकी डॉलर, यूरो और येन जैसी स्थापित अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिन्हें व्यापक स्वीकृति और तरलता प्राप्त होती है।
  - बाज़ार हिस्सेदारी हासिल करना और इन प्रमुख मुद्राओं को विस्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है।
- **आत्मविश्वास और धारणा:** भारत की आर्थिक और मौद्रिक नीतियों की विश्वसनीयता और स्थिरता रुपये में विश्वास पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - नीतिगत अनिश्चितता, पारदर्शिता की कमी, या भू-राजनीतिक जोखिमों की कोई भी धारणा अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है।
- **बाजार सहभागियों द्वारा अपनाना:** अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए रुपये को अपनाने के लिए व्यवसायों, व्यक्तियों और वित्तीय संस्थानों सहित बाजार सहभागियों को समझाने के लिए मुद्रा में विश्वास, परिचितता और विश्वास की आवश्यकता होती है।
  o विश्व स्तर पर रुपये के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करना और इसके लाभों को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

आगे की राह: आरबीआई की सिफारिशें:

अल्पावधि के लिए:

- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं पर प्रस्तावों की जांच के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाना।
- भारत में और इसके बाहर दोनों जगह गैर-निवासियों के लिए रुपया खाते खोलने को प्रोत्साहित करना और सीमा पार लेनदेन के लिए अन्य देशों के साथ भारतीय भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करना।
- वैश्विक 24×5 रुपये के बाजार को बढ़ावा देकर और एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) व्यवस्था के पुनर्गणना द्वारा वित्तीय बाजार को मजबूत करना।
- मसाला (भारतीय संस्थाओं द्वारा भारत के बाहर जारी किए गए रुपये-मूल्य वाले बांड) बांड, सीमा पार व्यापार लेनदेन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) के अंतर्राष्ट्रीय उपयोग आदि पर करों की समीक्षा।

लंबी अवधि के लिए:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) में रुपये को शामिल करने के प्रयास किये जाने चाहिए।
- एसडीआर आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है।
- एसडीआर का मूल्य पांच मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है [अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग]।

Source: Indian Express

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Environment and Ecology).**

संदर्भ: ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में अपनी खोज के हिस्से के रूप में, सरकार ने यह पता लगाने के लिए हितधारकों को एक साथ लाया है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं।

हाइड्रोजन ईंधन:

- हाइड्रोजन ईंधन ऑक्सीजन के साथ जलाया जाने वाला शून्य-उत्सर्जन ईंधन है।
- इसका उपयोग ईंधन सेल या आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है।

- **इसका निर्माण:**
  - प्रत्यक्ष धारा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस में किया जाता हैं।
  - प्राकृतिक गैस सुधार/गैसीकरण: भाप के साथ प्रतिक्रिया करने पर प्राकृतिक गैस संश्लेषण गैस उत्पन्न करती है। सिंथेटिक गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है।
  - किण्वन: बायोमास को चीनी युक्त फीडस्टॉक्स में परिवर्तित किया जाता है जिसे हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए किण्वित किया जा सकता है।

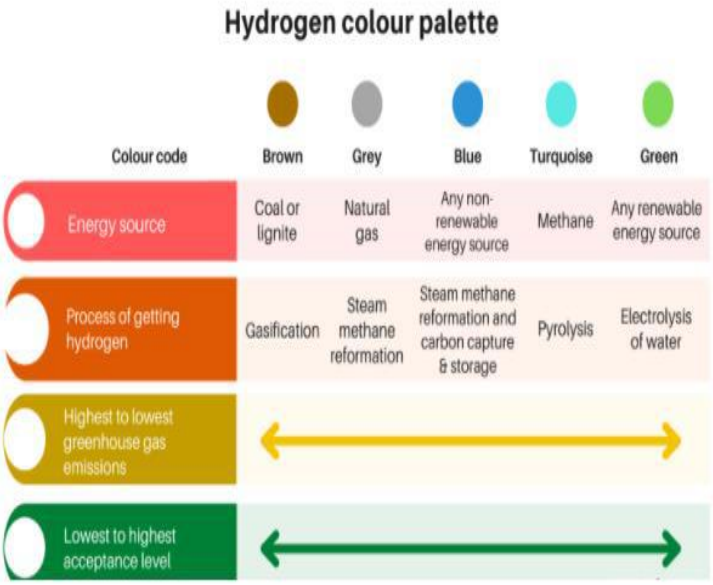

हाइड्रोजन ईंधन के प्रकार

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में?

- यह हरित हाइड्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने और भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने हेतु एक कार्यक्रम है।
- यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ-साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा।

उपयोजनाएँ:

- हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप (SIGHT):
- यह इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू विनिर्माण को वित्त पोषित करेगा और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा।

ग्रीन हाइड्रोजन हब:

- बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन के उत्पादन और/या उपयोग का समर्थन करने में सक्षम राज्यों और क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

उद्देश्य:

- वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 गीगावॉट (गीगावाट) की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के साथ-साथ प्रति वर्ष कम से कम पांच MMT (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना।
- इसका लक्ष्य कुल 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करना है और छह लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।
- इससे जीवाश्म ईंधन के आयात में संचयी रूप से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की कमी आएगी और वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 मीट्रिक टन की कमी आएगी।
- **नोडल मंत्रालय:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

महत्व:

- यह औद्योगिक, गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में मदद करना; आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता कम करना; स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना; रोजगार के अवसर पैदा करना; और कुशल ईंधन सेल जैसी नई तकनीकों का विकास करना।

NGHM का महत्व/अभिप्रेत परिणाम

- **नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि:** प्रति वर्ष कम से कम पांच एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना।
    - देश में लगभग 125 गीगावॉट की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना
- निवेश को बढ़ावा
- रोजगार सृजन
- जीवाश्म ईंधन आयात में संचयी कमी।
- **ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी:** लगभग 50 एमएमटी वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सरकार को COP 26 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- 2015 के पेरिस समझौते के तहत, भारत अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर से 33-35% कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
    - यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है।

हरित हाइड्रोजन के दोहन में संभावित चुनौतियाँ

- **ईंधन स्टेशन बुनियादी ढांचे की कमी:** भारत को आज दुनिया में लगभग 500 परिचालन हाइड्रोजन स्टेशनों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता होगी, जो ज्यादातर यूरोप में हैं, इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया हैं।
- **हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया की ऊर्जा-गहन प्रकृति:** प्रौद्योगिकी अभी छोटे अवस्था में है और जल या मीथेन को विभाजित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अधिक है। इसके अलावा, वर्तमान में पूरी प्रक्रिया महंगी है।
- प्रक्रिया को सस्ता, परिचालन और स्केलेबल बनाने के लिए नई तकनीक के लिए उच्च R और D की आवश्यकता होती हैं।
- **नियामक प्राधिकरणों की बहुलता:** कई मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी सरकारी कामकाज में लालफीताशाही का कारण बनती है।
- **हाइड्रोजन के परिवहन से जुड़े खतरे:** गैसीय रूप में हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होता है और परिवहन करना कठिन होता है, जिससे सुरक्षा एक प्राथमिक चिंता बन जाती है।

स्वच्छ ईंधन परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पहल

- भारत के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) सौर-समृद्ध देशों का एक गठबंधन है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना और 2030 तक अपनी बिजली आवश्यकताओं का 50 फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करना है।
- फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME) इंडिया स्कीम और अटल ज्योति योजना जैसी पहल ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों तथा सौर-संचालित प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देती है, एक ऐसा कदम जो उत्सर्जन पदचिह्न को कम करता है।
- सरकार द्वारा 2018 में अधिसूचित 'जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति' में वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के सांकेतिक लक्ष्य की परिकल्पना की गई है।
- "भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-25 के लिए रोडमैप" जो 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत मार्ग बताता है।

आगे की राह

औद्योगिक हाइड्रोजन के पर्याप्त उपयोगकर्ताओं को हरित हाइड्रोजन अपनाने हेतु मनाने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा करने की आवश्यकता है। भारत को पाइपलाइनों, टैंकरों, मध्यवर्ती स्टॉकों और अंतिम चरण वितरण नेटवर्क के रूप में आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की आवश्यकता है और साथ ही एक प्रभावी योजना भी बनानी होगी।

Source: PIB

PRACTICE QUESTIONS

Q1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I: नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राकृतिक स्रोतों द्वारा निर्मित होता है जिसमें ज्वालामुखी और सूक्ष्मजीव शामिल हैं।
कथन-II: नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल प्रदूषण का कारण बनता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q2) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

हॉर्नबिल प्रजाति	IUCN स्थिति
ग्रेट हॉर्नबिल:	खतरे के करीब
नारकोंडम हॉर्नबिल:	लुप्तप्राय
इंडियन ग्रे हॉर्नबिल:	खतरे के करीब

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I: जीएसटीएन करदाताओं को सामान्य पंजीकरण, रिटर्न और भुगतान सेवाएं प्रदान करता है।
कथन-II: जीएसटीएन की स्थापना 2015 में हुई थी।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q4) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत है।
कथन-II: NADA एक संवैधानिक निकाय है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q5) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

बेलुगा	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
स्टेलेट	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
रूसी स्टर्जन	गंभीर रूप से संकटग्रस्त
स्टेरलेट	लुप्तप्राय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. सभी चार

Q6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I: संथाल विद्रोह 1857 में शुरू हुआ।
कथन-II: इसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, भैरव और उनकी दो बहनों फूलो और झानो ने किया था।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

IASBABA

Q7) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: SALVEX अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना के बीच आयोजित किया गया था।

कथन-II: अभ्यास का सातवां संस्करण कोच्चि, भारत में आयोजित किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-11 कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q8) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

1. स्ट्रैटोवोलकानो: यह अत्यधिक कठोर लावा द्वारा निर्मित एक शंक्वाकार ज्वालामुखी है।
2. रिंग ऑफ़ फायर : यह एक बड़ी कड़ाही जैसा खोखला होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट में मैग्मा कक्ष के खाली होने के तुरंत बाद बनता है।
3. काल्डेरा: प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र जो अपनी उच्च ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: जल उपयोग दक्षता ब्यूरो जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नियामक निर्देश बनाता है।

कथन-II: इसकी स्थापना राष्ट्रीय जल मिशन योजना के तहत की गई है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q10) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: अभ्यास "घुमंतू हाथी - 2023" मंगोलिया के उलानबटार में शुरू होगा।

कथन-II: अभ्यास का अंतिम संस्करण अक्टूबर 2019 में बकलोह, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q11) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: विटामिन ए की कमी खसरे के लिए एक जोखिम कारक है।

कथन-II: खसरे के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q12) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

बचाव अभियान	देश
1. वंदे भारत मिशन	यमन
2. ऑपरेशन राहत	कुवैत
3. ऑपरेशन मैत्री	नेपाल

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q13) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: सौर ज्वालाओं की ऊर्जा एक अरब हाइड्रोजन बम के बराबर होती है।

कथन-II: X-श्रेणी की सौर ज्वालाएँ पृथ्वी पर एक प्रभाव डालने वाली सबसे छोटी और सबसे कम महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-11 कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q14) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

मालाबार	भारत और जापान के बीच वायुसेना का अभ्यास
शिन्यूउ मैत्री	संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत, जापान के बीच नौसेना अभ्यास
धर्म गार्जियन	भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q15) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन- I: NGT को आवेदन या अपील दायर करने के 6 महीने के भीतर अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास करने का आदेश दिया गया है।

कथन-II: NGT का मुख्य बैठने का स्थान नई दिल्ली है लेकिन इसकी भोपाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 जोनल बेंच हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q16) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा बनाया गया था।

कथन-II: जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एरियन 5 रॉकेट में लॉन्च किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q17) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

मिशन वात्सल्य योजना:	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
स्वामी निधि:	वित्त मंत्रालय
निर्भया फंड	कृषि मंत्रालय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q18) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) का मुख्यालय कोलकाता में है।

कथन-II: DGCA एक वैधानिक निकाय है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q19) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी।

कथन-II: राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय मुंबई में है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-11 कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q20) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

1. सब स्टैंडर्ड: कोई एसेट जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए एनपीए के रूप में बनी हुई है।
2. संदिग्ध: कोई एसेट जिसे बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. हानि: बैंक द्वारा संपत्तियों की पहचान एनपीए के रूप में की गई है लेकिन इसे अभी तक पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।
4. स्टैंडर्ड संपत्तियां: ऐसी संपत्तियां जो सामान्य जोखिम रखती हैं और वास्तविक अर्थों में एनपीए नहीं हैं।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. सभी चार

Q21) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ आकर्षित (Attracts) और धारण (Holds) करता है।

कथन-II: डार्क मैटर प्रकाश उत्सर्जित करता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-11 कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q22) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: पार्कर सोलर प्रोब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है।

कथन-II: पार्कर सोलर प्रोब वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q23) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

1. UNEP: यह पर्यावरण पर अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है।
2. FAO: संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है।
3. WOAH: संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो राष्ट्रों, साझेदारों और लोगों को जोड़ती है स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, विश्व को सुरक्षित रखना और कमजोर लोगों की सहायता करती है।
4. WHO: यह एक अंतरसरकारी संगठन है यह विश्व स्तर पर पशु स्वास्थ्य में सुधार लाने, पशु रोगों पर पारदर्शी रूप से जानकारी प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित करता हैं।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. सभी चार

Q24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: गुच्छी मशरूम एंटीऑक्सीडेंट और रोगाणुरोधी गुणों से भरपूर हैं।

कथन-II: गुच्छी मशरूम जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है

Q25) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: राजस्व खुफिया निदेशालय तस्करी से निपटने के लिए कानून और प्रक्रियाओं में खामियों के लिए उपाय सुझाता है।

कथन-II: यह नशीले पदार्थों की तस्करी के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II सही स्पष्टीकरण नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q26) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ऐसे बच्चे को दिया जा सकता है जो भारतीय नागरिक हो और उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक न हो।

कथन-II: इसमें एक पदक, 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q27) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

नदियाँ	उद्गम स्थान
हिंडन	विंध्य रेंज
यमुना	यमुनोत्री ग्लेशियर
तीस्ता	शिवालिक पहाड़ियाँ

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q28) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: अग्रिम प्राधिकरण योजना अंतिम निर्यात उत्पाद की लागत को कम करती है।

कथन-II: यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q29) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और लोगों, जानवरों और पौधों के लिए हानिरहित हैं।

कथन-II: बैक्टीरियोफेज केवल जीवाणु के अंदर ही गुणा और वृद्धि कर सकते हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q30) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

टीका	रोग
डेंगवैक्सिया	डिप्थीरिया
DPT3	काली खांसी
पेडियारिक्स	हेपेटाइटिस बी

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q31) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: ब्रुसेलोसिस ज़ूनोटिक रोग है।

कथन-II: संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-11 कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q32) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

संगठन	मुख्यालय
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन	हैदराबाद
भारतीय खाद्य निगम	नई दिल्ली
इन-स्पेस	भुवनेश्वर

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q33) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: कैंडिडा ऑरिस को WHO द्वारा "तत्काल" और "गंभीर" खतरे के रूप में टैग किया गया है।

कथन-II: यह एंटीफंगल दवाओं के कई वर्गों के प्रति प्रतिरोधी है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q34) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: पिकोलिनिक एसिड ट्रिप्टोफैन के चयापचय में एक मध्यवर्ती है।

कथन-II: यह शरीर के अंदर लंबी अवधि तक रहता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2019 में शुरू की गई थी।

कथन-II: सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q36) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

अंतरिक्ष यान	एजेंसी
मैसेंजर	नासा
बेपीकोलंबो	ESA और JAXA
मेरिनर 10	ESA

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q37) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: मुस्लिम वर्ल्ड लीग की स्थापना 1992 में हुई थी।

कथन-II: यह आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के साथ परामर्शदात्री स्थिति में एक पर्यवेक्षक है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-11 कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q38) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

योजनाएं	शुरू की गईं
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	2004
समर्थ योजना	2023
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	1995

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: समर्थ योजना श्रम प्रधान कपड़ा क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

कथन-II: यह योजना कताई और बुनाई को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य सीरीज को कवर करती है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q40) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: शेल्फ क्लाउड की विशेषता निचले, क्षैतिज गठन से होती है।

कथन-II: इनका निर्माण तब होता है जब ठंडी, सघन वायु का एक समूह गर्म वायु द्रव्यमान के साथ बलपूर्वक इंटरैक्ट करता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: बैस्टिल डे परेड फ्रांस में वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है।

कथन-II: इस दिन को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

IASBABA

Q42) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

अभ्यास	देश
अभ्यास संप्रीति	1. भारत और मालदीव
अभ्यास गरुड़	2. भारत और मलेशिया
अभ्यास समुद्र शक्ति	3. भारत और इंडोनेशिया

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q43) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: खाद्य और कृषि के लिए आनुवंशिक संसाधनों पर आयोग (सीजीआरएफए) की सदस्यता एफएओ के सभी सदस्यों के लिए खुली है।

कथन-II: इसका 19वां सत्र रोम, फ्रांस में हुआ।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q44) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करता है।

कथन-II: फंड अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए उपलब्ध होता हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q45) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

नदियाँ	उद्गम स्थान
1. सोन	अमरकंटक पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश
2. गोमती	गोमत ताल, उत्तराखंड
3. घग्गर	शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q46) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: नासा का दृढ़ता रोवर वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था।

कथन-II: इसका लैंडिंग स्थल जज़ेरो क्रेटर (Jezero Crater), मंगल ग्रह था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-11 कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q47) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: पहला अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड (IBO) चेकोस्लोवाकिया में आयोजित किया गया था।

कथन-II: भारत ने 2008 में इस ओलंपियाड का आयोजन किया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q48) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

नेविगेशन सिस्टम	देश
ग्लोनास (ग्लोबल ऑर्बिटिंग नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम)	रूस
गैलीलियो	इटली
NAVIC (भारतीय तारामंडल के साथ नेविगेशन)	भारत
बेई-डू	जापान

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

Q49) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I: डार्डानेल्स जलडमरूमध्य मरमारा सागर को काला सागर से जोड़ता है।

कथन-II: केर्च जलडमरूमध्य काला सागर को आज़ोव सागर से जोड़ता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

a. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
b. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
c. कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
d. कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q50) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

प्रजाति	**IUCN स्थिति**
1. खारे पानी का मगरमच्छ	कमजोर
2. मगर क्रोकोडाइल (Mugger crocodile)	गंभीर रूप से लुप्तप्राय
3. घड़ियाल	कम चिंतनीय

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

a. केवल एक
b. केवल दो
c. केवल तीन
d. कोई नहीं

KEY ANSWERS

Ans 1	**B**	**Ans 2**	**B**	**Ans 3**	**C**	**Ans 4**	**C**
Ans 5	**D**	**Ans 6**	**D**	**Ans 7**	**D**	**Ans 8**	**A**
Ans 9	**A**	**Ans 10**	**B**	**Ans 11**	**C**	**Ans 12**	**A**
Ans 13	**C**	**Ans 14**	**A**	**Ans 15**	**C**	**Ans 16**	**D**
Ans 17	**A**	**Ans 18**	**B**	**Ans 19**	**C**	**Ans 20**	**B**
Ans 21	**C**	**Ans 22**	**C**	**Ans 23**	**B**	**Ans 24**	**B**
Ans 25	**B**	**Ans 26**	**D**	**Ans 27**	**A**	**Ans 28**	**C**
Ans 29	**B**	**Ans 30**	**B**	**Ans 31**	**B**	**Ans 32**	**A**
Ans 33	**A**	**Ans 34**	**C**	**Ans 35**	**B**	**Ans 36**	**B**
Ans 37	**D**	**Ans 38**	**B**	**Ans 39**	**B**	**Ans 40**	**A**
Ans 41	**D**	**Ans 42**	**A**	**Ans 43**	**C**	**Ans 44**	**B**
Ans 45	**B**	**Ans 46**	**D**	**Ans 47**	**B**	**Ans 48**	**B**
Ans 49	**D**	**Ans 50**	**D**				

IAS BABA

ONLINE

Baba's ILP Students 3 RANKS in TOP 30

★Most Trusted★

Integrated Learning Program (ILP) - 2024

The Most Comprehensive Self-Study Program

VAN (Comprehensive Notes for entire UPSC Syllabus)

1. Daily MICRO Planning
2. Mains Tests-59 and Discussion Videos
3. Prelims Tests-67
4. Dedicated Portal and App
5. Effective NewsPaper Reading Sessions
6. Answer writing forum & Model Answers
7. Infographics on important topics
8. ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com | support@iasbaba.com | 91691 91888